राजस्थान विधान सभा

तृतीय बैठक, बुधवार, दिनांक–५ दिसम्बर, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ११.५ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, के समक्ष माननीय सदस्यों द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण करने सम्बन्धी अधिसूचना

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा)—I will read to the House the following Notification.

"LAW AND JUDICIAL (A) DEPARTMENT
NOTIFICATION

No. F. 1 (a) (12) LJ/A 56 Dated Jaipur the 3rd Dec., 1956.

In exercise of the powers conferred by Article 188 of the Constitution of India, the Governor of the State of Rajasthan has been pleased to appoint Shri Narottam Lal Joshi, Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly, as the person before whom Members of the Rajasthan Legislative Assembly shall make and subscribe an oath or affirmation.

This Notification shall take effect from the 4th December, 1956 and is in modification of the previous Notification of even number dated the 30th November, 1956.

By order of the Governor,
Kishen Puri.
Chief Secretary to the Government."

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

श्री अध्यक्ष—वे सदस्य जिन्होंने अभी तक संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण नहीं किया हो, अब ऐसा करेंगे।

Page No.2

[श्री अध्यक्ष]

श्री भैरोंसिंह बाली देसूरी

(अनुपस्थित)

श्री भोपालसिंह

(शपथ ग्रहण की)

महाराजकुमार श्री व्रजेन्द्रपाल

(अनुपस्थित)

राज श्री हिम्मतसिंह फ्रोम अटरू

(अनुपस्थित)

श्री जयेन्द्रसिंह

(अनुपस्थित)

श्री केसरीसिंह फ्रोम सोजतमेन

(अनुपस्थित)

मेजर आपजी श्री रघुराजसिंह

(अनुपस्थित)

श्री रामलाल बंसीवाल

(अनुपस्थित)

श्री संग्रामसिंह

(अनुपस्थित)

श्री अंगदराम

(अनुपस्थित)

श्री तेजगबसिंह

[श्री अध्यक्ष]

(अनुपस्थित)

श्री उम्मेदसिंह

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह

(अनुपस्थित)

श्री अम्बालाल

(अनुपस्थित)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १

दूनी आदि स्थानों के मुकदमों का सम्बन्ध मालपुरा से नहीं

राव राजा श्री सरदारसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि दूनी आदि स्थानों के मुकदमात का सम्बन्ध मालपुरा से रखा गया है ?

(ख) अगर हां, तो क्या सरकार को यह भी मालूम है कि दूनी, नगर आवां के आसामियान को बजाय मालपुरा के टोंक से संबंध होने पर यातायात की तथा दीगर दृष्टि से अधिक सुविधा है ?

(ग) क्या सरकार जनता की सुविधा की दृष्टि से इन स्थानों का संबन्ध टोंक से स्थापित करने का विचार रखती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) जी हां।

(ख) यातायात के लिहाज से दूनी नगर एवं आवां के मवाजियात अवश्य टोंक से नजदीक पड़ते हैं किन्तु यह तीनों मवाजियात तहसील दूनी के इन्टीरियर में होने के कारण तहसील दूनी से अलग नहीं किये जा सकते। जिस तरह तहसील दूनी के दीगर मवाजियात का सम्बन्ध एस० डी० एम० मालपुरा से है उसी तरह इन तीनों मवाजियात का संबंध भी मालपुरा से होना आवश्यक है।

(ग) इस संबंध में विचार किया जायगा।

राव राजा श्री सरदारसिंह—विचार कब तक समाप्त हो जावेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—कुछ ही दिनों में। कलेक्टर ने लिखा है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २

गंगानगर में नियुक्त एस० ई० द्वारा कृषकों की शिकायतें नहीं सुनना

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

(क) गंगानगर में एस० ई० (सिंचाई विभाग) कौन नियुक्त किये गये हैं ?

(ख) क्या सरकार की तरफ से उनको आदेश दिया गया है कि वे किसानों को अपने दफ्तर में दाखिल न होने दें और न ही उनकी कोई शिकायत सुनें ?

(ग) यदि (ख) का उत्तर हां में है, तो ऐसे कर्मचारी को गंगानगर में रखने की क्या आवश्यकता है ?

(घ) यदि (ख) का उत्तर ना में है, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करवायेगी कि वे किसानों और दूसरे जो शिकायत लेकर आते हैं उन्हें अपने दफ्तर में क्यों नहीं आने देते और उनकी शिकायत क्यों नहीं सुनते ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(क) जब तक श्री पी० एल० पाहवा एस० ई० गंगानगर का कार्य संभालें तब तक के लिये श्री टी० पी० मक्खीजानी एस० ई० का कार्य कर रहे थे। ये पिछले तीन माह से कार्य कर रहे थे। श्री पाहवा साहब ने अभी हाल ही में एस० ई० गंगानगर का कार्य संभाल लिया है।

(ख) नहीं।

[श्री रामनिवास मिर्धा]

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) शिकायत आने पर जांच की जावेगी।

श्री गुरुदयालसिंह संधु--क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि वह आदमी किसानों के साथ अच्छा वर्ताव नहीं करता है ?

श्री रामनिवास मिर्धा--अगर आप कोई निश्चित शिकायत करेंगे तो उन पर जरूर जांच करावेंगे।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

(श्री जगतसिंह झाला : मुझे पूछने की आज्ञा दी है)

श्री अध्यक्ष—जब तक ओथ नहीं ले लें तब तक फुल फ्लेज्ड मेम्बर नहीं हैं। लोकल सेल्फ मिनिस्टर अगर इसका उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रश्न संख्या ३

कोटा जिला जल बोर्ड द्वारा तहसील मंगरोल में स्थापित 'अशोकपुर' संस्था को ऋण

(श्री हिम्मतसिंह अटरू का प्रश्न)

Will the Local Self Government Minister be pleased to state:—

(a) How much money was given by the Kotah District Water Board to a Society called 'Ashokpur' in tehsil Mangrol, district Kotah for the constructions and repairs of a well of the Farm ?

(b) Has the District Board ascertained that all the money advanced was spent for the purpose for which it was advanced ?

(c) Is it a fact that a false receipt was obtained for a sum of Rs. 200/-(Two hundred only) in the name of a person called Panthu Mehr on 28-7-1954 and later it was verified by the Sarpanch of Panchayat Mangrol on 27-12-1954 ?

(d) And that Panthu, when he heard about this receipt went to the Panchayat Board and affirmed an oath that he had never received such a receipt ?

(e) Has the Government conducted any inquiry into this case ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) कोई धनराशि नहीं दी गई।

(ख) से (ङ) तक-प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४

गंगानगर जिले में पांच सौ से कम की जनसंख्या वाले देहातों को बिजली देने की मांग

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) गंगानगर जिले के ऐसे देहातों को जिनकी आबादी ५०० से कम है सरकार कब तक बिजली देने का इरादा रखती है ?

(ख) क्या यह सच है कि गंगानगर के नहरी क्षेत्र में जितने नये गांव हैं, आबाद हुए हैं वे सारे ५०० की आबादी से कम के हैं ?

(ग) क्या यह भी सच है कि इस नहरी क्षेत्र में रूई, गन्ने की पिड़ाई और सरसों का तेल निकालने आदि के लिये काश्तकारों को बिजली की आवश्यकता है ?

(घ) क्या सरकार इस क्षेत्र में बिजली देने का शीघ्र प्रबन्ध करेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केवल १ हजार व उससे अधिक आबादी वाले गांवों का विद्युतिकरण संभव है।

(ख) कुछ स्थानों को छोड़ कर यह संभव है कि नहरी इलाके में आबाद कस्बे नये स्थापित होने के कारण ५०० से कम की आबादी वाले हैं। उसके आंकड़े राजस्व विभाग से अलग से प्रश्न करने पर उनसे उपलब्ध हो सकते हैं।

(ग) अभी भाखरा से विद्युत शक्ति राजस्थान को नहीं मिलने लगी है। उसके मिलने पर और जनता की मांगों के आने पर यह निश्चय किया जा सकेगा कि उसका किस तरह से उपयोग किया जा सके।

प्रश्न संख्या ५

श्री अध्यक्ष—श्री अवनिकुमार मुखर्जी।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित—कृपया प्रश्नोत्तर आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६

ग्राम लम्बा त० टोंक के तालाब के टूटने से क्षति एवं कृषकों को आर्थिक सहायता

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि अति वृष्टि के कारण तालाब ग्राम लाम्बा तहसील व डिस्ट्रिक्ट टोंक टूट गया था ?

(ख) अगर हां, तो कितना नुकसान हुआ ?

(ग) क्या यह सही है कि इस तालाब को पाल के नीचे ग्राम छापरिया इत्यादि बह गये जिससे काश्तकारान आबादी वालों को क्षति हुई ?

(घ) अगर हां, तो किन किन के और किस कदर नुकसान का अनुमान था ?

(ङ) इन काश्तकारों के नुकसान का अन्दाजा किस प्रकार से लगाया गया और उनमें से सरकार द्वारा किन किन को क्या सहायता दी गई ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(क) हां।

(ख) अनुमानित १२०० रू० का नुकसान हुआ।

(ग) गांव नहीं बहा। थोड़े मकान और एकत्रित अनाज की क्षति हुई है।

(घ) क्षति का विवरण संलग्न है।

(ङ) नुकसान का अनुमान राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके को जांच करके लगाया गया। अभी तक सहायता नहीं दी गई है, किन्तु यह उपरोक्त आधार पर आगे जांच करके दे दी जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह—उन लोगों के मकान जो तालाब के टूट जाने से व वर्षा अधिक होने से गिर गये क्या अभी तक उन पर राजस्व विभाग विचार कर रहा है, वे क्या करेंगे ?

श्री रामनिवास मिर्धा—उनकी लिस्ट बना ली गई है और उनको जल्दी सहायता दी जावेगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह—मेरे पास कोई लिस्ट नहीं आई है। मगर जिनके घर गिर गये वे बेचारे बिल्कुल सर्दी में बाहर पड़े हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा—इतना भारी नुकसान नहीं हुआ, एक दो मकान गिरे हैं। थोड़ी थोड़ी क्षति हुई है और उस हिसाब से हर आदमी को मुआवजा दे दिया जावेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या मिनिस्टर महोदय ने स्पोट पर जाकर देखा है?

श्री रामनिवास मिर्धा—मेरे सामने जैसी रिपोर्ट है उसके आधार पर कह रहा हूँ।

रावराजा श्री सरदारसिंह—वह इलाका उनियारा के राज्य में था। मैं खुद वहां पर जाकर आया हूँ और जानकारी प्राप्त की है। एक या दो मकान गिर पड़े हैं, यह बात नहीं हैं; बेचारों के मकान बह गये हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा—मुझे खेद है कि वह लिस्ट आपके पास नहीं पहुँची, भेज तो दी थी। मगर किसी को ६० रु० का नुकसान हुआ है और किसी को ३० रु० का नुकसान हुआ है। ऐसा नुकसान नहीं हुआ है कि बिल्कुल बरबाद हो गये हैं। उनको जल्दी ही जितनी सहायता मिलनी चाहिये दे दी जावेगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या यह सही है कि चद्दरों के लिये वहां के निवासियों ने दरख्वास्त दी थी मगर अभी तक उनको चद्दरें नहीं मिली हैं?

श्री रामनिवास मिर्धा—ऐसी जानकारी सिंचाई विभाग के पास नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—जानकारी की जावे। पब्लिक ने हमको आपको जानकारी देने के लिये भेजा है। आपको जानकारी दे रहे हैं। अब तो जल्दी इन्तजाम किया जावे।

श्री रामनिवास मिर्धा—हम आपकी इस जानकारी को स्वीकार करते हैं।

एक माननीय सदस्य—क्या अब माननीय मंत्री का इरादा मौके पर जाने का है?

श्री रामनिवास मिर्धा—अब इसकी आवश्यकता नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७

ग्राम पंचायत पद्मपुर के वार्ड नं० ७ से पंच महादेवप्रसाद का त्याग-पत्र एवं रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[श्री गुरुदयालसिंह संधु]

(क) ग्राम पंचायत पदमपुरा, तहसील पदमपुरा, जिला गंगानगर के वार्ड नं० ७ से श्री महादेवप्रसाद ने अपना त्यागपत्र बतौर पंच किस तारीख को पेश किया और उस वार्ड के चुनाव की तारीख कौन सी नियुक्त हुई ?

(ख) उस वार्ड के चुनाव की तारीख मुकर्रर करने के बाद वहां चुनाव न करा कर उसी व्यक्ति के पंच पद पर बने रहने का क्या कारण है ?

(ग) क्या सरकार श्री महादेवप्रसाद के त्यागपत्र की कॉपी सदन की मेज पर रखेगी

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) जी हां। श्री महादेवप्रसाद के त्यागपत्र की कॉपी संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये।)

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या जो त्यागपत्र दिया गया है उससे साफ ज़ाहिर नहीं होता कि उन्होंने पंचायत से त्यागपत्र दे दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इससे यह जाहिर होता है कि उन्होंने उप-सरपंच से त्यागपत्र दिया है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या यह सच नहीं है कि नये चुनाव के लिये तारीख मुकर्रर कर दी गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उप-सरपंच के लिये की गई थी।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—मैं यह जानना चाहता हूं कि तारीख निश्चित पंच के चुनाव के लिए की गई थी या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा कि 'नहीं'।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या सरकार इसकी जांच कराएगी कि आया पंच के चुनाव के लिये तारीख मुकर्रर की गई थी या नहीं ? इसके लिये एडवरटाइज भी हुआ था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरी इत्तिला यह है। आप कहेंगे तो मैं जांच कराऊंगा।

श्री गुरूदयालसिंह संधु—वे लोग जयपुर में आये और बहुत रुपये खर्च किये और बाद में वह मंसूख हुआ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह चुनाव उप-सरपंच का है।

श्री गुरूदयालसिंह संधु—जो त्यागपत्र दिया गया है उसमें साफ तौर से लिखा है कि मैं पंचायत से त्यागपत्र दे रहा हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसमें यह नहीं है। उसने अपने पद से त्याग-पत्र दिया है। उसने अपने हस्ताक्षरों के आगे उप सरपंच, ग्राम पंचायत लिखा है! अगर वह पंचायत से त्याग-पत्र देना चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री गुरूदयालसिंह संधु—उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा है कि मैं पंचायत का कार्य नहीं कर सकता, मेरे घर का कार्य भी ज्यादा है। क्या इसका मतलब यह है कि उप-सरपंच से त्यागपत्र दिया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पंच तो काम करते ही हैं। इसलिये हमने यह समझा कि उन्होंने उपसरपंच से त्यागपत्र दिया है; पंच से नहीं।

श्री भैरू सिंह—क्या सरकार ने यह समझ कर कि पंच के पद से त्यागपत्र दे दिया है, पंच के लिये चुनाव की आज्ञा जारी कर दी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप दुबारा वही बात पूछ रहे हैं जो अभी पूछी गई और जवाब दिया गया।

श्री भैरू सिंह—क्या पंच के चुनाव के पद के लिये सरकार ने कोई तारीख निश्चित की थी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने इनकार किया है।

श्री गुरूदयालसिंह संधु—क्या सरकार इसकी जांच करावेगी, वे लोग कई दिन यहां जयपुर में बैठे रहे?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं हर एक बात की जांच कराने के लिये तैयार हूँ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८

प्रथम पंचवर्षीय योजना में टोडा-नासिरदा-नगेडिया सड़क की निर्माण योजना

राव राजा श्री सरदारसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में टोडा—नासिरदा—नेगडिया सड़क निर्माण की योजना थी ?

(ख) अगर हां, तो उसका ठेका किस ठेकेदार को कितने रुपये में दिया गया ?

(ग) इस सड़क का निर्माण कहां से कहां तक हो चुका है ?

(घ) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में भी इस सड़क के निर्माण के लिये धनराशि स्वीकृत हुई है ? अगर हां, तो यह कार्य कब तक शुरु हो जावेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी— (क) विचाराधीन अवश्य थी परन्तु अन्तिम रूप में जो योजना स्वीकृत हुई थी उसमें यह स्वीकृत नहीं हुई थी।

(ख) (ग)—प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) नहीं। यह द्वितीय पंच वर्षीय योजना में स्थान नहीं पा सकी है।

श्री सरदारसिंह—मैंने दूनी के लिये प्रश्न किया क्योंकि मालपुरा जाने में असुविधा होती थी। दूनी से मालपुरा जाने में टोडा होकर जाते हैं। पहले बजट में यह स्वीकृत हो गई थी मगर फिर उसका काम क्यों नहीं शुरू हुआ ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—मैंने आपको बताया कि विचाराधीन अवश्य थी परन्तु प्रथम पंच वर्षीय योजना में यह स्वीकृत नहीं हुआ।

श्री सरदारसिंह—आपने बताया कि विचाराधीन जरूर था मगर फिर इसको ड्रोप क्यों किया गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—पहले पंच वर्षीय योजना में ७ करोड़ की सड़कें रखी गई थीं। मगर फन्ड की कमी के कारण २.६ करोड़ की ही मंजूरी गवर्नमैंट से हुई।

श्री सरदारसिंह—इसमें कोई पोलिकटिल पोइन्ट तो नहीं था क्योंकि यह आपके विरोधी पक्ष के निर्वाचन क्षेत्र में है ?

प्रश्न संख्या ६

श्री अध्यक्ष— श्री हिम्मतसिंह अटरू।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित—यह प्रश्नोत्तर आगे लिया गया है।)

प्रश्न संख्या १०

सन् १६५४ में जोधपुर शहर के एक अस्पताल के सी. ए. एस. क्लॉस एक

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—Will the Minister-in-chasge of Medical and Public Health Depaimtent kindly state:

(1) Whether it is not a fact that a C. A. S. Class I was ordered to relieve C. A. S. Class II in a particular hospital in Jodhpur City in the year 1954 ?

(2) Whether the C. A. S. class I referred to in (1) was on the relieving list ?

(3) Whether it is a fact that other doctors on the relieving list were available for the purpose stated in (1) ?

(4) Whether it is also a fact that another Doctor had consented in writing to relieve the C. A. S. Class II referred to in (1) but his services were not availed for the purpose ?

(5) Who is responsible for such procedural irregularities and what action does the Government propose to take in this connection ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप मंत्राणी)—(१) यह सही नहीं है कि एक सिविल असिस्टेन्ट सर्जन प्रथम श्रेणी का एक द्वितीय श्रेणी के डाक्टर की जगह जोधपुर के अस्पताल में रिलीव करने भेजा गया।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

(५) प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता।

श्री अवनि कुमार मुकर्जी—मैं यह जानना चाहता हूँ कि सन् १९५४ में आइसोलेशन होस्पीटल जोधपुर के अन्दर से जिन डाक्टर साहब का तबादला हुआ था उनका नाम क्या है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—आइसोलेशन होस्पीटल जोधपुर के अन्दर डाक्टर डी० डी० चतुर्वेदी काम कर रहे थे। इस होस्पीटल को पहले सिविल असिस्टेन्ट सर्जन क्लास वन का मिला हुआ था। इसके बाद में यह होस्पीटल क्लास सैकिन्ड के लिए रख दिया गया इसलिए उनकी जगह सरप्लस में आ गई। इनको फिर जैसलमेर में क्लास वन की जगह पर भेज दिया गया क्योंकि जैसलमेर का होस्पीटल क्लास वन है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं यह जानना चाहता हूं कि आइसोलेशन होस्पीटल जोधपुर जो है वह क्लास वन डिस्पेन्सरी है या क्लास टू डिस्पेन्सरी है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—पहले यह डिस्पेन्सरी क्लास वन थी बाद में उसको क्लास दो में कन्वर्ट कर दिया गया, इसी कारण इन डाक्टर साहब को क्लास वन की जगह भेज दिया गया।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं यह जानना चाहता हूं कि यह डाक्टर क्लास वन के थे या क्लास दो के थे ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—वह क्लास वन के थे।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—तो जब उनका तबादला किया गया तो यह होस्पीटल कौन से क्लास की डिस्पेन्सरी थी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह आइसोलेशन होस्पीटल, जोधपुर, पहले क्लास वन की डिस्पेन्सरी थी लेकिन बाद में इसको क्लास दो की डिस्पेन्सरी कर दिया गया।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—क्या यह सही नहीं है कि इन डाक्टर साहब का तबादला करने के लिए ही इस डिस्पेन्सरी को क्लास वन से कन्वर्ट कर दिया गया था ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—ऐसा नहीं है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—क्या यह सही नहीं है कि उनके तबादले के बाद इसको क्लास दो में कन्वर्ट कर दिया गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जी नहीं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—क्या यह सही नहीं कि उस रिलीविंग लिस्ट के अन्दर डाक्टर डी० डी० चतुर्वेदी का नाम नहीं था ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—उनका नाम इस लिस्ट के अन्दर था लेकिन उनका नाम सरप्लस के अन्दर नहीं था। जैसलमेर के होस्पीटल में क्लास वन की जगह खाली थी इसलिए उनको क्लास वन की जगह भेज दिया गया, इसलिए सवाल ही नहीं उठता।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं यह जानना चाहता हूं कि रिलीविंग लिस्ट में जिनका नाम था तो उसमें इनका भी नाम शामिल था ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जी नहीं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—तो फिर रिलीविंग लिस्ट के अन्दर उनका नाम नहीं था तो उनका तबादला क्यों किया गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैं आपसे कह रही हूं कि जो जगह क्लास वन की थी वह क्लास टू हो गई इसलिये उनको क्लास वन की जगह पर भेजना पड़ा और वह क्लास वन की जगह जैसलमेर में थी।

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—मैंने जो प्रश्न पूछा था वह यह था कि रिलीविंग लिस्ट के अन्दर कौन कौन से डाक्टर्स का नाम है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह रिलीविंग लिस्ट मेरे पास नहीं है। लेकिन इस डाक्टर का नाम उस लिस्ट में नहीं है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—जब इन डाक्टर साहब का नाम इस रिलीविंग लिस्ट में नहीं था और जिन दूसरे डाक्टर साहबान का नाम इस लिस्ट में था, तो उनमें से किसी का नाम क्यों नहीं भेजा गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने आपको कहा कि जैसलमेर के अन्दर उनको क्लास वन की जगह भेजा गया इसलिए जो लिस्ट है उसमें से किसी को भेजने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मेरे प्रश्न के हिस्से ४ में जो कुछ लिखा है क्या वह सही नहीं है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसका जवाब तो प्रश्न के उत्तर के भाग (४) में दे दिया गया है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह जो डिस्पेन्सरी है इसके लिए एक डाक्टर साहब ने लिखित रूप में दिया था कि मैं काम करने के लिये तैयार हूं तो इस डाक्टर का सवाल क्यों नही लिया गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—हमारे पास कोई ऐसी चीज लिखित रूप में नहीं आई।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—अगर यह सुबूत आपके सामने पेश किया जाय तो क्या आप कार्यवाही करने को तैयार हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जो कार्यवाही हमें करनी थी वह कर दी। हमारे सामने कोई सवाल उपस्थित नहीं हुआ और क्योंकि यह डाक्टर सी० एस० क्लास वन का था इसलिए इसको जैसलमेर भेज दिया गया।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ११

घांटोल (जि० बांसवाड़ा) के पड़ोली तालाब के नहर की खुदाई हेतु स्वीकृत धनराशि

श्री धूलजीभाई (एम०एल०ए०, डिवीजन नम्बर ३८)—क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) घांटोल तहसील, जिला बांसवाड़ा के पड़ोली तालाब के नहर की खुदाई के लिये कितनी रकम सरकार द्वारा मंजूर की गई थी व उसका ठेका किसको दिया गया था तथा अब तक कितने रुपये मजदूरों को चुकाये गये हैं ?

(२) नहर की कुल खुदाई कितने माइल तक भील मजदूरों से कराई गई तथा उनकी मजदूरी के अब तक कितने रुपये कितने दिनों से बकाया हैं और अब तक इस रकम के नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(सिंचाई मन्त्री) (१) बांसवाड़ा के पड़ोली तालाब पर ४२,००० रुपये की मंजूरी की गई, जिसमें क़रीब ४००० रुपया नहरों और मोरियों आदि के लिए रक्खा गया था।

नहरों आदि का काम श्री धूलजी चम्पालाल ठेकेदार द्वारा कराया गया। मजदूरों को चुकाई गई रकम की सूचना सिंचाई विभाग में नहीं मिल सकती, यह तो ठेकेदार ही बता सकता है।

(२) उपरोक्त सारा काम ठेके से ही कराया गया था जिसको ठेके की पूरी रकम का चुकारा हो चुका है। मजदूरों को उसके रकम न चुकाने की सूचना सिंचाई विभाग को नहीं है।

श्री धूलजी भाई—कितनी रकम दी गई ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैं उत्तर दे चुका हूं ४२,४०० रुपया कुल रकम की लागत थी जिसमें ४ हजार रुपया नहर और मोरियों आदि के लिए रखा गया था।

श्री धूलजी भाई—मैं यह जानना चाहता हूं कि नहर का जो काम किया गया है उसमें से जितना रुपया सरकार द्वारा दिया गया है वह मजदूरों को नहीं चुकाया गया है इसलिए इस चीज की जानकारी सरकार को करनी चाहिए कि ठेकेदार द्वारा जो काम कराया गया है वह पैसा मजदूरों को नहीं मिला है।

श्री रामनिवास मिर्धा—मैं उत्तर दे चुका हूं कि मजदूरों को मजदूरी मिली है या नहीं मिली है, इसके बारे में सरकार के पास कोई शिकायत नहीं थी और ठेकेदार को रकम का पूरा चुकारा कर दिया गया था।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह सच है कि उस पैसे को लोगों को न देकर अफसरों ने आपस में बांट लिया ?

श्री अध्यक्ष—आप अपना सवाल पूछियेगा।

श्री धूलजी भाई—यह सरकार का काम था कि वह जांच कराये कि मजदूरों को पैसा मिला या नहीं मिला।

श्री रामनिवास मिर्धा—मैंने बताया कि सरकार के पास ऐसी जानकारी नहीं है कि किसी को मजदूरी न दी गई हो। इसके बारे में कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है।

श्री धूलजी भाई—क्या सरकार के पास यह जानकारी है कि श्रमिकों को पैसा पूरा दे दिया गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसके बारे में कोई निश्चित शिकायत सरकार के पास नहीं आई।

श्री कंवरलाल जेलिया—जब माननीय मंत्रीजी के पास इस तरह का प्रश्न आया था तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी की ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या १२

गंगानगर अस्पताल में नियुक्त डी० एम० एच० ओ० की योग्यताएं इत्यादि

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु (एम० एल० ए०, डिविजन नम्बर ४६)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) गंगानगर अस्पताल में इस समय डी० एम० एच० ओ० के ओहदे पर किसको तैनात किया गया है ?

(ख) यह डी० एम० एच० ओ० पहले गंगानगर में कब और किस पद पर थे ?

(ग) पिछले डेढ़ साल में इनका कहां कहां तबादला हुआ ?

(घ) इतनी जल्दी जल्दी तबादले होने और वापिस गंगानगर भेजे जाने का क्या कारण है ?

(ङ) इनकी ऐसी क्या योग्यतायें हैं जिनके कारण इन्हें दुबारा गंगानगर भेजने की आवश्यकता प्रतीत हुई ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (स्वास्थ्य उप मंत्राणी) —(क) डॉ० एस० डी० एथोपिया (ख) इन्होंने दिनांक ३-७-५४ से १८-५-५५ तक आफिशियेटिव डी० एम० एच० ओ० गंगानगर के पद पर कार्य किया जब कि वहां के स्थाई डी० एम० एच० ओ०, डा० वी० एम० वर्मा सिक लीव पर थे । दिनांक १६-५-५५ से २४-४-५६ तक इन्होंने वहां सी० ए० एस० क्लास प्रथम श्रेणी के पद पर कार्य किया ।

(ग) इनका स्थानान्तर गंगानगर से नागौर और फिर वापस गंगानगर को हुआ ।

(घ) इन्हें सीनियर होने के कारण आफिशियेटिंग डी० एम० एच० ओ० नागोर नियुक्त किया गया था ।

(ङ) प्रशासनिक कारणवश इनका नागोर से गंगानगर स्थानान्तर किया गया ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह सच है कि गंगानगर की जनता इससे खुश नहीं है और वहां उनके बार बार तबादले किये जाते हैं ?

Page No.18

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल--ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३

आबू रोड से माउन्ट आबू तक चलने वाली बसें एवं भविष्य की योजना

श्री जवानसिंह (एम० एल० ए०, डिविजन नम्बर ६७)--क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(अ) आबू रोड से माउन्ट आबू तक कितनी व किसकी बसें इस समय किराये पर चलती हैं ?

(आ) क्या यह सही है कि जोधपुर से माउन्ट आबू या आबू रोड तक सरकार अपनी बसें चलाने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री रामनिवास मिर्धा (यातायात मन्त्री)--(अ) आबू रोड से आबू तक बोम्बे स्टेट ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसें किराये पर चलती हैं। इनकी संख्या १८ है।

(आ) फिलहाल नहीं। जोधपुर से आबू तक जगह ब जगह यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ियां चल रही हैं।

श्री जवानसिंह--यह बोम्बे स्टेट ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन की कारें कब तक चलती रहेंगी।

श्री रामनिवास मिर्धा--इस बारे में बोम्बे स्टेट से और भारत सरकार से बातचीत चल रही है और अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि हम उसको कब तक टेकओवर कर सकेंगे और कब तक उनकी बसें चलेंगी।

श्री जवानसिंह--क्या राजस्थान सरकार अपनी तरफ से कोई कॉर्पोरेशन बनाना चाहती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा--जी नहीं।

श्री जवानसिंह--तो क्या वहां अलग से पैसा देकर बसें चलाने का इन्तजाम है ?

श्री रामनिवास मिर्धा--इसके बारे में कोई निश्चय नहीं किया है।

श्री जवानसिंह—क्या मौजूदा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन की मयाद ३ महीने तक रखी गई है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जब तक हम कोई दूसरी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तब तक बोम्बे स्टेट ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन वाले ही चलायेंगे।

प्रश्न संख्या १४

सिरोही जिले की फेयरवेदर रोड्स के लिए स्वीकृत धन-राशि

श्री जवानसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) इस वर्ष सिरोही जिले के खुश्की रास्तों (फेअर वेदर रोड) की मरम्मत के लिये कितना रुपया मन्जूर हुआ है ?

(आ) उपरोक्त मार्गों की मरम्मत कब से होनी शुरू हो गई थी और क्या इस विषय में कोई आदेश दिये गये थे, तथा इन मार्गों की कहां कहां मरम्मत महकमें के मेन्टीनेन्स गेंग ने की या असाधारण रूप से दूसरे मजदूर लगाकर की गई व उस पर कितना खर्चा हुआ और क्या बचत रही ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(अ) ७,६१४ रुपया।

(आ) वर्षा के बाद करीब अक्टूबर से कार्य डिपार्टमेन्ट लेबर से कराने की तजवीज है। सभी फेअर वेदर सड़कों की मरम्मत महकमा लेबर के मजदूरों से कराई जाती है। खर्चे का हिसाब अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री जवानसिंह—क्या अलग से लेबर लगा कर इन फेअर वेदर रोड्स की मरम्मत कराने का विचार है ? अगर है तो इसके लिये कितनी मन्जूरी हुई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—फेअर वेदर रोड्स की मरम्मत के लिये पर माइल २०० रुपया रिपेयर के लिये रखा जाता है।

श्री जवानसिंह—सिरोही डिस्ट्रिक्ट के लिये कितना रुपया मन्जूर किया गया है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—७,६१४ रुपया।

प्रश्न संख्या १५

उनियारे के डाक्टर के स्थानान्तर का स्थगन एवं जनता की शिकायत

राव राजा श्री सरदारसिंह—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[रावराजा श्री सरदारसिंह]

(क) क्या यह सही है कि उनियारे के डाक्टर का स्थानान्तर हो गया था और दूसरे डाक्टर ने आकर चार्ज भी ले लिया था ?

(ख) यदि हां, तो उक्त आदेश को स्थगित करने का क्या कारण है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि डाक्टर के प्रति जनता की शिकायत पेश हुई है ?

(घ) अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—(क) जी हां।

(ख) डाक्टर के विरुद्ध आई हुई शिकायतों की जांच होने तक तबादला रोक दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) संचालक स्वास्थ्य विभाग ने चीफ मेडिकल ऑफिसर टोंक को जांच करने के आदेश दिये हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—यह तबादला कौनसी तारीख को हुआ और कौनसी तारीख को मन्सूख किया गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—तबादला ३०।१०।५६ को हुआ और १०।११।५६ को स्थगित किया गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या तबादला शिकायतों के कारण हुआ था ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—शिकायतों के कारण स्थगित किया गया।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि तबादला हुआ, उससे पहले भी जनता को उनके विरुद्ध शिकायतें थीं और इसी के परिणामस्वरूप प्रशासनिक दृष्टि से उनका तबादला करना अच्छा समझा गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—शिकायतों के कारण उनका स्थानान्तर नहीं किया गया बल्कि शिकायतें आने पर उनका स्थानान्तर स्थगित किया गया।

श्री भैरूंसिंह—स्थानांतरण होने के आदेश होने के बाद शिकायतें आयीं थी या पहले ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसकी कोई तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—क्या सरकार ने यह निर्णय लिया कि शिकायतों की जांच होने के लिये उनका वहां रहना आवश्यक है ? क्या उनके ट्रान्सफर के ऑर्डर होने के बाद शिकायतों के सिलसिले में जांच के लिये निर्णय लिया या पहले ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—पहले की शिकायतों की जानकारी नहीं है। बाद में शिकायतें हुई होंगी इसीलिये तो उनका स्थानान्तरण स्थगित किया गया।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि उस डाक्टर ने डिपार्टमेंट को यह प्रार्थना-पत्र नहीं दिया था कि उनकी जांच होने तक उनको उनियारा में ही रखा जाय ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या डाक्टर ने ट्रान्सफर के विरोध में रिप्रेजेन्टेशन दिया था ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—अभी माननीय मन्त्राणीजी ने बतलाया १० तारीख को तबादले के ऑर्डर्स स्थगित किये गये और ३० तारीख को तबादले के आर्डर्स हुए; तो क्या यह सच है कि १० तारीख को चीफ मेडिकल ऑफिसर तार देते हैं कि—

"Please hand over charge to Dr. Deshmukh immediately."

क्या यह सही है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मेरी समझ में नहीं आया आप फिर से कहिये।

श्री अध्यक्ष—तारीख १० को चीफ मेडिकल आफिसर ने इस प्रकार का तार दिया क्या "Please hand over charge to Dr. Deshmukh immediately," It is very clear.

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—मैं आपको इत्तला देता हूँ यह जो तबादले का आर्डर हुआ उसमें चीफ मेडिकल आफिसर ने तार द्वारा यह सूचना दी कि चार्ज हेन्ड ओवर कर दिया जाय; क्या उस आर्डर को चीफ मेडिकल आफिसर ने केन्सिल किया यह आर्डर क्या दस तारीख को केन्सिल हुआ है या उससे पहले ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—तार दिया होगा किन्तु इस तरह आदेश होने के बाद में नहीं दिया होगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह—यह तारीख १० का तार है ?

श्री भैरूं सिंह—जिस व्यक्ति को इनकी इन्क्वायरी के लिये नियुक्त किया गया, क्या उन्होंने यह आवश्यक समझा कि जब तक जांच न हो जाय उनका वहां उनियारा में ही रहना आवश्यक है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—ऐसी कोई बात नहीं थी कि इन्क्वायरी के लिये नियुक्त व्यक्ति इस प्रकार की दरख्वास्त करे।

श्री भैरूं सिंह—उन डाक्टर का तबादला कन्सर्न्ड मिनिस्टर ने मन्सूख किया या कन्सर्न्ड डिपार्टमेंट ने ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—डिपार्टमेन्ट से ही होता है, मिनिस्टर का क्या लेना देना।

श्री भैरूं सिंह—जब कि उस डाक्टर ने उनियारा में रहने की इच्छा ही जाहिर नहीं की इन्क्वायरी के सिलसिले में तो फिर उसको उस स्थान पर क्यों रखा गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इच्छा हो या न हो, इसका सवाल नहीं; उनकी शिकायतों के आधार पर उनका तबादला स्थगित करना पड़ा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि तारीख १० को डाइरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज़ ने यह आदेश दिये कि चार्ज हैन्ड ओवर कर दिया जाय और उसी तारीख को माननीय कन्सर्न्ड मिनिस्टर ने उनका स्थानांतरण स्थगित करने के आदेश दिये ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—सुबह से शाम तक कई घंटे होते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—शाम से सुबह तक भी कई घंटे होते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या यह सत्य है कि......

श्री अध्यक्ष— Repetition of questions.

श्री जगन्नसिंह—One question left over, Sir,

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या १६।

प्रश्न संख्या १६

सिरोही—अनादरा सड़क का सिरोही बाडेली तक के मार्ग पर सींदरथ व बाडेली नदियों पर पुल व रपट के निर्माण

श्री जवानसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) सिरोही अनादरा सड़क का सिरोही से बाडेली तक का मार्ग कब बन कर तैयार हो गया था ?

(आ) क्या उपरोक्त मार्ग में सींदरथ व बाडेली की नदियों पर पुल या रपट बनवायी गई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(इ) क्या उपरोक्त सड़क को मीरपुर स्थित जैन मन्दिर को जाने वाली सड़क से मिला दिया गया है ? अगर हां, तो कब ? और इस समय सड़क की क्या दशा है ?

(ई) क्या उपरोक्त सड़क पर पुलिया टूट गई है ? अगर हां, तो कब तक मरम्मत की जायगी।

श्री रामचन्द्र चौधरी— (अ) १६५२ में।

(आ) पहले से ही बनी हुई है।

(इ) हां, सन् १६५५-५६ में।

(ई) दशा ठीक है। एक रपट इस स्थान पर टूट गई थी जिसकी मरम्मत जल्दी ही शुरू होने वाली है ?

श्री जवानसिंह—यह जो रपट बतलाई वह कौनसी नदी पर ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—सिरोही से जो लिंक रोड सींदरथ और बाडेली जाती है। इस साल वर्षा के कारण यह टूट गई थी, इसकी मरम्मत जल्दी होने वाली है।

श्री जवानसिंह—सींदरथ व बाडेली की रपट बनाने के लिये क्या योजना है और कब तक बना दी जायगी ?

Page No.24

श्री रामचन्द्र चौधरी--जल्दी ही रपट की दुरुस्ती करायी जायगी।

श्री जवानसिंह--जब यह सड़क १६५२ में बनी इसलिये मैं जानना चाहता हूँ आज तक यह रपट कब तक बनकर तैयार हो जायगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी--आप गलत कह रहे हैं, ५५-५६ में बनी है और लास्ट रेन्स में रपट टूट गयी थी जिसकी जल्दी ही मरम्मत करा दी जायगी।

श्री जवानसिंह--क्या सरकार इस विषय में दुबारा जांच कराने के लिये तैयार है ! यह रपट ५५-५६ में नहीं बनी बल्कि सन् ५२ में बनी।

श्री रामचन्द्र चौधरी--५५-५६ में बनी है।

श्री जवानसिंह--क्या सरकार इस बात की दुबारा जांच कराने के लिये तैयार है जबकि मैं स्पेसिफिक एलीगेशन लगा रहा हूँ यह जो आपने सूचना दी है गलत है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी--जांच करा ली जायगी।

प्रश्न संख्या ५

बीकानेर के पी० एम० ओ० द्वारा जावतमल को थप्पड़ मारना एवं इस सम्बन्धी जांच

श्री अवनि कुमार मुकर्जी--Will the Halth Minister kindly state:--

(1) Is it a fact that one Jawat Mal resident of Bikaner was slapped by the P. M. O., Bikaner, on the evening of 31. 8. 1956 and that a complaint in this connection was made by the said Jawat Mal to the Commissioner, Bikaner, Collector, Bikaner District, D. M. H. S., Rajasthan and the Minister-in-charge, Medical & Health Department ?

(2) Is it also a fact that inspite of repeated reminders from the complainant no inquiry into the matter has been held so far by the Government ?

(3) Why has such an inordinate delay been caused in ordering the enquiry and is the Government prepared to order an immediate inquiry into the matter ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल--(१) ऐसी शिकायत सरकार के सामने आयी थी

(२) जो नहीं शिकायत की जांच के लिए सरकार ने कमिश्नर बीकानेर को आदेश दिए थे और जांच की रिपोर्ट भी आ गयी थी।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Page No.25

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—जांच के लिये आदेश कमिश्नर को किस तारीख को दिये गये थे ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मेरे पास तारीख तो नहीं है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—कौनसी तारीख को यह रिपोर्ट उपलब्ध हुई थी ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—इसकी भी तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—रिपोर्ट के फाइन्डिंग्ज़ क्या हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—कमिश्नर ने यह रिपोर्ट दी है जो भी आरोप लगाये गये हैं वे गलत हैं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—क्या यह सही है कि श्री जेवतमल ने बीकानेर मजिस्ट्रेट के सामने इस्तगासा पेश किया था ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जी हां।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—क्या यह सही है कि सरकार के सामने भी उसने ऐसा प्रार्थना-पत्र पेश किया था जिसमें उसने साफ साफ लिखा था कि इस इस्तगासे के वापिस लेने के लिये बीकानेर के कमिश्नर और कलेक्टर नाजायज दबाव डाल रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह बात बिल्कुल गलत है, बिना किसी दबाव के उसने विद्ड्रॉ किया।

श्री भैरूंसिंह—यह जवाब किस हैसियत से दे रहे हैं ?

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं तो यह जानता हूँ कि क्या सरकार के सामने जेवतमल ने इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र पेश किया था क्या कि बीकानेर कलेक्टर और कमिश्नर उस पर इस्तगासा वापिस लेने के लिये दबाव डाल रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दरख्वास्त में तो ऐसा नहीं है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—क्या आप वह दरख्वास्त सदन की मेज पर रख सकते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उस प्रार्थना-पत्र के अनुसार दबारा जांच के लिये लिख दिया गया था।

Page No.26

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—जेवतमल ने जिन चार आदमियों का उल्लेख अपने प्रार्थना-पत्र में किया था उन चारों के आई स्टेटमेन्ट्स लिये गये या नहीं, चारों के बयान अपनी जांच के दौरान में कमिश्नर ने लिये हैं या नहीं ?

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—बयान तो लिये ही होंगे अगर उस केस में ज्यादा फोर्स होता तो वह इस्तगासा कोर्ट से विद्ड्रॉ ही क्यों करता ?

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—अभी तो आपने पहले फरमाया था कि कमिश्नर ने उसकी जांच करली थी और फाइन्डिंग्ज़ भेज दिए थे तो फिर वह बयान कैसे लेंगे ?

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी की रिपोर्ट भेज दी थी, दुबारा जब यह प्रार्थना-पत्र में था कि इन इन के बयान लिये गये तो बाद में उनसे फिर फाइन्डिंग्ज़ भेजने के लिये कहा गया और उन्होंने फाइन्डिंग्ज़ भेज दी थीं।

श्री **प्रभुदयाल**—क्या यह सही है कि वहां के पी०एम०ओ० को बदनाम करने के लिये यह षड़यन्त्र रचा गया था ?

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—षड़यन्त्र तो मैं नहीं कह सकता।

श्री **अवनिकुमार मुकर्जी**—क्या यह सही नहीं है कि डाक्टर मेहता अपनी बदतमीजी के लिये प्रसिद्ध है ?

श्री **अध्यक्ष**—No remarks for individual members of the services.

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—अध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। जिन चार आदमियों के आई विटनेसेज़ के तौर पर नाम रिप्रेजेन्टेशन में दिए गये थे, क्या उनके बयान अपनी जांच के समय कमिश्नर ने ले लिये हैं ?

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)**—दुबारा कमिश्नर को लिख दिया गया है कि उनके बयान लिये जांय।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—लिये हैं या नहीं इसका डेफीनेट उत्तर देने की स्थिति में माननीय मन्त्री महोदय हैं या नहीं ? मैं इसका निश्चित उत्तर चाहता हूं।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—मैंने तीन बार कह दिया कि दुबारा कमिश्नर को आर्डर दिया गया था, उसने बयान लिये होंगे। अब इसे समझ नहीं सकते तो मैं क्या करूं ?

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--आर्डर दे दिया है पर अभी लिये गये हैं या नहीं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी तक यह कहा गया है कि कमिश्नर को कह दिया गया है कि बयान ले लिये जावें। मैं पूछना चाहता हूं कि उस कहने के बावजूद उनके बयान कमिश्नर महोदय ने लिये हैं या नहीं ? और समझ की कमी तो शायद दूसरी तरफ होगी। कम से कम इस समय इस प्रश्न पर कमी मुझमें नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह तो आपको जवाब दिया जा चुका है कि आर्डर दुबारा, बयान लेने के लिये दिये जा चुके हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब कमिश्नर को आर्डर देने के बाद उस आर्डर का पालन हुआ या नहीं, यह आप बताने की स्थिति में अपने आपको पाते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—Hon'ble Members should exercise some self-control even if there is provocation.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने सुना नहीं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Provocation is from the other side.

श्री अध्यक्ष—Whatever my be, I will advise the hon'ble members to exercise self-control.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to know if orders were issued to the Commissioner that he should do this. I want to know whether the Government has definite information whether those orders have been complied with or not and whether the Commissioner as a consequence of these orders did actually record the evidence of the persons mentioned in the representation ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—It is expected that the Commissioner will carry out the orders of the Government.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Do I take it that he has carried out ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—I have no information about that. It is expected that he would carry out the orders of the Government.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—If not, are you prepared to fix a date for this purpose ?

श्री अध्यक्ष—If not, is the government very particular that the statements of those people should be recorded within a fixed period?

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—I wanted to find out whether the Government is prepared to fix a date by which all the statements should be recorded.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—The Commissioner is to hold an enquiry and he has to ascertain the facts. Similar is the case of the courts. A Magistrate may dismiss a complaint on the statement of the complainant also. We have asked the Commissioner to examine those witnesses also.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—This complaint has been pending for a pretty long time. Whether the Government is prepared to fix a date by which the Commissioner should finish the recording of the statements?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—I think there will be no difficulty in doing that and the Commissioner will be instructed to do that.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—In order that the whole thing may be expedited...

श्री बद्रीप्रसाद—As a matter of fact the whole thing has been done. The court has dismissed the complaint and there is nothing to be done now. But because you wanted to record the Statements it will be done.

श्री भैंरू सिंह (१६)—दो प्रश्न रह गये हैं साहब हिम्मतसिंहजी के नाम से।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने शपथ ही नहीं ली और जब तक शपथ नहीं लेते हैं उनकी मेम्बरशिप राइप नहीं होती। इसलिये उनका प्रश्न नहीं ठहरता।

श्री भैंरू सिंह—पर अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन तो उनके शपथ लेने से पहले ही छप चुके थे?

श्री अध्यक्ष—वह तो इन-एन्टीसिपेशन में ले लिये गये थे।

श्री भैंरू सिंह—तो इसे भी इन-एन्टीसिपेशन ले लिया जावे साहब। पब्लिक इन्टरेस्ट का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—मन्त्रीजी इसका उत्तर देना चाहें तो मुझे एतराज नहीं।

श्री भैरूंसिंह—मन्त्री जी तो तैयार हैं साहब, आपका आदेश हो तो उत्तर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—(माननीय मंत्री महोदयों की तरफ सम्बोधन करते हुए) क्यों साहब ? कौन से डिपार्टमेंट का है ?

एक का तो जवाब दे ही दिया। दूसरा कौनसा है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैं जवाब दे सकता हूं साहब।

प्रश्न संख्या ६

राजस्थान के जिला कृषि अधिकारी एवं उनकी सीनियोरिटी

राज श्री हिम्मतसिंह (६१)—Will the Agriculture Minister be pleased to state :—

(a) What is the number of District Agriculture Officers in Rajasthan ? Who are they and where are they posted ?

(b) What is the grade of pay of the 1st. and 2nd. class District Agriculture Officers ?

(c) Has the question of their seniority been decided ? If so, how many of them are in the first grade and how many of them are receiving the grade pay ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मंत्री)—(क) २१.

(ख) उत्तर संलग्न तालिका में है।

(ग) पहले दो वेतन स्तर थे। प्रथम श्रेणी २५० से ५०० और द्वितीय श्रेणी १७५ से ३००, पर अब सिर्फ एक ही वेतन स्तर हो गया है, जो २०० से ६०० है।

(घ) उनकी सीनियोरिटी सन् ५१ में ही सरकार द्वारा नियुक्त स्पेशल बोर्ड ने तै कर दी थी। प्रथम श्रेणी के ग्रेड का कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(ङ) सभी ने द्वितीय श्रेणी के ग्रेड में अपने वेतन उठा लिये हैं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरूंसिंह—वह संलग्न सूची दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष—अब आपको कैसे दे दें वह संलग्न सूची ?

श्री भैरूं सिंह—जानकारी हो जायगी साहब पूरी।

श्री अध्यक्ष—सबका जवाब दे दिया। अब वे अनुपस्थित हैं तो सूची उनको ही मिल सकती थी। This is very strange.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—निर्णय कब तक हो जावेगा प्रथम श्रेणी के ग्रेड का, इसका जवाब नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष के निर्वाचन में हुए विभाजन में 'हाँ' पक्ष में १२० सदस्य होने सम्बन्ध त्रुटि-निवारण

श्री अध्यक्ष—मुझे सदन में हुई एक त्रुटि को ठीक करने के लिये, अत्यन्त दुख के साथ घोषणा करनी पड़ती है कि दिनांक ३ दिसम्बर, १९५६ को उपाध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में जो विभाजन का परिणाम घोषित किया गया था उस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को सूचित किया गया था कि उसमें 'हां' पक्ष की सूची में मतदाताओं की संख्या १०० है। वास्तव में वह १०० नहीं थी किन्तु १२० थी और तदनुसार उक्त दिन की सभा की कार्यवाही में शुद्धि कर दी गई है।

यहां अजमेर के मेम्बर जो थे उनकी अलग लिस्ट थी और उसमें २० सदस्यों के नाम थे, वह सूची जोड़े बगैर ही रह गई।

I am very sorry. I assure the House that in future such mistakes will not be repeated.

सभापति तालिका के लिये मनोनीत सदस्यों की घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम ९ के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका (पेनल आफ चेयरमेन) के लिये मनोनीत किया गया है—

(१) श्री रमेशचन्द्र भार्गव।

(२) श्री जवानसिंह।

(३) डॉ० श्री मंगलसिंह।

(४) श्री बद्रीलाल।

(श्री अध्यक्ष)

कार्य-सूची परामर्श-दात्री समिति के मनोनीत सदस्यों की घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा संचालन के नियम २७ के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के लिये मनोनीत किया गया है—

(१) अध्यक्ष, मैं स्वयं।

(२) श्री मथुरादास माथुर।

(३) श्री तनसिंह।

(४) श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

(५) श्री वेदपाल त्यागी।

(६) श्री जगन्नाथ शर्मा।

विशेषाधिकार समिति के लिये मनोनीत सदस्यों की घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम ६० के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को प्रिविलेजेज़ कमेटी के लिये नियुक्त किया गया है—

(१) श्री नाथूराम मिर्धा।

(२) श्री अर्जुनदास-तुलसीदास।

(३) श्री श्योनारायण सिंह।

(४) श्री वेदपाल त्यागी।

(५) श्री द्वारकादास पुरोहित।

(६) श्री सैयद अब्बास अली।

(७) श्री गोपीलाल यादव।

(८) श्री दामोदरलाल व्यास।

(९) श्री भीमसिंह एवं।

(१०) श्रीमती यशोदा देवी।

[श्री अध्यक्ष]

सदन समिति के लिये मनोनीत सदस्यों की घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम १७६ के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को हाउस कमेटी के लिये नियुक्त किया गया है—

[१] श्री लालसिंह शक्तावत [२] श्री सज्जनसिंह [३] श्री अवनिकुमार मुकर्जी [४] श्री बालकृष्ण कौल [५] श्री कानसिंह।

आश्वासन समिति के लिये मनोनीत सदस्यों की घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम १८१ के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को आश्वासन समिति के लिये नियुक्त किया गया है—

[१] श्री नाथूराम मिर्धा [२] श्री चांदमल मेहता [३] श्री महेन्द्रसिंह पंवार [४] श्री हरदेव जोशी एवं [५] श्री बद्रीलाल

याचिका समिति के लिये मनोनीत सदस्यों की घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम १६६ के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को पिटीशन कमेटी के लिये मनोनीत किया गया है—

[१] श्री लालसिंह शक्तावत [२] श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री [३] श्री बी०एन० जोशी [४] श्री महादेवप्रसाद बंका [५] श्री भागीरथसिंह।

नियम समिति के लिये मनोनीत सदस्यों की घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों को रूल्स कमेटी के लिए नियुक्त किया गया है—

[१] मैं, अध्यक्ष [२] श्री लालसिंह शक्तावत [३] श्री बालकृष्ण कौल [४] श्री तनसिंह [५] श्री रामकिशोर व्यास [६] श्री खेतसिंह [७] श्री चन्दनमल वैद [८] श्री श्रीदास गोयल [९] श्री रोशनलाल शर्मा एवं [१०] श्री हरिदत्त।

सदन की मेज पर रखे गये अध्यादेश

Ordinances to be laid on the table.

श्री रामकिशोर व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टीनेन्सी (थर्ड अमेन्डमेंट) आर्डिनेन्स, १९५६ को सदन की मेज पर रखता हूं।

(ख) राजस्थान गजट (राज-पत्र) अध्यादेश, १९५६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मुद्रण एवं सामग्री विभाग मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान गजट (राज-पत्र) ऑर्डिनेन्स, १९५६ [Rajasthan Gazette (Rajpatra) Ordinance, 1956] सदन की मेज पर रखता हूं।

(ग) राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) अध्यादेश, १९५६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (विधि मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualification) Ordinance, 1956 सदन की मेज पर रखता हूं।

(घ) राजस्थान कॉन्टिन्जेन्सी फंड अध्यादेश, १९५६

श्री रामचन्द्र चौधरी (यातायात मन्त्री, वित्त मन्त्री की ओर से)—अध्यक्ष महोदय मैं Rajasthan Contingency Fund Ordinance, 1656 सदन की मेज पर रखता हूं।

(ङ) राजस्थान विधान सभा (पदाधिकारी एवं सदस्य पारिश्रमिक) अध्यादेश, १९५६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (विधि मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Ordinance, 1956 सदन की मेज पर रखता हूं।

(च) राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज अध्यादेश, १९५६

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री-मुख्य मन्त्री की ओर से)—अध्यक्ष महोदय मैं Rajasthan Ministers Salaries Ordinance, 1956 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री रामनिवास मिर्धा।

सदन की मेज पर रखी गई, मोटर वेहिकल्स रूल्स, १९५१ में संशोधन करने वाली, विज्ञप्ति

श्री रामनिवास मिर्धा (यातायात मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग (ख) विज्ञप्ति संख्या डी० ३३५७ एफ. १६ (४) २ एच.बी.५६ दिनांक २९ अगस्त, १९५६ की एक प्रति जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वेहिकल्स रूल्स, १९५१ में संशोधन किया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष—Yes, Shri Badriprasad Gupta.

पुरः स्थापित किये गये विधेयक,

(क) राजस्थान गजट (राज-पत्र) विधेयक, १९५६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (प्रभारी मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं Rajasthan Gazette (Rajpatra) Bill, 1956 को पुरःस्थापित करता हूं।

(ख) राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) विधेयक, १९५६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (प्रभारी मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं Rajasthan Legisla- Assembly Members (Removal of Disqualification) Bill, 1956 को पुरःस्थापित करता हूं।

(ग) राजस्थान भूमि-सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (प्रभारी मन्त्री)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagirs (Fourth Amendment) Bill, 1956 को पुरःस्थापित करता हूं।

(घ) राजस्थान-भूमि-सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (पंचम संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री बृजमोहनलाल शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagirs (Fifth Amendment) Bill, 1956 को पुरःस्थापित करता हूं।

(ङ) राजस्थान कृषि भू-धारण (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री रामकिशोर व्यास (प्रभारी मन्त्री की ओर से)—अध्यक्ष महोदय, मैं Rajasthan Tenancy (Third Amendment) Bill, 1956 को पुरः स्थापित करता हूं।

(च) राजस्थान जिला मण्डल (संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं Rajasthan District Boards (Amendment) Bill, 1956 को पुरःस्थापित करता हूं।

(छ) राजस्थान एक्साइज़ (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (प्रभारी मन्त्री की ओर से)—अध्यक्ष महोदय, मैं Rajasthan Excise (second Amendment) Bill, 1596 को पुरःस्थापित करता हूं।

(ज) राजस्थान भ-राजस्व (संशोधन) विधेयक, १६५६

श्री रामकिशोर व्यास (प्रभारी मन्त्री की ओर से)—अध्यक्ष महोदय, मैं Rajasthna Land Revenue (Amendment) Bill, 1956 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(झ) राजस्थान जागीरदार ऋण प्रहसन विधेयक, १९५६

श्री रामकिशोर व्यास (प्रभारी मन्त्री की ओर से)—अध्यक्ष महोदय, मैं Rajasthan Jagirdars Debt Reductian Bill, 1956 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(ञ) सिटी ओफ कोटा इम्प्रूवमेंट (अमेंडिंग एंड वेलिडेटिंग) विधेयक, १६५६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (प्रभारी मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं City of Kotah Improvement (Amending & Validating) Bill, 1956 को पुरःस्थापित करता हूं।

(ट) राजस्थान कृषि-ऋण विधेयक, १६५६

श्री रामकिशोर व्यास (प्रभारी मन्त्री की ओर से)—अध्यक्ष महोदय, मैं Rajasthan Agricultural Lcans Bill, 1956 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(ठ) कोटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फेक्ट्रीज़ (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १६५६

श्री रामचन्द्र चौधरी (प्रभारी मन्त्री की ओर से) —अध्यक्ष महोदय, मैं Cotton Ginning and Pressing Factories (Rajasthan Amendment) Bill, 1956 को पुरः स्थापित करता हूं ।

(ड़) यूनिवर्सिटी ओफ राजपूताना (नाम परिवर्तन) विधेयक, १६५६

श्री रामकिशोर व्यास (प्रभारी मन्त्री की ओर से)—अध्यक्ष महोदय, मैं University of Rajputana (Change of Name) Bill, 1956 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(ढ़) राजस्थान राज्य भाषा विधेयक, १६५६

श्री रामकिशोर व्यास (प्रभारी मन्त्री की ओर से)—अध्यक्ष महोदय, म the Rajasthan Official Language Bill, 1956. को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रामकिशोर व्यास—मैं राजस्थान ओफिशियल लेंग्वेज बिल, १९५६ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(विराम)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव एवं उस पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष—श्री नाथूराम मिर्धा धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि "इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभि भाषण के लिये जो कि उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इस नये राजस्थान के बनने के बाद यह पहला अवसर था जब कि राजस्थान के राज्यपाल इस सदन में पधारे । उन्होंने कल जो भाषण हमारे सामने इसी सदन में दिया उसको हमने गौर से सुना । उस भाषण में उन्होंने राजस्थान सरकार के उन कार्यों की ओर संकेत किया है जो काम राजस्थान सरकार ने पिछले पांच वर्ष में किये और आने वाले पांच वर्ष के लिए राजस्थान सरकार को किस दिशा में जाना है, क्या काम करने हैं और उन कामों को करने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से क्या क्या योजनायें बन चुकी हैं और उनको कार्य रूप में परिणत करने के लिए आगे वह क्या कदम उठायेगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भाषण श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने इस सदन में दिया उस भाषण में उन्होंने कुछ मुद्दों पर विचार रखे थे । वे मुद्दे आम तौर से राजस्थान का जो नया स्वरूप बना है उसके बारे में थे । राजस्थान का स्वरूप बहुत अच्छा बना है । राजस्थान में आबू का मिलना, राजस्थान में अजमेर का मिलना, राजस्थान में सुनेल टप्पा का मिलना, इन तीन नये क्षेत्रों के राजस्थान में मिलने के बाद राजस्थान का निश्चित तौर से विस्तार हुआ । जिस समय हमारे देश में यह जो नया आयोग मुकर्रर हुआ था, एस. आर. सी. कमीशन उस कमीशन ने राजस्थान के लोगों को जैसी आशा थी उसी तरह का इन्साफ राजस्थान को दिया था । स्वाभाविक तौर से सब लोगों को उसके बारे में प्रसन्नता है ।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

इस राजस्थान के नये निर्माण के बाद राजस्थान में जो काम लोगों की भलाई के लिए होने चाहिए, जो काम लोगों की तरक़्क़ी के लिए होने चाहिए, जो काम इस जनतन्त्र में प्रजा के लिए होने चाहिए उन बातों की तरफ श्रीमान् राज्यपाल ने अपने भाषण में उनकी चर्चायें की हैं।

शुरू शुरू में उन्होंने अपने भाषण में जन सुरक्षा के बारे में कुछ जिक्र किया है और यह बताया है कि पिछले पांच वर्षों में लगातार राजस्थान की जनता की जान व माल की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने काफी सुदृढ़ रूप से प्रयत्न किया है और उसका अच्छा परिणाम निकला है। करीब २६.०० डाकू इन पिछले पांच वर्षों में मारे गये। अपराधों की संख्या में निश्चित तौर से कमी आई है। उसके थोड़े से आंकडे उन्होंने इस साल के आठ महीनों से सन् १६५१ के साल के आंकडों से कम्पेयर करते हुए बताया था। हम निश्चिन्त तौर से जब इलाकों में या क्षेत्रों में घूमते हैं तो पहले के बनिस्बत आज वास्तव में इस बात का संतोष है, पिछले पांच वर्षों में जिन स्थितियों में थे उन स्थितियों से आज हम बेटर स्वरूप में है। इस काम के लिए वास्तव में राज्य सरकार की पुलिस सराहना की पात्र है। उन्होंने काम किया है। हमारी राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी लोग हैं, उन्होंने अपना काम करते वक्त, डाकुओं के प्रति जो उन्होंने काम किया है उससे उनमें से बहुत आदमियों की मृत्यु भी हुई है।

अपनी जान की रिस्क पर भी उन्होंने काम किया है। यहां २६०० डाकूओं के खत्म होने पर भी मैं माननीय अध्यक्ष, इस जगह पर यह भी बताना चाहूंगा कि यह समस्या अभी भी राजस्थान में है। राजस्थान में अभी भी डाकुओं के गेन्ग्स, इतने लिक्विडेट होने के बाद में भी मौजूद हैं। राजस्थान सरकार ने जो काम उन्हें लिक्विडेट करने के लिए किया है उसके लिए धन्यवाद है परन्तु जो समस्या अब बाकी है उसकी तरफ इस वक्त जिक्र करना इस बात की ओर संकेत करता है कि काम अभी भी बाकी है। उस काम को करने के लिए सरकार तत्पर हैं। वे इस बात का दिमाग में ख्याल रखते हैं कि जो गेंग बचे खुचे हैं उनको लिक्विडेट करना है। और माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये इस सदन को यह भी बताना चाहता हूं, अब आने वाले ३-४ महीनों में जिस वक्त कि हमारे यहां आम चुनावों की चर्चा चल रही है, यह गेन्ग्स और भी ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, कुछ नये गेन्ग्स क्रियेट पिछले डेढ़ महीने के टाइम में हुए हैं। उन गेन्ग्स् के प्रति राज्य सरकार को बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी और आम तौर पर चुनावों के वक्त में राजनैतिक तत्व उन लोगों को डेकोइट्स के जो गेन्ग्स हैं उनको और भी किसी तरह के उपयोग में ले सकते हैं। तो राज्य सरकार को उनके प्रति भी बहुत सावधानी बरतनी है और बड़ी सतर्कता के साथ काम करना है।

इस जनसुरक्षा और माल के मुद्दे की चर्चा के बाद में राज्यपाल ने अपने भाषण में सर्विसेज़ के एकीकरण के बारे में कुछ जिक्र किया है। राजस्थान में यों तो सर्विसेज़ का एकीकरण आम तौर से जो पुराना राजस्थान था उसको नया इलाका जो मिला है इसके अलावा एकीकरण

[श्री नाथूराम मिर्धा]

का काम काफी रूप से पूरा हो चुका था और करीब करीब पूरा हो चुका था। अजमेर के मिलने से एकीकरण की कुछ समस्या बनी। उसको राज्य सरकार ने काफी थोड़े समय में काफी सुन्दर ढ़ंग से हल कर लिया है, उन्होंने अपने भाषण में यह बताया कि आम तौर से उन लोगों को छोड़कर जो कि एक महीने के टेम्परेरी नौकर थे या कम के नौकर थे उन लोगों की छटनी के सिवाय, बाकी के दूसरे लोगों को सर्विसेज़ में रखा है। उन लोगों को भी जो कि छंटनी में आये हैं जगह प्रोवाइड करने को सरकार तैयार है। सरकार निरन्तर इस कोशिश में है कि उन लोगों को भी जब मौका मिले सर्विसेज़ में एब्जार्ब किया जाय। माननीय अध्यक्ष, जहां तक मुझे मालूम है अजमेर की सर्विसेज़ के एकीकरण के बारे में कि अजमेर के कुछ अफसरों के दिमाग में या यहां के कुछ लोगों के दिमाग में यह बात चल रही है कि उनका एकीकरण ठीक ढ़ंग से नहीं हुआ है, कुछ अफसर यह सोचते हैं कि उनका एकीकरण ठीक ढ़ंग से नहीं हुआ है, परन्तु माननीय अध्यक्ष, जहां तक मुझे इस बात का पता है, मेरा ख्याल है कि अजमेर सरकार की जो सर्विसेज़ में थे वे अफसर ओफिशियेटिंग जगहों पर काम कर रहे थे, और बहुत लोगों के ओफिशियेटिंग जगहों पर काम करने में फिक्सेशन का सवाल है। जिन जगहों पर ओफिशियेटिंग ढ़ंग से काम कर रहे हैं, यहां राजस्थान सर्विसेज़ में जो परमेनेन्ट केडर्स बने हुए हैं उनमें कानून की रूह से उन लोगों को फिट-इन भी किया जा सकता है या नहीं, बहुत से आदमी उनमें फिट-इन नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी राजस्थान सर्विसेज़ के रूल्स बहुत क्लियर हैं। एकीकरण के रूल्स और, प्रोसीजर का सवाल है जहां तक वह ठीक ढ़ंग से काम चल रहा है। इसलिए सर्विसेज़ के बारे में एकीकरण का काम संतोषप्रद ढ़ंग से राजस्थान में पूरा हो चुका है।

उसके बाद माननीय अध्यक्ष, जो दूसरा मुख्य मुद्दा है जिसके ऊपर कि श्रीमान् राज्यपाल ने इस सदन में चर्चा की थी वह थोड़ा लैंड रिफोर्म्स के बारे में है। वास्तव में, माननीय अध्यक्ष, अगर हम इस राजस्थान के पुराने बेक-गाउन्ड को देखें तो हमको पता पड़ेगा कि यह पुराना राजस्थान २२ अलग अलग रजवाडों का एकीकरण होकर एक रियासत बना, एक सूबा बना। हिन्दुस्तान के संविधान बनने के बाद राजस्थान की जो २२ रियासतें थीं वे अलग अलग स्टेजेज़ पर कभी थोड़ी कभी १० एक साथ मिल कर और कभी ३,४ का एक साथ इन्टिग्रेशन होकर उनका एक नया स्वरूप बना। उसके पहले जो राजस्थान बना था उसकी अलग अलग समस्याएं थीं, अलग अलग रियासतों के अलग अलग कानून थे, अलग अलग रियासतों के अलग २ राजा थे, उनके नीचे अलग अलग जागीरदार और सामन्त लोग थे। उन रियासतों के समय में किसान का जमीन पर किसी तरह का हक-हकूक नहीं था। किसान को उस वक्त जमीन के ऊपर या अपने घर के ऊपर कोई अधिकार नहीं था, किसान की कोई सुरक्षा उस वक्त में कानून के नीचे जमीन के बारे में नहीं थी। न फिक्सिटी ओफ टेन्योर था और न फिक्सिडिटी ओफ रेन्ट था। ऐसी हालत में किसानों के साथ तरह तरह की लाग बागें और बेट–बेगारें लगी हुई थीं। किसान का जमीन के ऊपर कोई मालिकाना हक नहीं था। किसान का उसके घर के ऊपर कोई हक नहीं था। ये सारी परिस्थितियां राजस्थान

Page No.39

[श्री नाथूराम मिर्धा]

बनने के बाद भी, तुरन्त इन्टिग्रेशन के बाद भी हमारे सामने राजस्थान में मौजूद थीं। उन समस्याओं को राज्य सरकार ने आम चुनावों के बाद में, जब कि यह सदन बना, बहुत सुन्दर ढंग से अपने हाथ में लिया और वास्तव में जैसा कि श्रीमान् राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा है कि हमने इस दिशा में काम किया है और वह काम वास्तव में सुन्दर ढ़ंग से हुआ है। शुरू २ में सन् १९५२ में जब कि सदन की पहली मीटिंग हुई थी उस समय हमने एक कानून इस राजस्थान के इस सदन में पेश किया था और वह कानून था कि किसान को लगान की दरों और लगान के कुछ हिस्सों में छूट मिलनी चाहिए। जहां यहां पर यह भी मौजूद था कि आधे से ज्यादा हिस्से का लाटा करने, ऊपर से लाग बाग और ली जाती थी और यहां तक था कि बहुत से इलाकों की, माननीय अध्यक्ष, मुझे स्वयं को जानकारी है कि लगान का आधा हिस्सा लेने के बाद लाग बाग का इतना बोझ बढ़ता था कि १०० मन की पैदावार में से कहीं ८० मन पैदावार जागीरदार के पास में जाती थी और १०० मन में से करीब २० मन किसान के पास साल भर के परिश्रम के बाद में बचता था।

सेटलमेंट की कार्यवाही राजस्थान बनने से पहले अलग २ स्टेटें थीं उनमें भी कुछ स्टेटों में उस वक्त में शुरू हुई थी। लगान बन्दी नकद में करने का काम कुछ इलाकों में शुरू हुआ था। राजस्थान बनने से पहले यह काम बहुत थोड़े इलाके में जहां जहां चल रहा था वह बहुत ही मन्द गति से चल रहा था उस काम को राजस्थान बनने के बाद में तेजी के साथ में चलाया गया और आज राजस्थान में सिवाय थोड़े से हिस्से के, जैसलमेर जैसा इलाका है या एक, दो और छोटी मोटी जगहें हैं उनको छोड़कर सारे राजस्थान में नकदी लगान कायम हो चुका है। सेटिलमेंट कायम होकर किसान के हक-हकूक खातों और रेकार्डों में दर्ज हो चुके हैं। किसान को सबसे पहले बैठ बेगार और लाग बाग से छुड़ाकर १/४ हिस्से का जहां पर कि जल्दी सेटिलमेंट नहीं हो सका था वहां यह कानून बनाया। जहां पर सेटिलमेंट हो चुका था वहां नकदी का लगान हुआ और उन लोगों को काफी राहत मिली। उसके बाद में हमने तुरन्त ही थोड़ी देर के बाद में १/६ हिस्से का कानून पेश किया। जहां कि इमीजियेटली सेटिलमेंट लागू नहीं हो सका था वहां यह कानून बनाया कि उससे ज्यादा नहीं लिया जायगा।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

इस तरह से किसानों को राहत मिली। अब राजस्थान में करीब २ सेटिलमेंट हो चुका है और जिन इलाकों में सेटिलमेंट बाद में हुआ है, वहां पर १/६ बांटे पर सेटिलमेंट हुआ है। जिन इलाकों में तीसरे और चौथे बांटे का सेटिलमेंट हुआ है उनको जब दुबारा नया सेटिलमेंट वापिस शुरू होगा तब उन लोगों को राहत मिलेगी। आज किसान अपनी जमीन का आप मालिक है, वह खातेदार है और इसके बाद हमने जो नया टिनेन्सी एक्ट बनाया वह, मैं कह सकता हूं कि, हिन्दुस्तान में जितने भी टिनेन्सी एक्ट बने हैं उनमें सबसे ऊंचा स्थान रखनेवाला है हमारे राजस्थान का टिनेन्सी एक्ट। उसमें सिकमी काश्तकारों को भी खातेदारी हक किस तरह से दिये जा सकते हैं यह बात मौजूद

[श्री नाथूराम मिर्धा]

है। किसानों को बेदखल नहीं किया जा सकता इसकी व्यवस्था इस कानून में है। इसके अलावा पहले होने वाली बेदखलियों से किसानों को बचाने के लिये सरकार ने जो ओर्डिनेन्स बनाया था उसका बहुत महत्व था, उससे किसानों को बहुत लाभ हुआ। इसलिये लैन्ड रिफोर्म्स के बारे में श्रीमान् राज्य-पाल महोदय ने जो बात कही है वह राजस्थान सरकार के लिये बहुत क्रेडिट की बात है।

एक और बात की तरफ भी आपने इशारा किया है और वह यह है कि लैन्ड कमीशन का फोर्मेशन राजस्थान में हुआ है। मैं भी उस लैन्ड कमीशन का एक मैम्बर हूँ। उस कमीशन का जो स्कोप रखा है उसमें आम तौर से यह बात रखी गई है कि कानून तो विधान सभा ने किसानों और जनता के हित के लिये बहुत बनाये हैं जिसका असर राजस्थान की जनता के ८० प्रतिशत भाग पर जो कि खेती करता है या खेती करनेवालों पर निर्भर है, उन पर पड़ता है। तो हमारे यहां की ८० प्रतिशत जनता जो खेती पर निर्भर है उसके फायदे के लिये जो कानून बनाये गये हैं और लैन्ड रिफोर्म्स के कानूनों की वजह से जो फायदा और सहूलियतें मिली हैं, उनका अमल कहां तक हुआ है, यह देखना उक्त कमीशन का काम है। कई इलाकों के लोगों को इन कानूनों का ज्ञान कम होने की वजह से या जागृति नहीं होने की वजह से इन कानूनों को असली रूप नहीं दिये जाने की एक समस्या है। कानून बनाने के बावजूद भी बहुत से कानूनों का इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ है। इसके कई कारण हैं। उन कारणों में यह कमीशन जायगा और यह देखेगा कि कानून बनने के बाद भी उनका यदि इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ है तो उसमें क्या दिक्कत है? इस पर यह कमीशन विचार करेगा।

इसके बाद लैन्ड की पैदावार बढ़ाने की दृष्टि से और लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें, इस दृष्टि से भी हमने कुछ कानून बनाये थे। कैंसोलिडेशन ओफ होल्डिंग्ज़ और लैंड युटिला-इजेशन के बारे में कानून को हम किस रूप में काम में लायें, जिनसे लैन्ड का ज्यादा से ज्यादा युटिलाइजेशन मिले, इसे देखने का जिम्मा भी इस कमीशन का है। इस कमीशन की एक मीटिंग भी हुई है जिसमें ये सब बातें चर्चा के रूप में आई थीं। जनता के सामने जो समस्याएं हैं, जैसे गोचर की समस्या, नाड़ी के आगोर की समस्या, कब्जे की समस्या, गांवों में तरह तरह के मवेशियों के चराने की दिक्कत आदि। इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिये कानून बनाने के बावजूद भी उनके अमल में नहीं आने की दिक्कत है। इन दिक्कतों को यह लैंड कमीशन काफी हद तक दूर करने में सहा-यक होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हम निश्चित तौर से लैंड रिफोर्म्स के बारे में आगे बढ़ रहे हैं और ८० प्रतिशत जनता के फायदे के बारे में जो कानून बनाये गये हैं वे वास्तव में राजस्थान सरकार के लिये बड़ी शोभा की बात है। मैंने करीब करीब हिन्दुस्तान के बहुत से इलाके का खुद दौरा किया है और वहां की स्थिति को देखा और समझा है। अलग अलग सूबों में किसानों के हित के लिये जो टिनेन्सी के कानून हैं उनको देखने का मौका मुझे मिला है। मुझे उनकी जानकारी है। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो काम भूमि सुधार के बारे में कानून के रूप में या दूसरे रूप में विधान सभा के जरिये किया है, वास्तव में वह उच्च कोटि का काम है। जहां जन जागृति

[श्री नाथूराम मिर्धा]

है और जिन इलाकों के लोग जागरूक हैं उन इलाकों के किसानों और खेती करनेवालों को निश्चित तौर से फायदा हुआ है और लैन्ड कमीशन के नये गठन से उन इलाकों में भी जिनमें कमी रह गई हैं या वहां जो समस्याएं हैं उनको समझ कर रास्ता निकालकर मदद करने की कोशिश करेंगे तो उन पिछड़े हुए इलाकों में भी फायदा मिलनेवाला है और पिछले पांच साल में इस सदन ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिये जो काम किया है उससे वास्तव में उनको फायदा पहुंचेगा।

इतनी बातें बताने के बाद जिस मुद्दे का जिक्र श्रीमान् राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया है वह है जागीर अबोलिशन के बारे में। यह कानून बहुत पहले बना था। सन् ५२ की साल में यह बना था लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उस समय इस पर ज्यादा अमल नहीं हो सका सिवाय उदयपुर या पुराने राजस्थान को छोड़ कर इसका अमल बहुत से हिस्सों में नहीं हुआ था। उसमें कुछ कमियें भी थीं। उस वक्त तक हमारे राजस्थान राज्य के जागीरदार भाइयों के दिमाग में भी इसकी पूरी बातें समझ में नहीं आई थीं। लेकिन राजस्थान बनने के बाद सदन का निर्माण हुआ और फिर से उस कानून को एक तरह से एग्जामिन किया और उस समय इसमें कई तरह के संशोधन किये गये। जागीरदारों को मुआवजा देने के लिये प्रोविजन किया गया, उनको रिहेबिलिटेट करने और खुदकाश्त की जमीन उनको देने की समस्या के बारे में और और भी कितने ही छोटे मोटे प्रोब्लम्स को हल करके सैटलमेन्ट किया गया और जितनी दिक्कतों को हल करने की जरूरत थी उनको हल किया गया और जागीरदारों को भी सुना गया। उनको सुनते हुए जो कानून बनाया गया वह एक सुन्दर कानून है। कई समस्याओं का हल करते हुए जो जागीरें रिज्यूम की गईं उनकी संख्या जैसा कि राज्यपाल महोदय ने बताया वह ६,५०० है। जिन जागीरदारों ने मुआवजे के फार्म भरे हैं उनमें से कईयों को अंतर्कालीन मुआवजा दिया गया है। खुदकाश्त की जमीन के लिये जितनी दरख्वास्तें आई हैं उनके आंकडे माननीय सदस्यों को प्रश्नों के समय या और भी जब कभी पूछा है तब उनको उत्तर में बताया गया है उससे मालूम होता है। खुदकाश्त की समस्या को काफी हल किया गया है। कानून की धाराओं के नीचे राज्य कर्मचारियों के सामने जो दिक्कतें पेश हुई उनका निर्णय लिया गया है। जिन लोगों के पास जमीनें नहीं थीं उनको जमीनें दिलाई गई। जिन्होंने नहरी इलाकों में जमीनें लेनी चाहीं जैसा कि राज्यपाल महोदय के भाषण में दर्ज है, उनको उन इलाकों में जमीनें दी गई हैं जहां सिंचाई के साधन मौजूद हैं। जागीरदारों के वे कर्मचारी जो सरकारी नौकरियों में आना चाहते थे उनको सरकारी नौकरियों में लिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस कानून के इमप्लिमेन्टेशन के समय हमें और भी मुद्दों की तरफ ध्यान रखना है, उनको भी बताना चाहता हूं। इस कानून में दर्ज है कि जागीरदारों को भी खुद काश्त की जमीन का लगान देना पडेगा। इसलिये जल्दी से जल्दी मुआवजे के फार्म भर कर मयाद के अंदर दाखिल करने चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समस्या को बढ़ाना अच्छा नहीं है। जितनी देर तक समय या मयाद बढ़ाई जायगी उतनी ही देरी होगी। जितने कम समय में इसका इम्पलीमेन्टेशन होगा उतना ही अच्छा है। मामले को लंबा टालने से कुछ

[श्री नाथूराम मिर्धा]

फायदा नहीं होगा। बहुत से जागीरदार छोटे हैं, जो जागीरों पर बने रहना चाहते हैं। उनके दिमाग में यह बात नहीं है कि हमारी जागीरें खत्म होनी चाहिये। हजार के नीचे की सभी जागीरें जब्त हो गई हैं। बहुत से लोग मुआवजे के फोर्म पेश नहीं कर रहे हैं। यदि हम मयाद बढ़ाते जायेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। उनको यह मालूम होना चाहिये कि मयाद में फोर्म दाखिल नहीं किये तो मुआवजा नहीं मिलेगा।

ऐसी सूरत में हमें मयाद पर पाबन्दी लगा देनी चाहिए और यह मान कर चलना चाहिए कि यह आखीर तारीख होगी। एक साल में, दो साल में,-कोई भी तारीख हो, इस तारीख तक अगर जागीरदार अन्तर्कालीन मुआवजे के फोर्म नहीं भेजते तो उनको कोई मौका नहीं दिया जायगा। अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई तो जो यह काम बहुत जल्दी और थोड़े समय में खत्म होना चाहिए वह बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। इसलिए कोई एक निश्चित तारीख इसके लिए मुकर्रर कर देनी चाहिए।

इसके अलावा जो राज्य सरकार ने एक प्रोवीजन रखा है कि उनको अपने खुद काश्त का लगान देना पड़ेगा इस मामले में जितनी सावधानी बरतनी चाहिए, उतनी सब इलाकों में नहीं बरती जा रही है। इस सम्बन्ध में यदि पूरी सावधानी नहीं बरती गई तो परिणाम यह होगा कि खुदकाश्त का बहुत ज्यादा लगान बढ़ जायेगा, अगर कई सालों तक उसका फैसला नहीं हुआ तो उसकी रकम भी बढ़ जायगी। अगर वह रकम रोकड़ के रूप में वसूल नहीं की गई तो फिर मुआवजे के रूप में से काटी जायगी। इससे बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होगी। इसके साथ ही साथ खुद काश्त का लगान जिस हिसाब से है, वह अगर समय पर नहीं दिया गया तो उसके साथ ही दूसरे भार हैं जैसे लेंड रेवेन्यू आदि, वे अगर समय पर नहीं दिये गये तो जागीरदार को लोग रन में भारी भार महसूस होने लगेगा और जो रकम उस पर बढ़ी है, वह उसको चुका न सकेगा, उस भार को वह पार न पटक सकेगा। इसलिए मैं यह दूसरी बात चाहता हूँ कि राजस्थान में जो जागीरें रिज्यूम हो चुकी हैं और जागीरदार लोगों ने अपने फोर्म भर दिये हैं और जिन्होंने अन्तर्कालीन मुआवजा ले लिया है उन लोगों के लिए निश्चित तारीख लगान अदायगी के लिए मुकर्रर कर देनी चाहिए। जिस तरह से दूसरे किसानों के लिए अलग लगान की तारीख निश्चित करते हैं और यह हिदायत होनी चाहिए कि खुद काश्त के लगान की अदायगी ठीक टाइम पर करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और इस सम्बन्ध में कर्मचारियों की ढील रहेगी तो इससे भारी भार उन लोगों के सिर पर पड़ेगा और उस लम्बी रकम को चुकाने में उन्हें काफी दिक्कत पेश आयेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जागीरदारों की समस्या के बारे में मैंने एक-दो यह पोइन्ट्स रखे हैं और मैं इनकी तरफ राज्य सरकार का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

इन मुद्दों को चर्चा के बाद में श्रीमान राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा की है। राजस्थान राज्य जब बना था सन १९५१ में और १९५२ में जब यह सदन बना था उस वक्त जो राजस्थान की हालत थी, वह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी से छिपी नहीं है। राजपुताने की २२ रियासतें जब राजस्थान के रूप में आई, तब जितनी भी स्टेट्स थीं, उन सब ने करीब करीब अपने स्टेट के जो बजट थे उनको डेफीसिट बजट बना रखे थे, मोस्टली उनके बजट घाटे के बजट थे, उसका कारण यह था कि राजस्थान बनने की हवा एक दो साल पहले से फैल रही थी, उसकी वजह से उन स्टेट्स ने अपनी सर्विसेज़ को तरक्कियां दी, कई बातों में खर्चा बढ़ाया। इसके अलावा वार टाइम में जो स्टेट की स्कीम्स थीं; जैसे सप्लाई का महकमा, धान के परचेज़ का काम, धान के वितरण का काम, इनकी वजह से स्टेट्स पर बड़ा भारी कर्जा हो चुका था। इसकी वजह से भी स्टेट्स के बजट बहुत डेफीसिट में जा रहे थे। राजस्थान के बनने के बाद में ही तुरन्त फेडरल फाइनेन्शियल इन्टिग्रेशन की वजह से राजस्थान के फाइनेन्स पर बड़ा असर पड़ा। राजस्थान के फाइनेन्स में जो छोटे-बड़े आमदनी के जरिये थे जैसे रेल्वेज़ से आमदनी का जरिया था, वह केन्द्र के पास चला गया। इसी तरह से जो फोर्सेज़ के खर्चे थे वे बहुत कम थे, किन्तु उसमें आमदनी बहुत ज्यादा थी, वह भी केन्द्र के पास चले गये। इस वजह से राजस्थान के आर्थिक ढांचे में फेडरल फाइनेन्शियल इन्टेग्रेशन की वजह से, और लड़ाई के तुरन्त बाद ही रियासतें इसमें मिल जाने से, बड़ा असर पड़ा और राजस्थान की आर्थिक हालत बड़ी खराब थी। ऐसी सूरत में प्रथम पंच वर्षीय योजना का लागू होना राजस्थान के लिए उतना लाभप्रद नहीं था जितना कि हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों के लिए था। उन प्रान्तों को जो विधान के अनुसार पार्ट'ए' स्टेट माने जाते हैं, उन पार्ट'ए' स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वर्षों से जमा हुआ था इसलिए उनके फाइनेन्स पर इतना असर नहीं हुआ जितना कि राजस्थान के नये एकीकरण से राजस्थान के फाइनेन्स पर हुआ। उन पार्टए स्टेटस के पोस्ट वार प्लान तैयार थे जब कि हमारे राजस्थान का कोई पोस्ट वार प्लान इस राजस्थान के पहले वाले स्वरूप में नहीं था। उसका परिणाम यह हुआ कि प्रथम पंच वर्षीय योजना बनी, उसकी जो एग्ज़ीक्यूशन हुई, उसमें राजस्थान दूसरे प्रान्तों के स्तर पर नहीं था। यह हालत इसकी एक-दो साल तक रही। इसका कारण यह था कि जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी, उस वक्त राजस्थान का एकीकरण जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाया था, स्टेट सर्विसेज का इन्टीग्रेशन पूरी तरह से नहीं हो पाया था, हमारे पास टेक्नीकल हेल्प अधिक नहीं थी, प्लानिंग के लिए मशीनरी सेट अप नहीं हो पाई थी। उस हालत में जो प्लान प्रथम पंच वर्षीय योजना के रूप में आया वह प्लान हमारे सामने छोटे प्लान के रूप में आया, जो राजस्थान के लिए बहुत छोटा था। सन् १९५१-५२ के योजना के आकड़े हैं, १५. २६ करोड, यही आकड़े सन् १९५४ में १६.८१ करोड़ हुए और जो आंकड़े फाइनल साल के लिए हुए वे २५.४६ करोड़ का हुआ। यह स्टेट प्लान की हालत थी। इस योजना में सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चम्बल के लिए ३७ करोड़ का अनुदान था। यह जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चम्बल व भाकरा के लिए अलोकेशन था वह

[श्री नाथूराम मिर्धा]

स्टेट प्लान से अलग प्लान था। इसलिए हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का कुल प्लान था वह २५ करोड़ रुपये का था। इसमें से हमने पिछले पांच वर्षों में सिर्फ चार वर्ष में १० करोड़ रुपया खर्च कर दिया और १२ करोड़ ५६ लाख रुपया पिछली एक साल में खर्च कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने इन पिछले सालों में इन्टीग्रेशन का काम पूरा कर लिया पर जो बजट डेफीसिट होने की वजह से फर्क था, उसमें हमें जो २५ करोड़ रुपया मिला, उसको हम ठीक ढंग से खर्च नहीं कर सके। अब हम द्वितीय योजना के लिए अधिक खर्च करने की स्थिति में हैं। पिछले वर्ष द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तैयारी चल रही थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम साल में अगर खर्च का टेम्पो हम ठीक नहीं करते तो जो हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए ४७ करोड़ रुपया पास किया है, वह पास न हो पाता। हमारे इस राज्य की सरकार ने जो एक साल में बजट का टेम्पो बनाया, वह सराहनीय कार्य था। हमने सारा रिऑर्गेनाइजेशन का काम समाप्त किया, प्लानिंग के लिए अलग अलग महकमे खोले गये, प्लानिंग के अनुसार जो काम थे, वे अलग अलग इलाकों में महकमों के द्वारा शुरू होने लगे और इस तरह से एक साल में १२ करोड़ रुपया खर्च किया गया। यह सारा काम बहुत सुन्दर ढंग से हुआ। राजस्थान के, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों को हम अलग अलग हिस्सों में देखें तो मालूम होगा कि सिंचाई और बिजली के लिए राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना में करीब ३५ करोड़ रुपये का प्रोवीजन था, इसमें भाकरा का जो काम हुआ, जो नहरें सिंचाई के लिए तैयार हुईं, और हमने बहुत से बांध बनाये, बहुत से तालाब बनाये, ५ लाख की तादाद में नई जमीन तैयार की। इसके अलावा चम्बल योजना को हमने चालू किया। इसके लिए हमने एक चम्बल बोर्ड का निर्माण किया, नहरों के काम को विस्तृत रूप से चालू किया गया और बहुत से कॉमन पूल के काम इस चम्बल योजना पर चल रहे हैं। इस तरह पहली योजना में भाकरा से बिजली की जो कमी थी उसको हम शिड्यूल्ड टाइम पर पूरा नहीं कर पाये, नहरों का काम हमने पूरा किया। थर्मल पोवर हाउसेज़ हमने राजस्थान में १६ नये कायम किये जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान में करीब ३२००० किलोवाट बिजली पैदा करके अलग अलग इलाकों में बांट रहे हैं। जो बिजली राजस्थान बनने से पहले १५००० किलोवाट हमारे राजस्थान में पैदा होती थी, इस तरह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की पैदावार को प्रथम पंचवर्षीय योजना में पहले से दुगुने से ज्यादा किया है।

इसके बाद में हमारी पहली योजना में एग्रीकल्चर के प्रोग्राम के बारे में माननीय उपाध्यक्ष, २१५ लाख का जिसका प्रोविजन था, हमने उस २१५ लाख के प्रोविजन से खाद्यान्नों में २ लाख टन की वृद्धि का हिसाब प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगाया था। माननीय उपाध्यक्ष, मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि राजस्थान सरकार ने इस रुपये को खर्च करके टार्गेट से ज्यादा खाद्यान्नों की वृद्धि की है। राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना की कामयाबी होने का सबसे बड़ा सुबूत यह है कि एग्रीकल्चर में हमने जो धन–राशि खर्च की उससे हमने खाद्यान्नों में २ लाख टन की वृद्धि का

[श्री नाथूराम मिर्धा]

हिसाब लगाया था। उस २ लाख टन के टार्गेट के स्थान पर हमने ३.३ लाख टन की खाद्यान्नों की वृद्धि की है। इससे राजस्थान की खाद्यान्न समस्या बहुत हद तक हल हुई है और हमें जो यह कामयाबी हासिल हुई है इससे यहां के लोगों को राहत मिली है और जो राजस्थान बाहर से खाद्यान्न मंगा कर दूसरों पर निर्भर करता था, दूसरों पर जिन्दा रहता था उसमें राजस्थान ने पहली प्लान में सेल्फ सफिशियेन्सी हासिल कर ली।

सेकिन्ड पंच वर्षीय योजना में खेती बाड़ी की तरक्की के लिये ६२९ लाख रुपयों का प्रोवीजन है और इसके रिवाईज्ड़ लक्ष्य जो निर्धारित किये हैं जिनका जिक्र श्रीमान् राज्यपाल ने अपने भाषण में किया है वहां ६ लाख से ७ लाख की खाद्यान्नों में वृद्धि का है, लेकिन ११६ हजार पोइन्ट और बढ़ाने की योजना ६. २६ लाख रुपया द्वितीय पंच वर्षीय योजना में खर्च करके हमारे राजस्थान में एग्रीकल्चर की तरक्की करने का दावा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से साउन्ड फुटिंग्स पर राजस्थान में योजना के काम को शुरू किया है उससे हम बखूबी उस लक्ष्य तक पहुंच पायेंगे।

इसी तरह एनिमल हस्बेन्डरी के मामले में प्रथम पंच वर्षीय योजना में २८.३ लाख के खर्च का प्रोविजन था जिसमें से करीब १८ लाख ही खर्च कर पाये। वेटरनरी की ३० डिस्पेन्सरीज़ कायम की गईं, ६ चल चिकित्सालय चालू किये गये, ६ मास सेमिनिशन बनाये गये।१ वेटरनरी कालेज बीकानेर में स्थापित किया गया। इस बीकानेर के कॉलिज का जो वेटरनरी का एक मात्र कालेज है उसका बहुत महत्व है, इसमें दो तीन तरह के कोर्स रखे गये हैं, कम्पाउन्डर्स का कोर्स है, डाक्टर्स के डिप्लोमा का दो साल का कोर्स है, डाक्टर्स का ३ साल का कोर्स है। जो शिक्षार्थी इस कालेज से निकलेंगे वे राजस्थान की द्वितीय पंच वर्षीय योजना को पूरा करने के लिये जिसके कि टार्गेट्स हमने निम्न प्रकार रखे है, पूरा योग देंगे।

एनिमल हस्बेन्डरी का जो प्रोवीजन है वह पहले से ज्यादा है, इसमें ७५ नई डिस्पेन्सरीज बनाने की योजना है, ४५ की विलेज सेटर्स बनाने की योजना है, १२ मोबाइल्स डिस्पेन्सरी यूनिट्स बनाने की योजना है, ५ गौ सदन बनाने की योजना है और ३ केटल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाने की योजना है। इसके अलावा इसमें एक ऐसी डेरी का निर्माण करने की योजना है जिससे १५० मन दूध रोजाना जयपुर के लोगों को दिया जा सके। इसके साथ ही इस बात की योजना भी द्वितीय पंच वर्षीय योजना में है कि कम से कम ऐसी घी डेयरी का निर्माण किया जा सके जो साल में २००० मन घी राजस्थान की जनता को दे सके, इन बातों का प्रोविजन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है। एनीमल हस्बेन्डरी के मामले में २८ लाख का प्रोविजन प्रथम पंचवर्षीय योजना में था, उसको योजना के अन्तिम वर्ष में खर्च करने पर भी हम १८ लाख रुपया खर्च कर पाये थे, अब हमें उम्मीद है कि इस वेटरनरी कालेज से नये एक्सपर्ट्स हम मिल जायगें, तो हम अपने लक्ष्य की पूर्ति में ज्यादा रकम खर्च कर सकेंगे। इस

[श्री नाथूराम मिर्धा]

दिशा में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और जो टार्गेट हमने बना रखा है उस तक हम बखूबी पहुंच सकेंगे। रेंडर पेस्ट को बीमारी जो कि जानवरों का बड़ा नुकसान करती है, आयन्दा योजना में इस बीमारी को राजस्थान से नेस्तनाबूद कर दिया जाय, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का खास अंग है।

अभी मैंने बिजली, एनीमल हस्बेन्डरी और खेती बाड़ी के बारे में चर्चा की। इनके अलावा सड़कों का भी मुख्य आइटम था। राजस्थान में ट्रान्स्पोर्ट का बड़ा भारी महत्व है। राजस्थान में बहुत कम इलाकों में ट्रान्सपोर्ट के साधन थे। इससे एक दूसरे इलाके में जाने आने की सुविधा नहीं थी, माल एक दूसरे इलाके में नहीं जा सकता था, जहां एक इलाके से दूसरे इलाके में माल आ-जा नहीं सकता उस मुल्क की तरक्की होना मुश्किल होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में करीब ५ करोड़ रुपये का प्रोविजन ट्रान्स्पोर्ट के लिये था, यह पहली योजना के शुरू होते ही ढाई करोड़ का प्रोविजन था जो बढते बढते ५ करोड़ का हुआ। तो फिर मुझे इस बात को आपके सामने कहते हुए खुशी है कि राजस्थान सरकार के इस पी. डब्लू. डी. विभाग ने बड़ी सतर्कता से यह रुपया खर्च किया, इस ५ करोड़ की रकम के अलावा ५० लाख की और रकम इसके लिये थी, उस सब को ठीक तरह से हम खर्च कर पाये। इसका श्रेय पी. डब्लू. डी. विभाग को है कि साढ़े पांच करोड़ रुपया प्रथम पंचवर्षीय योजना में ठीक तरह से खर्च किया, सड़कों की बड़ी भारी तरक्की इन पांच वर्षों में हुई। इसका फल यह हुआ कि ४६७ मील लम्बी डामर की सड़कें, १२६७ मील लम्बी मेटल रोड, ५४१ मील लम्बी ग्रेवल की सड़कें, ६३ मील लम्बी फेअर वेदर सड़कें बनीं।

यहां द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस मद में ८६६ लाख का प्रोविजन है। इससे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे टार्गेट्स हैं वे इस प्रकार हैं कि करीब करीब सारे तहसील हैडक्वार्टर्स और जिला हैड क्वार्टर्स को मेटल रोड से जोड़ना चाहते हैं और ४२६४ माइल की नई नई सड़कें बनाना चाहते हैं, यह हमारी द्वितीय पंच वर्षीय योजना का टार्गेट है। और मुझे जिस ढंग से प्रथम पंच वर्षीय योजना पर राजस्थान सरकार ने जिस तरह इस मामले में काम किया है उसको ध्यान में रखते हुए, आशा है कि ८६६ लाख का यह प्रोविजन इन सालों में आसानी से पूरा हो जायगा और ज्यादा भी प्रोविजन कर पाते, हमारी राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए व केन्द्रीय सरकार द्वारा दूसरे कार्यों पर किये जाने वाले अलॉटमेंट को दृष्टि में रखते हुए, तो हम और भी ज्यादा खर्च करने को तैयारी में हैं और राजस्थान का स्थान इस कार्य को करने में अच्छी तरक्की पर है।

इसी तरह योजना का महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा। हमारे राजस्थान में प्रथम पंच वर्षीय योजना में इस शिक्षा के बारे में जब पहले पहल शुरू में प्लान बना था तो २८७ लाख का प्रोविजन था, १६७ लाख का प्रोविजन इसमें और बढ़ाया गया, इस तरह ४५० लाख यानि साढ़े चार करोड़ रुपयों का प्रोविजन प्रथम पंच वर्षीय योजना में शिक्षा के लिये था। इस प्रोविजन की

[श्री नाथूराम मिर्धा]

वजह से राजस्थान को बहुत लाभ पहुंचा है। शिक्षा में हमने बहुत तरक्की की है। कम से कम: ४४८० प्राइमरी स्कूलें इस योजना के तहत खोली गई हैं, २२४ मिडिल स्कूलें खोली गई हैं, ६६ हाई स्कूल्स, ८ इन्टर कालेज, २ डिग्री कालेज, २५ मल्टीपरपज स्कूल्स खोले गये हैं, एक सिविल इन्जीनियरिंग कालेज हमारे जोधपुर में बना है। इसकी वजह से प्रथम पंचवर्षीय योजना में जितना विस्तार हो चुका है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन्जीनियर्स, ओवरसियर्स और जितने टेक्निकलहैंड्स की, टैक्निकल स्टाफ की हमें आवश्यकता होगी, मैं आशा करता हूं कि ज्यादातर स्टाफ इस सिविल इन्जीनियरिंग कालेज से अगली पंचवर्षीय योजना में हम प्राप्त कर सकेंगे। उसकी हमें बहुत जरूरत है। उसकी वजह से आगे के सारे टेक्निकल, सिंचाई और बिजली के मामले ज हैं उनमें हमें और तरक्की करने का मौका मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के इस हेड में जो एचीवमेंट हुआ है उसका अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि ६ वर्ष से ११ वर्ष की उम्र के जितने बच्चे हैं राजस्थान में, उसकी टोटल पोपुलेशन के ३६.५ प्रतिशत जो बच्चे हैं आज स्कूलों में पढ़ने के लिये जाते हैं और शिक्षा-ग्रहण करते हैं। इससे हमारी राजस्थान की पब्लिक को बहुत बड़ा भारी लाभ हुआ है। द्वितिय पंचवर्षीय योजना में इस मद में करीब ९ करोड़ रुपयों का प्रोविजन है। पहली पंचवर्षीय योजना में ४॥ करोड़ का प्रोविजन था उसको बढ़ा कर अब ९ करोड़ रुपयों का प्रोविजन द्वितिय पंचवर्षीय योजना में किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष, अगर हम पिछली पंचवर्षीय योजना को देखें तो मुझे इस बात की आशा है की यह ९ करोड़ रुपयों का जो प्रोविजन इस मामले में रखा है, मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा पूरा खट सकेगा और इस ९ करोड़ के प्रोविजन से हमने टार्गेट रखा है वह है:

५००० प्राइमरी स्कूल्स

२५०० बैसिक स्कूल्स

२५० मिडिल स्कूल्स

५० एस. स्कूल्स

राजस्थान में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज: टीचर्स ट्रेनिंग के २० स्कूल्स और पोलो-टेक्निक के दो इन्स्टीट्यूशन को व्यवस्था हम इस ९ करोड़ से करना चाहते हैं, जो हमने इस द्वीतिय पंचवर्षीय योजना में रखी है।

माननीय उपाध्यक्ष, थोड़ी सी बात में जरूर मेडिकल प्रोग्राम के बारे में कहूंगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ८१.२५ लाख की व्यवस्था थी। उसकी तहत में हमने इम्पांटेन्ट काम किये

[श्री नाथूराम मिर्धा]

है और उसका परिणाम यह हुआ है कि बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए ज्यादा डिस्पेन्सरीज़, ज्यादा औषधालय और शफाखानों को बढ़ाने के लिए हमको जितने डाक्टरों की आवश्यकता होंगी हम इसी मेडिकल कालेज से जो हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कायम किया है वह द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में इसी कालेज से प्राप्त कर सकेंगे ।

इसके अलावा वाटर सप्लाई के लिए हमने काफी प्रयत्न किया । वाटर सप्लाई को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं: एक तो रूरल वाटर सप्लाई और दूसरा अरबन ।

रूरल वाटर सप्लाई में करीब १ करोड़ का प्रोवीजन था जिसको हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में ठीक ढंग से खर्च किया है । इससे करीब ५,००० नये कुओं का निर्माण हुआ । अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रूरल वाटर सप्लाई के हेड के नीचे करीब २॥। करोड़ रुपयों का प्रोवि-जन है । राजस्थान सरकार ने वाटर बोर्ड के बनने के साथ और राजस्थान में पंचायतों के चुनाव के बाद में जो काम की योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में चालू है उसमें कुछ धनी-मानी लोगों ने मोटरों आदि की व्यवस्था करके कार्य-कर्ताओं को मदद देकर काम किया, जिसका यह परिणाम है कि एक करोड़ रुपया जो हम खर्च कर पाये हैं उससे राजस्थान के लोगों को बहुत लाभ हुआ है और खासकर उन लोगों को जहां पर पानी की बहुत कमी थी और जहां लोगों को ८-१० मील से पानी लाना पड़ता था । वहां पर नये कुए खुदा कर, सेनिटरी वेल्स बनाकर जो सुविधा दी है उसके लिए राजस्थान के लोग जिनको पानी आसानी से उपलब्ध नहीं था वास्तव में सुखी हैं और दूसरे लोग जहां पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है वे लोग भी अन्दाज लगा रहे हैं कि जिन गांवों की बारी अभी तक नहीं आई उनकी बारी कब आवेगी ?

माननीय उपाध्यक्ष, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में करीब २॥। करोड़ रुपयों का प्रोविजन है और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान में जहां पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पर हम आगे कर पायेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं और मानता हूं कि राजस्थान के लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे ; खासकर वे लोग जिनको ८-१० मील से पानी लाना पड़ता है । वे लोग तो आजादी और स्वतन्त्रता को तभी जानेंगे जब उनको अपने गांव से आध मील पर ही पानी मिल जावेगा और उस समय उनकी खुशी का पार नहीं रहेगा ।

माननीय उपाध्यक्ष, हेल्थ और वाटर सप्लाई के बारे में प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो किया गया और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रोवीजन रखा गया है उसमें बहुत अन्तर है और जिस हिसाब से हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में खर्च किया है उसका अन्दाज लगाते हुए मुझे पूरी आशा है कि राजस्थान सरकार के पास जो यह पूरा मद २॥। करोड़ का है, उसको आसानी से ५ वर्षों में खर्च कर पावेगी ।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

इसके अलावा नये कस्बे और शहर जहां नल द्वारा पानी की व्यवस्था की जा रही है वे ४ के अलावा १० टाउन्स ऐसे हैं जहां नल द्वारा पानी की व्यवस्था; खास तौर से जोधपुर, जयपुर, कोटा और बीकानेर, ये बहुत बड़े शहर हैं जहां पर पोपुलेशन पिछले १० सालों में बढ़ी है और वहां पर राजाओं के समय छोटी पोपुलेशन के लिए पानी देने का प्रबन्ध था। मगर हमने आज बढ़ी हुई पब्लिक को पानी देने के लिए, पंपो को साफ करने और फिल्टर स्टेशन बड़े बनाने के लिए उसकी भी योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में आखिरी साल में बन चुकी थी और उसका इन चार बड़े नगरों में इम्पलीमेंट हो चुका था उनको पूरा करने का हमारा इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में टार्जेट है :

जयपुर ८२ लाख। जोधपुर ३४ लाख। बीकानेर ६२ लाख।

इस योजना को हम आने वाले ५ वर्षों में पूरा कर पायेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। उनके लिए नल की सप्लाई के ओर्डर हो चुके हैं, टेन्डर वगैरह हो चुके हैं। आने वाले अगले ५ वर्षों में आज जैसा अगर नोरमल समय रहा तो पूरा हो जावेगा।

इसके बाद माननीय उपाध्यक्ष, इसका जो महत्वपूर्ण अंग है वह समाज कल्याण विभाग है। इसको प्रथम पंचवर्षीय योजना में करीब ४२ लाख रुपया पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण के लिए खर्च किया गया। उनके लिए ९२५ स्कूलें और २२ छात्रावास खोले गये १५ बेसिक स्कूलों में। उसके बाद ४१५ मकान बनाये। १२७ रात्रि एडल्ट लोगों के लिए स्कूलें कायम की, उसके बाद ११ डिस्पेन्सरीज़ उन लोगों के लिए बनाई। करीब ३३,४०९ विद्यार्थियों को छात्रावृति इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में समाज कल्याण में हमने लोगों को दी। इससे वास्तव में इन जातियों को राहत मिली है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस मद के नीचे करीब २३९ लाख का प्रोविजन है। कहां ४२ लाख का प्रोविजन और कहां २३९ लाख का प्रोविजन! प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रोविजन और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रोविजन में बहुत बड़ा अन्तर है। इस धन–राशि में यह महकमा भी काफी दृढ़ हो चुका है और इसको हम आगे बढ़ावेंगे और चलावेंगे। इसलिए हमने यह टारजेट मुकर्रर किया है और वह आम तौर से पिछड़ी हुई जातियों के लोगों के कल्याण के लिए, गाड़िया लोहारों के लिए...

श्री भैरोंसिंह-(१६) माननीय उपाध्यक्ष, यह भाषण आप (श्री मिर्धा) लिखा हुआ पढ़ रहे हैं या...

श्री नाथूराम मिर्धा—यह तो आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ पढ़ रहा हूं या नहीं।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि मैं कुछ लम्बा बोल रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे श्रीमन् राज्यपाल के भाषण को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण था और जो कि हमारी राजस्थान विधान सभा के लिए प्रथम मौके पर डिलीवर किया गया था, उसके धन्यवाद के प्रस्ताव के रूप में कुछ बातें कह रहा हूं, इसी कारण ही मैं उन बातों को बहुत ही लम्बे रूप में कह रहा हूं। राजस्थान समाज कल्याण विभाग ने जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर पिछले साल काम किये हैं वह वास्तव में बहुत ही भलाई के काम हैं और लोगों का उससे बहुत भला हुआ है और इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनका जिक्र एक उपयुक्त जिक्र था जो कि हमें श्रीमन् राज्यपाल के भाषण में मिलता है जो कि इस सदन के सम्मुख कल ही दिया गया था।

इसके बाद में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे लिए यह योजना करीब ९७ करोड रुपये की है। इस रकम का करीब २३ पर्सेन्ट इस प्रथम वर्ष में खर्च करने का विचार किया था लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के फाइनेन्शियल रिसोर्सेज़ को और प्लानिंग कमीशन की सलाह को, हिदायत को ध्यान में रखते हुए यह टारगेट द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले साल में २३ परसेन्ट से घटाकर २० परसेन्ट का ही रखा है। इसलिए इस पहले साल के खर्च में करीब १९ करोड रुपया खर्च करने की व्यवस्था है और वह अलग अलग मदों में, अलग अलग तरह से, अलग अलग रीति से है। उनके डिटेल्स में और उनके विश्लेषण में मैं नहीं जाऊंगा इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो टारगेट रखा था और जिसको हमने बहुत हद तक अचीव किया है और जो खर्च के आंकड़े रखे थे उसमें से ८० परसेन्ट खर्च कर दिया है। हम इस योजना के बहुत अच्छे ढंग पर पहुंच गये हैं और आगे चल कर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो नींव रखी है वह काफी सुदृढ नींव है और अगर इसी लाइन पर हम आगे चले तो राजस्थान की जनता का जो वास्तव में भला होने वाला था वह इससे होने वाला है। सवाल यह है कि अब इस योजना को ठीक प्रकार से कार्यान्वित कराने के लिए जो भावनायें और जो जागृति इन पिछले पांच सालों में राजस्थान राज्य के जागृत क्षेत्रों में हुई है उस जागृति को उत्तरोत्तर कायम रखें और उस जागृति को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाकर राज्य की उन्नति करें। अगर इस जागृति को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलायें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। राजस्थान सरकार के जो केन्द्रीय विकास खण्ड हैं वे करीब राजस्थान राज्य की १।३ आबादी को कवर करते हैं। आगे आने वाले पांच सालों में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, हमारा यह टारगेट है कि हम राजस्थान राज्य के सारे इलाकों को इन खण्डों से कवर कर लें। राजस्थान में उन इलाकों को जिनको कि इन केन्द्रीय विकास खण्डों ने कवर किया है उन इलाकों की जागृति को देखें तो इसका अन्दाजा हमें इस बात से लग सकता है कि राजस्थान में ६५ दिनों के एक श्रमदान के टाइम में जो काम हुआ है उसमें राजस्थान की १।३ जनता ने, जो करीब ५६ लाख के हैं एक करोड़ से

[श्री नाथूराम मिर्धा]

ज्यादा का सम्पत्ति दान किया है। अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो हमको मालूम होगा कि राजस्थान की जनता इसके लिए कितनी कॉन्शियस है। राजस्थान की जनता इस योजना के साथ में जो सरकार की है और जो गांवों की तरफ से शुरू होकर गांवों को आगे बढ़ाना चाहती है, लोग भी उसके लिए काफी कॉन्शियस हैं। लोगों में काम करने की वृत्ति है और जिन इलाकों में यह योजना चलेगी यह जागृति ज्यादा से ज्यादा फैलेगी और हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरक्की से काम कर पायेंगे, ऐसी मेरी धारणा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में सेकिण्ड फाइव ईयर प्लान के जो कुछ आंकड़े और टार्गेट्स मैंने आपके सामने रखे हैं इनकी चर्चा माननीय राजपाल के भाषण में भी हमको मिलती है। यहीं इस साल की खास तौर पर चर्चा थी। राजस्थान में थोड़ी सी वर्षा हो गई और उसके बाद में जब वर्षा चालू हुई तो बहुत ज्यादा तादाद में हुई और इसके कारण खरीफ की फसल जो और वर्षा न होने से जल चुकी थी वह अधिक वर्षा होने के कारण से नष्ट हो गई। जिन थोड़े से इलाकों में कुछ फसल की जरूरत थी वह नष्ट हो गई, उसकी वजह से राजस्थान के कुछ इलाकों में जो हालत गुजरी राजस्थान सरकार ने उस हालत पर कन्ट्रोल पाने के लिए वहां के लोगों को सभी प्रकार की सहायता पहुंचाई। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की इस साल की बरसात की गति विधि से जो स्थिति राजस्थान के इलाकों में पैदा हुई है वास्तव में कुछ फेमिन की असर रखती है और इसके लिए हमने तीन चार महीने में जागृति से काम लिया है और उन इलाकों में जहां तक लोग अपनी नौकरी की खोज में या अपने गुजारे की खोज में जाने का इरादा करते हैं तो राजस्थान सरकार को फेमिन के कुछ काम जल्दी से जल्दी चालू करने चाहिये ताकि तमाम लोग जो नौकरी पाने के लिए या अपना गुजारा पाने के लिए बाहर जाने का इरादा करते हैं वे अपने ही इलाके में रह सकें और अपनी बसर का जरिया निकाल सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजपाल ने अपने भाषण में विश्व में मंडराये हुए काले बादलों का भी कुछ जिक्र किया है। मैं समझता हूं कि इस भाषण में इस चीज का भी जिक्र होना बहुत ही जरूरी था। हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना और हमारे प्रान्त की, हमारे प्रान्त की ही नहीं बल्कि सारे भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कामयाबी इस फैक्टर पर बहुत निर्भर करती है कि विश्व में शान्ति रहती है या नहीं। यह हमारी तरक्की के लिए और राजस्थान की तरक्की के लिए, जो कि हिन्दुस्तान का एक अंग है, जरूरी है कि हमारे देश में शान्ति रहे, विश्व में शान्ति रहे। जिन सामानों को बाहर से मंगाने की आवश्यकता है वह समय समय पर हमें मिलता रहे, उसके शिपमेंट में और उसके आयात में किसी प्रकार की तकलीफ न हो। इसी से हमारे देश में उन्नति हो सकती है। स्वेज नहर के छोटे से झगड़े से हमें नुकसान पहुंचा है। न केवल हमारे देश को ही बल्कि सारे देशों को इससे नुकसान पहुँचा है। मैंने सुना है कि हमारे बहुत से बिजली के सामान जो कि जहाज से स्वेज नहर में से आ रहे थे इस गड़बड़ी

[श्री नाथूराम मिर्धा]

की वजह से रुक गये हैं। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस बात का जिक्र माननीय राजपाल महोदय के भाषण में हुआ है मैं भी समझता हूं कि वह महत्व का अंग था। हिन्दुस्तान में अगर हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से कामयाब करना है तो यह विश्व शान्ति रहना अत्यन्त ही आवश्यक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं इस सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं और ऐसी बहुत सी बातें कहना चाहता हूं कि जो श्रीमन् राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कही हैं। मैं श्रीमन् राज्यपाल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी ही कृपा पूर्वक कष्ट करके इस सदन में हमें इस बात का ज्ञान कराया है कि राजस्थान किधर जा रहा है और उस तरफ ले जाने के लिए इस सदन की जिम्मेदारी किस हद तक है और हमें हर प्रकार से सहयोग राजस्थान सरकार को देना है, जिससे हम राजस्थान के लोगों को समृद्धिशाली बना सकें, उनको तरक्की पर ले जा सकें। इस बात की अपील माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में की है। मैं भी आशा करता हूं और आपके जरिये इस सदन के मेम्बरों को यह कहना चाहता हूं कि वे अपना पूरा सहयोग, जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना में दिया है और अब इस समय जब कि हम ज्यादा सुदृढ़ नींव पर है तो हमारा साथ बढ़ाकर पूरा सहयोग दें। श्रीमान् राजपाल ने जो भाषण दिया है वह वास्तव में ही हमें एक प्रकाश दिखाता है और इस प्रकाश में हमारी राजस्थान सरकार की तरक्की निश्चित ही है। इस बात की जानकारी हमें इस भाषण के जरिये माननीय राज्यपाल महोदय ने करायी है। तो जो माननीय राज्यपाल महोदय ने हमें जानकारी करायी है उसके लिए हमें अवश्य ही धन्यवाद देना चाहिये। मैं इतना ही कह कर अपना भाषण खतम करता हूं।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी--Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to second the motion of thanks moved by my predecessor on the floor, First of all, Sir, I feel that thanks are due to His Excellency the Governor for the very form of his address which was in refreshing contrast to the rather lenghthy addresses in previous years on similar occasions. Brevity, they say, is the soul of wit, and wisdom of this maxim was fully kept in view by the Governor in making his address to this House. In the matter of language, it has to be remarked that not only was it a chaste literary Hindi - again in contrast to the language used on previous occasions. which consisted of about 50 per cent English words and on many occasions made very strange reading. This time it was a very chaste literary Hindi, although the accent might have been a little exotic.

श्री बृजमोहन शर्मा—आप तो १०० पर्सेन्ट अंग्रेजी बोल रहे हैं।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी—The address of the Head of the State on such occasions is an account of the achievements of the Government for the outgoing

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

period and a statement of its policies for the ensuing year or apart of the year, and it is in this light that we have to examine, discuss and finally pass the motion that has been presented before the House. I feel that His Excellency the Governor was only voicing the SENTIMENTS and expressing the feelings of the vast majority of the people inhabitating this province over the inclusion of Mount Abu within the territory of the Rajasthan State. It is not necessary for me to recall all the facts connected with the transfer of Abu territtry from this province to the State of Bombay. Abu, as we all know, had been a part and parcel of Rajasthan since times immemorial, and it had geographical, historic, linguistic and cultural affinities with Rajasthan. In utter disregard of all that, some how as a result of an administrative order, Abu was transferred from Rajasthan State to Bombay. The local public resented the transfer very greatly. Demonstrations were staged and popular will was exhibited, which was resented by the State of Bombay and some over-zealous public servants had even, on some occasions, exceeded the limits of their authority and some incidents had taken place, which greatly pained us since we had firm attachment with the people of Abu. But we were helpless since the question of inter-statal propriety was involved, and even though great violence was used to curb the sentiments of the people of Abu, we were not able to render at that time effective assistance to our fellow citizens residing in that territory. Sir, this has been a singular triumph of the popular will when on the 1st November, the transferred territory of Abu was again ordered to go back to its parent State, and a long standing wrong was thus righted. This has finally convinced us that it is ultimately the truth and the righteousness of a cause which prevails... (Disturbance in the mike)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Can the disturbance be attributed to the Hon'ble Member who had the floor?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—I am unable to appreciate the wisdom of his remarks

श्री हरिकृष्ण व्यास—I sympathise with you.

श्री विश्वम्भरनाथजोशी(जारी) As regards Ajmer, I have to state that Ajmer was an enclave, surrounded on all sides by the Rajasthan State. The separate administration of Ajmer State created administrative problems for this unit and I feel that it will add to the administrative efficiency, now that Ajmer has been merged with the State of Rajasthan. So for it had always been a part of this State historically, culturally and in every other respect. In modern days it is not possible for a small

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

unit to continue as a viable economic unit and from this point also, the merger of Ajmer is a step in the right direction, and we think that in the matter of development activities as well as from the point of view of the interests of the residents of Ajmer it will be conducive to general welfare that Ajmer has now been merged with the State of Rajasthan.

It is one of the primary duties of a modern State or any State to ensure the safety of persons and property, and a Government which cannot discharge that responsibility cannot have any rightful claim for its existence. As we all know, conditions were created in the wake of partition of the country which made it possible for anti-social elements to thrive. During the years 1949-50 it was customary to come across reports of dacoities committed in various parts of Rajasthan, and at one period the problem of dacoity assumed such a large proportion and became such a grave menace to the law and order of this State that it looked as if the State was gradually and imperceptibly drifting into a sort of administrative anarchy. Now it is a matter of great satisfaction that most of the dacoity gangs operating in various parts have either been liquidated or finished since most of such dacoits have been apprehended, shot dead or converted to a better course of life, and today we can look back with confidence on the achievements in this direction which the Government has been able to bring about.

As regards land reforms, Sir, I have to say that today throughout the country need is being felt to augment agricultural production. New methods of cultivation are also being introduced, and all other measures are being adopted, but as long as the human problem of providing incentive to the tiller of the soil is not accomplished, it is not possible to effect any appreciable improvement in this direction, and I have to state that by creating all the necessary agrarian legislation and reforms that were necessary it has been made possible for the tiller of the soil to have fixity of tenure. Proprietory rights have been conferred on him. Inducement has been given for the farmer to make investments to effect improvement in the land, because now he knows that he is to be the master of his field and master of his will. This incentive was absolutely necessary. By the various agrarian measures that have been formulated and passed by this House it has been made possible to provide such an incentive which was lacking from the beginning. At the same time, Sir, valuable rights have been conferred on the tenants. They have been given right to construct over their fields and every type of improvements, They have been authorised to make without having to undergo lengthly procedures for obtaining permission and all that.

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

Regarding Jagir abolition, Sir, I have to state that in consonance with the policy of the Congress Government a very fair and reasonable compensation is provided to the Jagirdars of this State which was possible keeping in view the financial resources of the State and keeping in view also the market value of their possessions. It was also decided that this transition should be :brought about with the minimum disturbance and minimum human suffering. Therefore, a phased prorgamme of Jagir abolition was adopted in this State, so that only Jagirs above a certain income have been resumed and minor jagirs upto Rs. 1,000 have not been touched at all; because this would have created in the very beginning a big and tremendous problem of mass unemployment. In resuming Jagirs, the Government has to make certain administrative arrangements for keeping necessary land records and for discharging a number of duties which were formerly entrusted to the Jagirdars in their respective jagirs. Therefore it was only in the fitness of things that a phased programme should have been undertaken. As I have said, the intention of the Government has been to cause minimum human suffering and therefore, while, on the one hand a large amount of compensation has been paid, efforts have also been made to relieve unemployment caused by this measure by employing educated persons holding requisite qualifications. Provision has also been made for allotment of necessary land for personal cultivation to the former Jagirdars. Now by this very reform personal incentive has been given to the tiller of the soil. Such intermediaries who did not contribute in any way towards production and who were a superfluous intermediary link have been done away with. Now the tiller of the soil can expect to obtain reward of his labours without any exactions. As we all know, as long as the jagirdari institution was in existance, in the forms of various LAG BAGS etc. a substantial portion of his produce, was snatched away from the tiller of the soil to fill the coffers of the intermediaries, who were a sort of parasites. I feel there cannot be two opinions among persons who have no vested interests in the jagirdars regarding the policy of the Government. The out-moded, out-dated system had out-lived its utility long ago.

Coming to the Plan, Sir, I have to state that my task has been very considerably eased by my predecessor on the floor who has furnished the necessary facts, figures and statistics in support of his contention and who has, therefore, very considerably eased my task. But one thing of great satisfaction regarding the Plan is that the allotment under the Second Plan for the Rajasthan State happens to be the highest of similar allotments made in respect of any former Part B State. Rajasthan State has been allotted an amount of 96 crores and added to which the amount of Rs. 8 crores for the Ajmer, it now comes to 107 crores which is in excess of any similar

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

amount provided for any previous Part B State. From the view of per capita grant also the grant for Rajasthan happens to be perhaps the highest in India. Undoubtedly this increment is also due partly to the fact that the basis of the allotment for various States in respect of the Second Plan is rather different from what it was in respect of the First Plan. In the First Plan grants were made on the basis of contribution of each State for its own development, whereas in the Second Plan the ground of allotment has been the needs of that particular Province and since Rajasthan happens to be needy in every direction, the amount that has been given was properly justified. To a very considerable extent this augmented grant was also due to the very able efforts of the State Government which had presented their case in a very able manner and had convinced the Planning Commission of the various needs of the State of Rajasthan for development in the various walks of life.

(विरोधी पक्ष द्वारा 'हियर-हियर")

Regarding the Panchayats, Sir, I have the to state that Panchayats are a very vital agency of local-self-government and if we have to secure the participation of the people, which in India, mean the rural people, then the agency of the panchayats should be utilised to the largest possible extent and they should be made the channel of expenditure in the country side. Unless the Panchayats are made full use of, the success of the Second Plan will be doubtful. Now the Achilles heal of the Panchayats is their financial position. Regarding the financial position of the Panchayats, a right step has been taken and it has been decided that one anna out of every rupee of land revenue realised in the State would now be set apart for the Panchayats. It can be expected that with this augmented assistance the Panchayats will now be able to undertake development activities and other social amenity programmes which they were not able to implement so far. Also in community development blocks and national extension service blocks, specialists, persons having experience, special panchayat cum-agricultural officers are posted for giving guidance to the panchayats along right lines for securing participation and co-operation of panchayats in the various development activities and for fixing local targets and programmes of production and doing other development works. With these measures it can now be expected that the Panchayats will be able to play their part in the execution of the plan and implementation of the various development activities.

Regarding production, Sir, I have to submit that it has become absolutely essential in this country to enhance its production in every field of supply and in the matter of foodstuffs to the greatest possible extent. As we know about four to five million new babies are born in this country every year; about 4 to 5 million mouths

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

are added to the population each year which have to be fed. Besides this, Sir, I have to submit that since Government will have resort to deficit financing-deficit financing in the second plan is to the tune of about 1200 crores, it will naturally lead to an inflationary trend in the market. The prices of foodstuffs and of other necessary articles are bound to rise and it will make life very difficult and will create distress and difficulties in the day-to day living for the common man. If this inflationary trend is to be cut, if prices are to be stabilised, and if the ever increasing change in prices has to be effectively arrested, then it is absolutely essential that production must be increased so as to cope with the increased purchasing capacity. Unless this is done, it will make it very difficult for the plan to be completed within the financial resources which have so far been arranged for it, because a project which is estimated to cost about Rs. 40 lacs will cost 60, 70 or 80 lacs of rupees. Therefore, our entire plan and the entire planning will be thrown out of gear. In order to avoid this situation, it is absolutely essential that production, especially agricultural production, should be increased to the fullest possible extent. Now the incentive that was necessary for it has been provided for it and other measures that are necessary, as enumerated in the Governor's Address, are also being taken up. Modern manure is being spread, improved seeds are being distributed in the rural areas and co-operative farming is also being encouraged. In this respect the Agriculture Department is playing a useful role and some of the Government farms are giving practical demonstration to the farmers regarding the methods of scientific cultivation. With all this we expect that it would be possible to reach our targets fixed for production of agricultural commodities for the Second Five Year Plan.

In the matter of industrialisation I feel, Sir, that during the past five to seven years the record of the Rajasthan Government has been quite impressive. For future we are to have large number of factories and mills and I think that if all the industrial concerns enemerated in the Address of His Excellency, the Governor are opened within due dates then Rajasthan would be self sufficient particularly in sugar, cement and would even be able to export large quantities outside the State.

In the sphere of Cottage Industries I would like to point out that there is a record-breaking progress made. Amber Charkhas were produced and also distributed in the villages and I believe that the yarn produced by hand spinning in rural areas at present is twice or thrice the total produce during each of the last two or three years.

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

Now, Sir, perfection, as you know is not to be looked for in human arrangements there are also certain shortcomings and certain handicaps to which I would like to draw the attention of the House. In the sphere of education we are enduring the same educational policy. The education must be useful and it should be harmonised with the needs of a free country. It was designed in the past for a dependent country. In order to cater to the existing requirements the educational policy requires a radical change. Such a change has not come so far and efforts are being made to have necessary changes in the field of education. Mere change of text books cannot be regarded as change of policy. And in this field we must concede that it has not been possible to achieve progress or advance as may have been expected during past five years. The difficulty in this particular sphere can be summed up and that is that ane ducational policy can be effective only in consultation with the Centre and the Provincial Governments and no state should be allowed to formulate an isolated policy and therefore, for revision of education policy and radical reforms a Commission has been entrusted with this job which is studying the educational policies of the States, which has toured the various States of the Country and formulated certain policies. It is thoroughly studying the recommendations received from the Central Government and the States and a changed policy which has been awaited so far has not yet been received but will be coming shortly.

In the field of Medicine I would like to draw the attention of the House that there is a very satisfactory increase of allopathic dispensaries and Ayurved dispensaries in the rural side of the country. Another question of policy that is taken up is the question of integrating the systems prevailing at present, the Indian system of medicine and the allopathic system of medicine.

As we know the Indian system of treatment, the Ayurved and Unani, are very cheap and are easily affordable. One can easily & conveniently come across with Vaids and Hakims at remotest places where the qualified doctors and nurses and compounders are not found as they can be found in the cities. But there are handicaps. For instance research and anti-septics, are not known to the ancient systems, and therefore, important policy discussion will have to be taken regarding the extent to which these systems are to be retained and where to adopt the native system of medicine, and the role to be assigned to the Western adopted system which is more expensive and whether the Government can amalgamate or integrate both the systems. This is a matter of detail for the Government to think and the Government is to decide it.

Further, Sir, I have to state that whereas there has been an adaptation with the changed circumstances and changed conditions of the societies among the

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

majority of senior officials, but as regards lower officials such a change of outlook is felt and is yet to come in full scale. The public servants must regard themselves as servants of public and the previous attitude reminiscent of feudalistic pattern, reminiscent of Maharajas who were not responsible to the popular legislature, that attitude must be but in entirety by the public servants from bottom to the top. Now it is unfortunate that local officials, like patwaries, police constables with whom the great masses have the contact have not changed their outlook, whereas the change of the outlook is essential for the establishment of the new society and if it is not accomplished it cannot be made known to them that a new age has come with regard to the rural areas. They must see that a change has come out in this country. But if this is to be, and if the spirit of service is to be inculcated among the lower officials, the people at the top have a duty to discharge and they should take it in right earnest.

Now, Sir, in democratic countries the bye-elections and out-come of bye-elections are always regarded as indicating trend of the public opinion. And so from the out-come of the bye-election of Rajasthan in between the two genera elections we would be able to know which way the wind is blowing.

The policies and the programmes of the Congress Government of Rajasthan have time and again been endorsed by the verdict of the electroate as has been witnessed in the case of nearly each and every bye-election that was held in the State. Such an impressive record of continuous bye-election victories will be very difficult to come across in any other State in India as we have been able to produce in the case of Rajasthan where the Congress Party has been able to win every one of the Parliamentary bye-election seats and with the exception of one every one of the Assembly bye-election seats......

श्री भैरू सिंह [१६]—These were bye...[inaudible]

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी—These were elections.

श्री हरिकृष्ण व्यास—These words were repeated by the Hon'ble Member himself.

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी—I feel, Sir, that the Members are trying to close their eyes to the writings clearly written on the wall, but the facts cannot be ignored. This is a reality, a harsh reality, but this reality ultimately they have to face. The Opposition in the Rajasthan State Assembly from the very beginning have, unfortunately, adopted a barren policy of criticism—criticism only for the sake of

Page No.60

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

criticism, and as I have said before, Sir, it has very harshly recoiled on them. We recollect that in the beginning of the life of the present Assembly we had started our legislative career with an equal in strength with opposition. The strength of the Congress was 81 and the strength of the Opposition was 79, and and when we see today wes find that many of their own comrades in the rank of Opposition have deserted them; and this is only on account of their barren and futile policy. There at least you have to see the effect of their futile and barren policy. Their own comrades have deserted them because they did not want to account for their wrong course. If they continue to persist in their barren policy they are bound to be disowned by the electroates of Rajasthan as some of their comrades have been disowned in the bye-election. This is in their own interest and in the interest of the people of the Province that they should clearly see the writings on the wall. I have to submit, Sir, that this is only to recount the achievements of the Government of the party to which I belong. But, Sir, the policies and programmes of this Government have time and again been endorsed by the public opinion as has been expressed clearly by giving votes in favour and in support of the policies and programmes of this Government.

Now, Sir, as I had said earlier, my learned friend on the floor had very considerably eased my task. He has furnished facts and figures. He had dealt with all the achievements of the Government. In the end I will say that not only the Congress Government has fulfilled its election pledges, not only the Govenment has made good of its pledges and promises to the electorates which were contained in the Congress Election Manifesto, but it has also achieved during the course of last 4-5 years in every respect a good amount of progress in every department of the administration, and, Sir, I can say that the Congress can now very well look forward with confidence.

श्री भैरूंसिंह—बार बार कांग्रेस का नाम क्यों लिया जाता है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Because the Government is Congress Government, and because the Opposition is in the habit of condemning the achivements of the Congress Government.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Which Congress are you referring ? There are number of Congresses.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—There is only one Congress.

श्री भैरूंसिंह—कौन सी ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—With all these achievements, Sir, I have to submit that the record of the Government is highly satisfactory. It has been a record of great achievements and it is a record of very formidable task performed, and, Sir, the address as regards an account of past deeds, it was a record of highly satisfactory services rendered and as regards the statement of future policy, it was a statement containing great promises and containing also vast potentialities for the future. And, Sir, with these observations and in view of all that I have stated just now I commend this motion of thanks to H. E. the Governor to the unanimous support and final adoption by, this learned House.

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय,मैं तो यह सोच कर आया था कि हमारा राजस्थान जो है उसमें अजमेर वगैरह मिल-मिलाकर एक विशाल राजस्थान बना है, और इसीलिये इस विशाल राजस्थान में अब की बार का जो सत्र है वह एक महत्वपूर्ण सत्र है, और इसीलिये राज्यपाल का भाषण भी होगा वह एक विशाल भाषण होगा। उस विशाल दृष्टीकोण को मन में रखते हुए जब देखा कि साढ़े छः पेज का, दिल से निरुत्साहित होकर दिया गया भाषण है और उसके बाद जब उस पर विचार किया तो मालूम हुआ, देखा-पढ़ा तो मालूम हुआ, कि उसमें तथ्यों की दृष्टि से बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल गोलमाल करके तथ्यों को ऐसा रख दिया गया है कि ऐसा विचार हो कि बहुत कम लोग बोलें उस पर। यदि धन्यवाद उस राज्यपाल के भाषण पर दिया जाय तब तो मैं कहूंगा कि यह बड़ी विचित्र बात होगी। अभी प्रस्तावक महोदय ने इधर उधर से ढूंढ़-ढ़ाढ़ कर बहुत कोशिश करके कई तथ्य लाकर सप्लीमेंट करने की कोशिश की। यदि उन्हें धन्यवाद दे दिया जाय तो कोई एतराज की बात नहीं हैं कि उन्होंने राज्यपाल के भाषण को सप्लीमेंट किया है, परन्तु राज्यपाल के ६—६।। पेज का एड्रेस जो है उसको देखते हुए धन्यवाद खर्च करना मेरे खयाल से एक बहुत बड़ी उदारता होगी।

अब राजस्थान जो एक विशाल राजस्थान बना है उसकी बहुत खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन मैं यह समझता हूं कि विशालता की उपादेयता शासक की योग्यता पर है। इसलिए केवल यह कहना कि बडा बन गया है इसलिए विशाल हो गया है, बहुत बड़ा इलाका हो गया है, इस बात से खुशहाली हो जायगी, इस बात से जीवन-स्तर ऊंचा हो जायगा, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। योग्य शासक के लिए सारा हिन्दुस्तान एक हो सकता है, और अशोक और अकबर के जमाने में बहुत अच्छा शासन हो सका था। उस समय एक बहुत बड़ा राज्य था। आज एक योग्य शासन में राजस्थान ही नहीं, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान भी एक हो तो उसका शासन अच्छी तरह से संपादित हो सकता है, जीवनस्तर कुछ ऊंचा उठे और लोगों में खुशहाली आये। लेकिन जिस योग्यता से प्रशासन, आज हमारा सतारूढ़ दल, यह सतारूढ़ पार्टी कर रही है, उस योग्यता से मुझे निराशा ही होती है। अभी तक तो जो थोड़ा थोड़ करके राजस्थान के इलाके थे उनके साथ ही मैं

Page No.62

[श्री तनसिंह]

था और अब अजमेर का और भी दुर्भाग्य होगा कि वह इस योग्य, जिसके आगे मैं प्रश्न सूचक चिन्ह लगा सकता हूं, सरकार के सामने, उसके हाथों में आया। कहा जा सकता है कि बहुत से वायदे किये गये हैं अजमेर के लिए, और शायद अजमेर वाले इस बात से खुश हैं कि एकीकरण होने के बाद में जो वायदे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अजमेर को दिये हैं कि हम वहां की जो सर्विसेज़ हैं उनका पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे और साथ हो साथ उनको उस समय जो सेलेरी मिलती थी या जो तनख्वाहें मिल रही थीं वे राजस्थान में वैसी की वैसी मिलती रहेंगी। लेकिन दुविधा उस समय होती है जब कि प्रस्तावक महोदय यह कह रहे थे कि वे सब ओफिशियेटिंग जोब्स पर थे, लेकिन हम सतत् प्रयत्नशील हैं। मैं तो, जब एक ओर इस प्रकार का आश्वासन दिया जाय वे सभी उतनी ही तनख्वाह पा सकेंगे यह कठिन है, और दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा इस प्रकार उसका खंडन किया जाय, यह समझूंगा कि यह एक तरह की प्रवंचना है। जहां तक वायदे का सवाल है, मैं यह कहूंगा कि जितनी मशहूर यह सरकार वायदे करने और दूसरी ओर उन्हें भुलाने में है वैसी कोई दूसरी सरकार नहीं हो सकती। केन्द्रीय सरकार के लिये भी हम इसी तरह की बात कह सकते हैं लेकिन यह सरकार तो अपने हाथ से लिखे हुए कागज और अपने द्वारा किये वायदों को स्वयं भुला सकती है और सदन के फर्श पर अस्वीकार कर सकती है तो आम सभा में दिये वचन क्या वकत रख सकते हैं ?

जहां तक अजमेर शहर का प्रश्न है, मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान बनने के बाद दूसरी राजधानियों की जो हालत हुई है उससे बढ़कर अजमेर की हालत होगी ऐसा अंदाज मैं नहीं लगा सकता क्योंकि ऐसा कहा गया था कि राजस्थान बनने के बाद पुरानी राजधानियों की गरिमा को वैसा का वैसा बनाया जायगा। लेकिन हमें जो अनुभव हुआ है उसके आधार पर यह कह सकते हैं कि जो स्थिति उन पुरानी राजधानियों की पहले थी उससे आज की उनकी स्थिति बदतर है। उसको देखते हुए यह हो नहीं सकता कि जो अजमेर पहले राजधानी था उसकी तरक्की उसी प्रकार से होती रहेगी जैसी पहले होती थी।

अभी बहुत बड़ी बात हमारी सुरक्षा की समस्या पर कही गई और ऐसा बताया गया और आंकड़ों की इस प्रकार की जादूगरी बताई गई कि जिससे यह समझा जा सके कि कोई ऐसा आदमी राजस्थान में न रहनेवाला सोच सके कि राजस्थान सरकार सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा कदम उठा रही है। राज्यपाल महोदय के भाषण में बतलाया गया कि २६०० डाकुओं को लिक्विडेट किया गया। इससे मालूम होता है कि बहुत सुधार किया गया है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह पुलिस की चतुराई मात्र है। उसकी चतुराई इसमें नहीं कि डाकुओं को वास्तव में खत्म किया गया या अपराध रोके गये लेकिन चतुराई इसमें कि मामूली मुकदमों को भी इस तरह दर्ज किया जाय कि कोई डकैती का मुकद्मा दर्ज नहीं हो। मैं उदाहरण दे सकता हूँ डकैती के मामलों के बारे में। जिन मामलों को डकैती कह सकते हैं वैसे मामलों को वहां से हटा कर उनकी जगह छोटे मामले दर्ज किये गये। जहां डाकुओं की संख्या २६०० बताई गई उसमें मैं बताऊंगा कि

[श्री तनसिंह]

कैसे कैसे डाकू शामिल हैं । एक बार मेरे गांव के पास एक आदमी ने बकरियें चुराईं और उसने पहली बार चुराईं उसको पकड़ा गया और दूसरे रोज यह बात अखबारों में आई कि बाड़मेर का एक मशहूर डाकू पकड़ा गया है । यदि यह बात हो कि जिसका मुकद्दमा जेर दफा ३६५ में दर्ज किया गया है वह भी डाकू माना जाय तब तो दूसरी बात है, वरना डकैतियों में कोई कमी नहीं आई है । कहीं पर डाके नहीं पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है । बोर्डर इलाके के लोग डाकुओं से संत्रस्त हैं । २६०० डाकुओं को पकड़ने की संख्या तो बताई गई लेकिन साथ ही यदि यह बतलाया जाता कि कितने डाकू नहीं पकड़े गये हैं तब पता चलता कि वास्तव में कितने डाकुओं पर हमने कामयाबी पाई ।

जहां तक पुलिस की बहादुरी की तारीफ राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में की है मैं उस तारीफ से सहमत नहीं हूं । मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि राजस्थान की पुलिस का यदि कांपिटिशन किया जाय कि सारे देश में ब्राइबरी में या रिश्वत लेने में कौन बढ़ा हुआ है तो शायद राजस्थान की पुलिस का स्थान प्रथम रहेगा । यहां कि पुलिस ने आज तक गांवों में जो रवैया अपना रखा है उसको यदि आप जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि यहां आजादी का जनराज्य नहीं है, बल्कि पुलिस का भय और आतंक चारों ओर फैल रहा है । मैं उदाहरण के लिये बताऊं कि अभी प्रस्तावक ने कहा था कि सुरक्षा की स्थिति अभी तक ठीक नहीं है और अभी जागीरदार डाकुओं से मिलकर चुनाव पर असर डालने का प्रयास कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि असल बात तो यह है कि इधर बैठनेवाले ऐसी छोटी छोटी बातों को अपनाने में इतने सिद्धहस्त नहीं हैं जितने उधर बैठने वाले हैं । यदि डाकुओं पर असर डालने का श्री गणेश हुआ है तो उधर से ही हुआ है । उधर बैठनेवाले लोगों ने ही सांचोर के एक डाकू से समझौता किया है और उसने आम लोगों में घूम कर काम किया । यदि यह कहा जाय कि डाकुओं से चुनाव का काम लिया गया है या लिया जा रहा है तो यह उधर की तरफ से ही लिया गया है । इसके विपरीत यदि यह कहा जाय कि डाकुओं से हम काम ले रहे हैं तो यह गलत है । सरकार चाहती है कि आनेवाले इलेक्शन में जो लोग आ सकते हैं उनको दबाकर रखा जाय । एक तरीका है, उन पर किस प्रकार लांछन लग सकता है और उनको किस प्रकार फंसाया जाय, उसके लिये मैं बताना चाहता हूं कि एक योजनाबद्ध काम हो रहा है । बाडमेर के एक इलाके में एक वर्ग विशेष के थानेदार भेजे गये हैं उन्होंने एक निश्चित योजना के अनुसार काम किया है । हो सकता है कि जहां कांग्रेस का प्रभाव कम है वहां पुलिस से काम लिया जाता है । एक सज्जन हैं जिनका प्रभाव एक क्षेत्र विशेष में बहुत है, उनको जान-बूझ कर प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के अंदर फंसाना चाहते हैं । उसके अनुसार काम शुरू किया गया है । मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि समय आयगा उस समय वे लोग जेलों में होंगे । जब चुनाव होगा तब उनको जेलों में ठूंसा जायगा क्योंकि सरकार चाहती है कि उनसे जो नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा उनसे उसको बचाने के लिये यही अच्छा मार्ग है कि जब चुनाव का समय आवे उससे पहले उनको जेल में डाल दिया जाय । यदि पुलिस

[श्री तनसिंह]

का यह स्तर है और पुलिस से यह काम लिया जाय और फिर उसकी बहादुरी की तारीफ की जाय तो मुझे कहते हुए संकोच होता है और लज्जा आती है।

पुलिस की बहादुरी की मिसाल मैं देना चाहता हूं। एक स्थान पर एक डाकू का पुलिस से मुकाबला हुआ। मुकाबले में आर, ए. सी. की प्लेटून के साथ में पुलिस के दस्ते भी मौजूद थे लेकिन सिर्फ अकेले डाकू ने डिप्टी सुपरिटेन्डेन्ट ओफ पुलिस को मार डाला और एक दूसरे सिपाही को घायल कर दिया। बहादुरी का कहां तक जिक्र करूं वह अकेला डाकू बच कर भाग गया। अकेला डाकू पुलिस के मोजिज अफसर को मार कर निकल गया। मेरे साथ भी एक घटना घटी। भूस्वामी आन्दोलन के समय एक घटना घटी। उस समय पुलिस की योग्यता की बात कहता हूं। मुझे ढूंढने के लिये दांता हाउस में पुलिस आई। मैं पास ही खड़ा था लेकिन मुझे नहीं पकड़ पाई। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि उनकी हिम्मत जनानखाने में जाने की नहीं हुई। मैं उनकी बातें सुन रहा था पास ही में खड़ा हुआ। वे लोग मुझे नहीं देख पा रहे थे। एक कह रहा था कि मुझे अकेले को जाने में डर लगता है। चार पांच आदमी साथ होने चाहियें। निशस्त्र आदमी को ढूंढने के लिये ५-७ आदमियों को बुलाया गया। एक निशस्त्र आदमी को पकड़ने के लिये भी हिम्मत नहीं हुई तो ऐसा मौका शायद ही कभी आयगा कि जहां डट कर मुकाबला होने की संभावना हो वहां हमारे पुलिस के बहादुर डटे रहें। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि डाकुओं का दल इसलिए है क्योंकि हमारे यहां की पुलिस अयोग्य है और निकम्मी है। यह कहा जाता है कि इतने डाकुओं को खत्म किया गया है, इसमें कोई पुलिस की बहादुरी नहीं है, इसमें डाकूओं की बेवकूफी हो सकती है। जो डाकू सामने होकर मुकाबले में पड़ जाय, पुलिस के चंगुल में फंस जाय, वहां पुलिस उसको अपने बचाव के लिए पकड़ लेती है। लेकिन पुलिस की बहादुरी वहां होती है इसका उदाहरण मैं आपको दूं। कुछ अरसे पहले गोविन्ददेव जी के मन्दिर में चोरी हुई थी। उपाध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा, कि उसमें करीब १५०० आदमियों की तफ्तीश की गई थी। तफ्तीश का क्या मतलब हो सकता है? जिनका पुलिस से सम्पर्क रहा है वह जानते होंगे कि तफ्तीश का मतलब यह होता है कि सैकड़ों, हजारों गरीब आदमियों को पकड़ लिया जाता है और उनको पीटा जाता है। वह भी हम कह सकते हैं कि उन गरीब आदमियों को पीटने की उन्होंने एक फेक्ट्री खोल दी होगी। मैं आपको बताऊं कि वह चोरी मामूली नहीं थी, इसलिए उन पर ऊपर से दबाव आता होगा और यह कहा जाता होगा कि यहां की पुलिस निकम्मी है, इतनी अयोग्य है कि चोरी का पता नहीं लगा सकती। यहां की पुलिस ऐसी है कि यदि यहां के गरीब आदमियों को उसके द्वारा मारा पीटा जाय तभी चोरी का पता लगा सकती है। यहां की पुलिस की विशेषता यह है कि यहां पर कन्फेशन के बाद तफ्तीश की शुरुआत होती है, बुरी तरह आदमियों को मारा-पीटा जाता है। इसके विपरीत मैं आपको बताऊं कि स्कोटलैंड यार्ड की पुलिस की विशेषता यह है कि वहां तफ्तीश का अंत कन्फेशन मे होता है। वहां कन्फेनश से तफ्तीश की शुरुआत नहीं होती है। इतना अन्तर है हमारे यहां की पुलिस में और

[श्री तनसिंह]

वहां की पुलिस में। इतना होते हुए भी यदि यह मान लिया जाय कि अच्छे आदमियों के साथ साथ बुरे आदमियों को भी पीटा जाता है और उस पीटने से शायद वे चोरी मान भी लें, पर मैं यह पूछना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, उस चोरी का क्या पता लगा? आज यहां जयपुर में पुलिस का हैड क्वार्टर है, यहां पर आई० जी० पी० और डी० आई० जी० पी० रहते हैं पर फिर भी एक चोरी का पता नहीं लगता है। इसके अलावा यहां पर १०००, १५०० आदमियों की मार पीट होती रही है, किन्तु फिर भी पता नहीं लगा। मैं समझता हूं जिस पुलिस की बहादुरी की, वीरता की हम बात करते हैं, वर्णन करते हैं, वह सिर्फ एक बात है। दरअसल यहां की पुलिस में योग्यता नहीं है और वह इस राजस्थान के इस नये ढांचे में, इस राजस्थान के लायक नहीं है कि वह काम चला सके।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के साढ़े छः पेज के भाषण में, जिसको कि उन्होंने आधे घंटे में पढ़ा, एक पेराग्राफ उन्होंने पूरा जागीर समस्या पर दिया है। हम बड़े आभारी हैं कि उन्होंने एक पेराग्राफ तो दिया इस विषय में उसके बाद प्रस्तावक महोदय ने इस समस्या पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कुछ सुझाव अपने दिये। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने बताया कि हमारे यहां की जागीरें अपने ढंग की अनोखी हैं। मैं इसमें कुछ शब्द और जोड़ना चाहता हूं कि जैसी अनोखी राजस्थान की जागीर समस्या है, वैसी ही अनोखी राजस्थान सरकार की नीति इस समस्या को हल करने की है। हमारे दर्द होता है, उसके कारण हम चिल्लायें, और हल्ला मचायें, पर दवाई दी जा रही है तीसरे को। दो दफा आन्दोलन हुए भू-स्वामियों के, किन्तु हम कान में तेल डाल कर सो रहे हैं और सोचते हैं कि वे बेकार में हल्ला मचाते होंगे। जब कमेटी बनाने की बात होती है, कोई सुझाव देने की बात होती है, वहां भू-स्वामियों को पूछने की बात नहीं है। इस पर कहा जा सकता है कि भू-स्वामी उस समय लड़ने के लिए उतारू थे। मैं आपको बताऊं कि उनके दर्द था, इसलिए वे चिल्लाते थे। लेकिन इसके लिए कुछ कहते हैं कि यह केवल चुनाव स्टन्ट था। मैं तो इसके लिए यह कह दूं कि इस समस्या को न सुलझाना सरकार का एक चुनाव स्टन्ट है। जो सरकार आज मौजूद है वह बाद में भी सरकार बनी रहना चाहती है, इसलिए सत्ता को बनाये रखने के लिए इस समस्या को एक लम्बे अर्से तक बिना सुलझाये रखना चाहती है। इसमें उनका स्वार्थ है अन्यथा कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं कि इस समस्या को इतना लम्बा बढ़ाया जा रहा है।

अभी प्रस्तावक महोदय ने एक बात कही कि भू-स्वामी फोर्म नहीं भर रहे हैं इसके कारण उनको हार्डशिप होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्योंकि इस समस्या को लम्बा नहीं करना चाहते हैं इस कारण उनके लिए निश्चित अवधि हो जानी चाहिए जिसमें वे फोर्म भर दें और यदि वे फोर्म नही भरें तो उनको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो वे उत्तरदायित्व हमारा मानते हैं, जो चीज हमसे एक्सपेक्ट की जाती है, जो बात हमसे वे कराना चाहते हैं, अच्छा हो, वे कम से कम कुछ अपने ऊपर भी उत्तरदायित्व लें। सरकार के लिए क्या ही अच्छा होता

[श्री तनसिंह]

कि प्रस्तावक महोदय यह कह देते कि फोर्म भरने के बाद पेमेन्ट के लिए कोई निश्चित तारीख होनी चाहिए कि उस तारीख तक पेमेन्ट हो जाने चाहिये। आज कितना अर्सा हो गया कुछ लोगों को अभी तक कम्पेन्सेशन नहीं मिला। फिर इसी में जबरदस्ती कैसे हो ? कुछ आशा तो हो। कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आपस में सहमति नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होने समझौते में पढ़ कर अपनी जागीरें समाप्त करने का निर्णय किया और उन्होंने अपने फोर्म भरें, फिर मैं कोई कारण नहीं समझता कि उनको कम्पेन्शन नहीं मिले। मैं जानता हूं कि जो यह २ करोड़ की बात बतलाई गई है, यह भी कब हुआ है, जब भू-स्वामी संघ बहुत बुरी तरह से जयपुर और सारे राजस्थान के ऊपर छाने लगा, जब जल्दी में दो करोड़ रुपया मंजूर हुआ। यदि इसमें कुछ गलत है तो अभी जब माननीय मंत्री के उत्तर का समय आयेगा, तब वें बतायेंगे कि यह दो करोड़ रुपये की मंजूरी कब हुई है ? यदि यह बात नहीं है तो फिर इसके साथ में यह चीज क्यों नहीं बताई गई है कि दो करोड़ रुपया कितने लोगों को दिया गया। १ हजार की जागीरें रिज्यूम की गई, उनमें कितनों को यह दो करोड़ रुपया तकसीम हुआ। कुछ जागीरें १० लाख की भी होंगी और इससे ज्यादा की भी जागीरें हो सकती हैं, उनकी किश्तें भी काफी बडी हो सकती हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दो करोड़ रुपयों का खर्चा है वह कितने जागीरदारों को दिया गया, कितने लोगों को दिया गया। छः हजार जागीरों का पुनर्गठन करने के बाद तो कुछ स्पष्टीकरण हो सकता है। सन् १९५४ में जो जागीरें रिज्यूम हुई थी और सन् १९५६ में जाकर उनको पेमेन्ट हो और फिर उसको किश्त क्या है ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्योंकि अवधि निश्चित होनी चाहिए, हम फोर्म भर कर दें तो क्या सरकार का यह उत्तरदायित्व नहीं कि उसका जल्दी ही पेमेन्ट करने की कोशिश करे ? यदि आज तक फोर्म भर कर देते महिने में, दो महिने में तो सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि पेमेन्ट करने का प्रयास किया जाता ? स्थान स्थान पर ऐसे काम होते तो मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि आज यह समस्या इस रूप में नहीं होती क्योंकि हमारा मुंह बन्द होता। आज हम कह सकते हैं कि हमारा पुनर्स्थापन नहीं किया गया गया। मैं समझता हूं कि जो चीज साफ दिखाई देती है उसके लिए कहना पड़ता है, चाहे उसको कितना ही छिपायें, वह छिप नहीं सकती। मैं समझता हूं कि यह छिपने वाली बात नहीं है।

दूसरी बात प्रस्तावक महोदय ने कही कि किश्तें खुदकाश्त की वसूल नहीं हो रही हैं इसलिए जितनी जल्दी हो सके वसूल किया जाय अन्यथा उसमें कई काम्प्लीकेशन होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ये किश्तें बढ़ती जायंगी और एक साल, दो साल में और बढ़ जायेगी तो फिर कम्पन्सेशन में काटना पड़ेगा, इसलिए अच्छा हो वह जल्दी वसूल की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९५४ में जागीरें ले लीं पर अभी तक उनके पुनर्स्थापन की कोई निश्चित योजना नहीं है और उसके ऊपर यह तुर्रा कि तुम्हें देने को कुछ नहीं है, पर जो कुछ काश्त करते हो उसका लगान दे दो। यह एक नीति है हमारी सरकार की, इसके साथ ही दूसरी नीति है, उपाध्यक्ष महोदय, कि सांप चला गया है, उसको तो पीटते ही थे, वह चला गया है तो उसकी जो लकीर है

[श्री तनसिंह]

उसको भी पीटते हैं। यह कांग्रेस सरकार की नीति है और इसी पर कांग्रेस जिन्दा है। जो जागीरें खत्म हुई हैं, वे एक हजार के नीचे की रही हैं। जागीरदार जो हैं, उनके लिए कहा जाता है कि वे डाकुओं से मिले हुए हैं और यह चुनाव पर असर डालेगा। मैं समझता हूँ कि यह भावना है सरकार की। यदि यह भावना है सरकार की तो इस समस्या को सुलझाना बहुत मुश्किल है क्योंकि समस्याओं को सुलझाने में सद्भावना की जरूरत होती है। यदि यह भावना जगीरदारों के प्रति है तो कोई वजह नहीं कि वह जल्दी नहीं सुलझे।

अब इसके बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस समस्या को सुलझाने के सरकार के प्रयास पर भी प्रकाश डालूंगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिन पर इस समय विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन दो एक ऐसी बातें हैं जिन पर मैं अवश्य प्रकाश डालूंगा।

अभी पिछली बार भूस्वामियों का आन्दोलन हुआ, उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिन परिस्थितियों में, बल्कि मैं तो स्पष्ट कहूँगा कि यह कांग्रेस के चोटी के नेताओं का सुझाव था कि इस समय स्थिति को आपको कन्ट्रोल करना चाहिये और आपको चाहिये कि आप इस देश में शान्ति बनायें। हो सकता है कि हम उनकी दूसरी बातों से सहमत नहीं हों पर हमने कर्तव्यनिष्ठा से प्रेरित होकर उस आन्दोलन को बिना शर्त के बन्द किया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि यह जरूरी नहीं कि आप कहें वह मैं मानूं ही जो मेरे हित की बात वह आप कहें वह मैं मानूं, पर जो बात आपके हित में हो और उसको यदि मैं आपके कहने पर मानता हूँ तो निश्चय ही उदारता की बात है यह आपके हित का प्रश्न था, आपके हित की बात थी उसको भूस्वामियों ने माना और बिना शर्त के आन्दोलन खत्म किया। सरकार को चाहिये था कि सद्भावना का ऐसा वातावरण तैयार हुआ है था उसमें भूस्वामियों को बुलाकर उनसे पूछतो तो सही कि तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हारी समस्या हो तो हमारे सामने रखो। पर ऐसा नहीं किया गया। फिर भी मैं आशा करता हूं कि अभी भी कोई देर नहीं हुई है, प्रयत्नशील हैं तो शायद इसका परिणाम निकलेगा। अगर सच्चे हृदय से चाहते हैं कि इसका परिणाम निकले तो अवश्य परिणाम निकलेगा। पर जैसा कि रवैया सरकार का रहा है हमेशा से, उस रवैये के प्रति बड़ा संकीर्ण दृष्टिकोण लेकर चलना पड़ता है।

सरकार का हमेशा यह रवैया रहा है कि भले ही जनहित हो या न हो, अपना हित करें और अपने हित के लिये भूस्वामियों को बलि पर चढ़ाया जाय तो यह अन्याय है। कांग्रेस की पार्टी में मतभेद हो सकता है पर उसकी आपसी पैंतरेबाजी में हमें एन्टेन्गल किया जाय, एक दूसरे के विरुद्ध जो दांव पैंच हों उनमें हमें बीच में लाया जाय यह हमारे साथ अन्याय है, जनता के उस महत्वपूर्ण अंश पर बड़ा भारी अन्याय करना है। आपको उस दृष्टिकोण को अपने दिमाग को साफ करके इस समस्या पर अपना दिमाग लगाना चाहिये और यदि ऐसा करते हैं तो कोई कारण नहीं कि यह काम होता नहीं है।

[श्री तनसिंह]

कुछ इस प्रकार की बातें भी चल रही हैं, इसलिये मैं इस विषय में ज्यादा कहना उचित नहीं समझता ।

श्रीमान् राज्यपाल ने, प्रस्तावक महोदय ने और अनुमोदक महोदय ने जो बातें बताई उनमें मोटी बात यह बताई है कि हमने बड़ी बहादुरी से, बड़ी फुर्ती से इतनी बड़ी रकम खर्च की है । मैं बताऊं उपाध्यक्ष महोदय, कि बहुत जल्द खर्च करना, बहुत अधिक खर्च करना यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिये धन्यवाद दिया जा सके । बचत करना दूसरी बात है, और खर्च करना दूसरी बात है । प्रस्तावक महोदय ने कहा कि २५ करोड़ रुपया था, १२ करोड़ रुपया पिछले तीन साल में खर्च नहीं कर सके, वह १२ करोड़ रुपया इस सरकार द्वारा एक साल में खर्च किया गया, उन्होंने जो कहा मैं उसका यही मतलब समझा । यदि इस पर वह चाहें कि हम उनको धन्यवाद दें तो मैं इसके लिये तैयार नहीं हूं, क्योंकि हम देखते हैं किस तरह खर्च हो रहा है, जो खर्च करने पर ही तुला हुआ हो वह रुपया हर तरह से खर्च कर सकता है, सड़क पर भी डाल सकता है । हमारे यहां विकास कार्यों में, जल बोर्ड के कार्यों में, जहां उम्मीद की जाती है कि अधिक से अधिक लोगों का हित है उसमें रुपया खर्च किया जाय वहां तो मैं मानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च हो वह ठीक है, पर जिस तरीके से रुपया खर्च हो रहा है उससे तो यही अच्छा है कि प्रेस को ही कह दें कि गलती करके एक दो बिन्दियां आगे और बढ़ा दें ।

अभी बताया गया कि इतना रुपया खर्च किया गया, राज्यपाल महोदय ने, इन छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया यही बताया कि इस तरह विशाल राजस्थान बना, प्रस्तावक महोदय ने उसको सप्लीमेंट करके आंकड़े पेश किये हैं, उन आंकड़ों के बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, हम तो इन आंकड़ों को प्रमाणित तभी मानते जब कि उन्होंने अपने भाषण में इन आंकड़ों का उल्लेख किया होता ।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आंकड़े बहुत प्रामाणिक हैं योजना के बारे में यह किताब छपकर निकली है उसमें ये सब आंकड़े हैं ।

श्री तनसिंह—मेरा ख्याल यह था कि आप भाषण दे रहे थे पर अब मालूम हुआ कि आप किताब ही पढ़ रहे थे, ऐसी प्रति मेरे पास भी पड़ी होगी, उसको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं तो व्यवहारिक रूप में देखता हूं कि कितना रुपया किस ढंग से खर्च हो रहा है ।

तो केवल यह बात कहना कि हमने इतना रुपया खर्च कर दिया है इसलिये बधाई के पात्र हैं यह युक्ति संगत नहीं और न उचित ही है । इस वक्त का खर्च करना विशेष उद्देश्य से भी हो सकता है । दुनियां की भलाई के लिये ही खर्च करना होता तो आज से चार वर्ष पहले आपको इस प्रकार खर्च करने से कौन रोकता था । अब जब कि चुनाव के बादल मंडरा रहे हैं और आपको भय लग

[श्री तनसिंह]

रहा है कि जिन कुर्सियों पर बैठे हैं उन पर रह सकेंगे कि नहीं, इसलिये अन्धाधुन्ध खर्च कर रहे हैं यह तो आपने अपने स्वार्थ के लिये, अपने दल के स्वार्थ के लिये, अपने दल के और अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिये खर्च किया है। जनहित के लिये खर्च किया होता तो पहले खर्च किया होता। इस समय पर खर्च कर रहे हैं यह तो कोई विश्वास की बात नहीं यह तो उल्टे अविश्वास की बात है।

इसके साथ में यह भी मानी हुई बात है कि जल्दी में खर्च करने की दशा में जो सतर्कता बरती जानी आवश्यक है वह नहीं बरती जा सकती और जो हर एक एक्सपर्ट उस योजना को अच्छी तरह से देख सकता है, यह योजना उससे वंचित रहेगी हीं। और ऐसी दशा में जल्दी खर्च किया गया है, ज्यादा खर्च किया गया है इससे हमारे राजस्थान का विकास हुआ है, इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूं।

अन्त में माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने बहुत खींच तान कर इन ६ पेजेज़ में से बहुत कम तथ्य पाया है......

श्री मथुरादास माथुर—खींचने से किताब फट गई होगी ?

श्री तनसिंह—नहीं फटी नहीं है, कुछ पहले छोड़ दिया है कुछ बाद में छोड़ दिया है। इसमें लिखा है कि:—

"इस साल पहली बार सरकार तीन करोड़ रुपये के ऋण के लिये सार्वजनिक क्षेत्र में पहुँची और केवल तीन घंटों के अन्दर ही ऋण की मात्रा आवश्यकता से अधिक पहुँच गई।"

उपाध्यक्ष महोदय, तीन करोड़ रुपये के ऋण के लिये सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में पहुंची और तीन घंटों में तीन करोड़ रुपयों से ऊपर ऋण पहुंच गया, तब तो वाकई में हम कहेंगे कि यह सरकार बधाई की पात्र है, तीन साल में योजना बनाई और तीन घंटों में ही तीन करोड़ का ऋण एकत्रित कर लिया।

श्री मथुरादास माथुर—यह जादू का कड़ा है।

श्री तनसिंह—तीन करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हो गया आपको तीन घंटों में, यह बाद एक्सप्लेन करेंगे तभी पता चलेगा। अगर यह किया गया है तब तो वाकई में ही जादू किया होगा।

तो माननीय उपाध्यक्ष, इन छः, साढ़े छः पेजेज़ पर कोई तथ्य की बात नहीं आई, कोई आंकड़े नहीं दिये गये, सब गोल माल बातें कही गई हैं। हां, आंकड़े देने का प्रस्तावक महोदय ने

[श्री तनसिंह]

कष्ट किया है मगर मुझे इन आंकड़ों पर जाने की जरूरत नहीं। मुझे तो राज्यपाल के उस अभिभाषण पर जाने की जरूरत है और उनको धन्यवाद देने के बारे में विचार करना है न कि प्रस्तावक ने जो प्रस्ताव रखा है उनको धन्यवाद देना है। यदि राज्यपाल के भाषण पर हम धन्यवाद देने के लिए खड़े होते हैं तो हमें सोच लेना चाहिये और एक से अधिक बार सोचना चाहिये कि इतने छोटे भाषण पर, जिसमें एक भी आंकड़ा नहीं, अगर ऐसा ही करना है तो आप करें मगर मैं तो इसका विरोध ही करता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष,.........

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों को एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नर के भाषण पर बोलने का समय जो है वह तो आपको लिस्ट ऑफ बिजनेस में मालूम है और कई व्यक्ति इस पर बोलना चाहेंगे। समय कम है और अधिवेशन छोटा होनेवाला है। इसलिए जो बोलनेवाले हैं वे अपना विचार करके थोडे में सब बोलें ताकि थोड़े से व्यक्ति सब समय न ले लें और उनके अलावा जो बोलना चाहें उनको समय न मिले। इसलिए खास खास व्यक्तियों को विशेष समय दिया जा चुका है। अब जो सदस्य बोलें वे प्रयत्न यह करें कि १५ मिनट में ही अपने भाषण को समाप्त कर दें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, आपने बताया कि खास खास व्यक्तियों को समय दे दिया गया, इससे एक नई जानकारी भी हुई कि इस सदन में सदस्यों की दो, तीन या चार केटेगरीज़ भी हैं। खैर जितनी भी हों। कल राज्यपाल महोदय का छोटा सा भाषण हमने सुना और आज धन्यवाद के, प्रस्ताव के समर्थन में बहुत लंबा भाषण मेड़ता से आनेवाले माननीय सदस्य का सुना। मैं समझता हूं कि भाषण में जिन चीजों का जिक्र हुआ है उनकी ओर संकेत करने से पहले कल इस सदन में राज्यपाल का आगमन हुआ इस बात पर हम सबको खुशी जाहिर करनी चाहिये। इतने दिन जो राजस्थान (ब) श्रेणी के राज्यों में और जिसकी वजह से एक विशेष व्यक्ति राज्य के हैड के रूप में राजप्रमुख के रूप में रहते, मगर अब इस प्रथा का अंत होकर संविधान के अंतर्गत ब्युरोक्रेसी के तौर पर और विधान के तौर पर राज्यपाल बना और हमारे यहां राजस्थान 'अ' राज्य बना और 'अ' राज्य की प्रणाली में आया, यह तो खुशी की बात है। और दूसरी ओर आबू और अजमेर व सुनेल, इन क्षेत्रों के जो नुमायन्दे आज हमारे बीच आये हैं मैं समझता हूं, जैसा राज्यपाल महोदय ने कहा, हम सबको आपस में मिल कर खुशी मनाना और आपस में बधाई देना हम सबका कर्त्तव्य है और मैं इस माने में राज्यपाल महोदय की बात से पूरी तरह सहमत हूं।

राज्यपाल के भाषण में एक और चीज का संकेत किया गया है और वह है माननीय उपाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो आज बन रही है कि युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है और भारत

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

की ओर से विश्व में शान्ति का प्रयत्न किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि वह भी दुरुस्त बात कही गई है। बल्कि कहा तो यह जाना चाहिये कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध एशियाई एकता के लिए समूचे भारत की ओर से भारत सरकार का कार्य हो रहा है वह संतोष का विषय माना जाना चाहिए और खुशी की बात मानी जानी चाहिए, क्योंकि इस वजह से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ ही है और बढ़ेगी अगर इसी तरह की नीति अपनाते जावेंगे।

अब जो मूल रूप से भाषण प्रस्तुत हुआ है, मैं उसके एक और पहलू की ओर संकेत करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि यह भाषण न सिर्फ अत्यन्त असन्तोषजनक ही किन्तु डिसएपोइन्टिंग है और कुछ कुछ माने में तो मैं कहूंगा कि क्लमज़ी (clumsy) है, तो उचित होगा।

जिस प्रकार की नीति शासन कर्ता की ओर से बरती जा रही है उससे भी यह पाया जाता है कि राज्य सरकार की ओर से भी लाइट हैन्डेड रूल बरता जाता है। अभी विधान सभाई कार्य के प्रति कल या परसों हम देख चुके हैं। एक घटना हुई, मैं कानूनी बातनहीं जानता हूं लेकिन एक घटना हुई कि अध्यक्ष के चुनाव के आदेश का नोटिस शाया करने के कई दिन बाद ३० तारीख को विधान सभा सचिवालय में आया। कितनी जिम्मेदारी विधान सभा के सचिवालय की रही। मैं समझता हूं कि यह एक गंभीर बात है और सरकार को सोचना चाहिये। क्या वजह है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी उनकी नींद नहीं उड़ती। बहुत देर तक कार्य पूरा नहीं होता। इसी तरह की बात भी भाषण के ड्राफ्ट करने में हुई है। मैं आपका ध्यान राज्यपाल के भाषण के पेज ६ की ओर आकर्षित करूंगा। पेज ६ का ओपनिंग पेराग्राफ है उसमें : "खादी और ग्रामोद्योग के क्षेत्रों में हमारा काम काफी आगे बढ़ चुका है। अम्बर चर्खे राज्य में काफी तादाद में बनने लग गये हैं तथा काफी तादाद में परिश्रमालय खोले जा रहे हैं।" इसके पहले यह कहा गया है कि छोटे उद्योगों के क्षेत्र में भी ठीक उन्नति हुई है। मैं नहीं समझता हूं कि यह किसी विषयको उल्लेख करने का कैसा जिम्मेदाराना तरीका है? हर चीज काफी हो रही है। चर्खे भी काफी तादाद में बनने लग गये हैं। परिश्रमालय भी काफी हैं, काम भी काफी है। उन्नति भी ठीक है। इन विषयों के प्रति इस प्रकार लिखना राज्य सरकार की नींद मालूम होती है। यही कारण है कि यह भाषण डिसएपोइंटिंग और क्लमज़ी (clumsy) है। होना तो यह चाहिये था कि जिन धारणाओं में हम गुजर रहे हैं, जिन घटनाओं में गुजर रहे हैं, उन घटनाओं और धारणाओं का जिक्र किया जाना चाहिये, या जो कार्य पिछले ४ या ५ वर्षों में किया गया है उसका सिंहावलोकन किया जाता, मगर मैं समझता हूं कि उनमें से एक भी बात नहीं आई। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है जिसका मैं जिक्र करूं और जिसका जिक्र समर्थन करने वालों ने संकेत रूप में किया। भारत सरकार की ऑल इन्डिया कांग्रेस कमेटी के अन्तर्गत इस चीज का उल्लेख है कि आज देश में कीमतें बढ़ती जा रही हैं, नाज के भाव बढ़ रहे हैं। उसके लिये भारत सरकार को खेद है। लोगों के दिमाग में प्रतिक्रिया हो रही है। लोगों को बड़ा ताज्जुब हो रहा है और अफसोस हो रहा है। यही हाल राजस्थान का है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

भारत सरकार ने इसके लिये सस्ते अनाज का प्रबन्ध किया है और शायद टूटी फूटी हालत में राजस्थान सरकार ने भी इसका प्रबन्ध किया है। मगर मैं यह कहूंगा कि जो प्रबन्ध किया है वह मेरी निजी राय में ना काफी है। इससे देश में गम्भीर स्थिति पैदा हो रही है। मैं यह कहूँगा कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में १२ सौ करोड़ का डेफिशिट है, जिसका यह प्रभाव है। इस पर भी भारत सरकार की तरफ से अभी Capital gain and excess profit Tax और लग्ज़री के सामान पर कर बढ़ाने के लिये दो नये बिल इन्ट्रोड्यूस हो चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष, इतनी बड़ी गम्भीर समस्या है, भावों के बढ़ने की, उसका कोई इसमें उल्लेख नहीं है।

मैं यह कहूँगा कि फाइनेन्स कमिशन के बारे में जो जिक्र है वह ना काफी है। आखिर हमें यह मालूम होना चाहिये कि राजस्थान सरकार क्या चाहती है? क्या विधान सभा में बहस चाहती है या अनुमोदित कराना चाहती है? जिन चीजों का निर्णय हो चुका है उनकी क्या प्रगति हुई है? जिनका निर्णय होना बाकी है उसके बारे में क्या किया जा रहा है? आप यह कहते हैं कि मेमोरेन्डम तैयार है। मैं यह कहूंगा कि यह राजस्थान के एक एक नागरिक के लिये बहुत महत्व पूर्ण चीज है। इसलिये इसका जिक्र इसमें होना चाहिये। राजस्थान की विधान सभा को चिन्ता हो रही है कि मेमोरेन्डम तैयार कर लिया मगर क्या तैयार किया गया? हनुमानगढ़ की फैक्ट्री में पीछे रह गये उस तरह से दूसरे मामलों में भी न हो जावे और कहीं बहुत सी बातों से वंचित न रह जावें। मैं नहीं समझता कि सरकार तरफ से इस सम्बन्ध में क्या रुख अपनाया जा रहा है।

बीसियों ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका उल्लेख इस राज्यपाल के भाषण में किया गया है, वह ठीक हैं मगर मैं यहां एक छोटी सी चीज का जिक्र करूंगा। वैसे तो वह बात बहुत ही छोटी है मगर उससे मालूम हो जायगा कि सरकार के कार्यों में कितनी प्रगति हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक विकास समारोह मनाया गया। वैसे विकास समारोह और दूसरे समारोह समय समय पर मनाये ही जाते हैं लेकिन मैं इसका इसलिए जिक्र कर देना जरूरी समझता हूं कि उसके अन्दर भी मुझे वही चीज़ मिली जो कि मुझे आज यहां देखने में आरही है। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि दूसरी जगह क्या स्थति थी? राजस्थान में द्वितीय पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में विकास समारोह मनाने का आयोजन किया गया। वैसे मैं भी वहां गया था और गया इसलिए था कि वहां जाकर देखूं और सुनूं कि क्या क्या हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि जोधपुर के कमिश्नर महोदय ने उसका उद्‌घाटन किया। उसके अन्दर घुसने के बाद मुझे वहां केवल चार स्टाल देखने को मिलीं। इन चार स्टाल के अन्दर पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट के पब्लिकेशन की, एक स्टाल थी स्कूलों की, एक स्टाल थी चूड़ियों की और एक स्टाल थी वहां के स्थानीय बुनने वाले बादलों की। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे यहां कैसे काम किया जा रहा है। इन पांच सालों के बूते पर विकास समारोह मनाया जा रहा था। इस प्रकार के कार्य को देखकर कौन कह सकता है कि राजस्थान में कुछ काम हुआ है। मेरा मतभेद कई बातों के बारे में है न केवल मेरा ही बल्कि मेरी पार्टी का भी मतभेद

Page No.73

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कई बातों बारे के में है और मैं समय समय पर इन बातों को सदन के सामने और सरकार के सामने लाता रहा हूं। जो बातें गलत हो रही हैं उनको वास्तव में दुरुस्त किया जाना चाहिए। लेकिन मैं आप से ठीक कह रहा हूं कि जिन लोगों ने भी इस विकास समारोह को देखा वह बड़े ही उदासीन प्रतीत होते थे। जो कुछ भी भारत सरकार के दृष्टिकोण से और आज सरकार के दृष्टिकोण से उद्योगों की ओर भारत को आर्थिक स्वतन्त्रता दिलाने की ओर एवं जो कुछ भी कार्यों के बारे में कदम उठाये गये हैं वह विकास समारोह के ऊपर आंसू बहा रहे थे। मैं इसको वैसे एक गैर जिम्मेदारी की बात नहीं मानता मगर इस को एक इनएफिशियेन्सी की बात मानता हूं। मैं अभी अधिक बातों के बारे में नहीं कहूंगा क्यों कि समय का अभाव है लेकिन फिर भी मैं कुछ बातों का उल्लेख करूंगा। इतना ही नहीं मैं आपसे कहूं कि यहां एक प्रकार से कापीबुक एटीट्यूड लिया जा रहा है। राजस्थान के विकास के बारे में यदि गम्भीर रुख लेना है तो यह कापी बुक एटीट्यूड से काम चलने वाला नहीं है।

इस अभिभाषण में अम्बर चर्खे का भी उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख किया जाना ठीक भी है और मैं मानता हूं कि देश के लिए इस अम्बर चर्खे का एक अलग ही महत्व है, लेकिन यदि वास्तव में योजना की दृष्टि से हमें सोचना है तो What we need is a wool Ambar (charkha) यहां अगर अम्बर चर्खे के स्थान पर बड़े उद्योगों के बारे में उन्नति की बात सोची जाती तो यह एक बहुत बड़ी उन्नति का आधार बन सकता है, लेकिन उसका भी इस अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है, उसकी ओर संकेत ही नहीं है। मैं और बहुत सी बातों का उल्लेख करना चाहता हूं लेकिन समय की दृष्टि से मैं समझूंगा कि शायद उनका उल्लेख आवश्यक नहीं है। फिर भी कुछ बातों का जिक्र कर देना मैं जरूरी समझता हूं और यह बातें वास्तव में बड़ी ही आश्चर्यजनक हैं। यहां मैं खास तौर से एक चीज का जिक्र कर देना ठीक समझता हूं और वह है म्युनिसिपल बिल के बारे में। म्युनिसिपल बिल इस विधान से पास हुआ बताते हैं उसे अभी तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली है जब कि उसको यहां से पास हुए ही कई महीने हो गये। मालूम नहीं पड़ता कि वह कहां पर रुका रहा और कहां पर पड़ा रहा। इसके बारे में मैं आपसे कहता हूं कि गम्भीरता से सोचने और विचारने की आवश्यकता है। समाचार पत्रों में यह खबर आई है और जहां तक इसके बारे में मेरी जानकारी है वह ठीक है कि जो बिल मई और जून के महीने में पास हुआ वह राष्ट्रपति के पास ठीक समय पर न जाने के कारण स्वीकृति प्राप्त न कर सका। यह वास्तव में सरकार की कितनी बड़ी गैर जिम्मेदारी है, न जाने वह बिल कहां पड़ा रह गया? तो ऐसी भी स्थिति हुई है। इतना ही नहीं बल्कि दो दिन पहले खुद राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने एक स्कीम का उद्घाटन किया था और वह स्कीम थी मजदूरों के सम्बन्ध में, उनके सिलसिले में जो कि सच्ची मेहनत करते हैं। यह स्कीम थी हैल्थ इन्श्योरेन्स की। एक चीज है वह दुरुस्त होनी चाहिए। यह वर्ग एक बहुत बड़ा मेहनत करने वाला वर्ग है और इसकी क्या क्या समस्यायें हैं उसके बारे में इस अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके प्रति सरकार ने उदासीनता बताई है। राजस्थान सरकार ने एक मिनिमम वेजेज़ कमेटी मुकर्र की थी उसके ऊपर आम फैसले हुए और

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अभी हाईकोर्ट ने सारी की सारी कार्यवाही रद्द कर दी और इससे मजदूरों को बड़ा भारी नुकसान भुगतना पड़ रहा है, इसकी ओर इसमें किसी प्रकार का भी संकेत नहीं है। सूती मिलों के मजदूरों के बारे में कम से कम तनख्वाह की कमेटी की रिपोर्ट बनी उसके अन्दर यह कहा गया कि मामले पर जल्दी ही कार्यवाही होगी लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है, इसकी ओर भी कोई संकेत नहीं है। उस कमेटी की रिपोर्ट आई है या नहीं, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान के यह मेहनत करने वाले लोग हैं इनके बारे में भारत सरकार ने यह कहा है कि इनके लिए लेबर कोर्टस मुकर्रर करें, वह एक्ट भी पास हुए कई महीने हो गए हैं लेकिन उसके ऊपर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है और न ही इस बात का इस राज्यपाल के भाषण में कोई जिक्र है। तो इसका सम्बन्ध एक बहुत बड़े तबके से है।

इसके साथ ही मैं आपको एक बात और कहूं कि मार्च के महीने में सरकारी नौकरों की तनख्वाहें बढ़ाने की योजना थी उसके बारे में मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हुआ है और जो आश्वासन दिये गये थे वह सब वैसे के वैसे पड़े हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि जो कुछ भी माननीय राज्यपाल के भाषण में कहा गया वह वस्तु स्थिति से भिन्न है।

अब चन्द मिनटों में जो मुख्य मुख्य बातें कही गई हैं, इस भाषण के अन्दर उनके बारे में मैं कुछ शब्द अर्ज कर दूं। इस भाषण के अन्दर राजस्थान के और अजमेर राज्य के विलीनीकरण के बारे में भी कुछ कहा गया है। इस भाषण में कहा गया कि इन्टीग्रेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही गलतबयानी हमारे सामने की गई है। हकीकत तो यह है कि अजमेर राज्य के सरकारी कर्मचारी जो राजस्थान में आये हैं उनकी स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है और मैं समझता हूं कि यह किसी भी हालत में वांछनीय नहीं गिनी जानी चाहिये। राजस्थान और अजमेर के एक दूसरे से मिलने से पहले हमारे माननीय मुख्य मन्त्री ने इस सदन में कहा था कि अजमेर राज्य के कर्मचारियों को जो तनख्वाह मिल रही हैं उनको जो इमाल्युमेन्ट्स मिल रहे हैं वह सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जो कुछ भी हो रहा हैं उससे मुझे सन्तोष नहीं हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए मैं नहीं कह सकता। उनके वेतन में जो कटौती हुई है उससे लोगों को बड़ा भारी असन्तोष हुआ है। कईयों के बगैर किसी कारण के ट्रान्सफर कर दिये गये हैं, इसको दुरुस्त किया जाना चाहिये। इतना ही नहीं बल्कि इन्टीग्रेशन करना है तो ठीक तरह से करना चाहिये। कुछ लोग जो छोटे दर्जे के थे उनको ऊंचे दर्जे पर फिटइन किया गया है। इन्टीग्रेशन जब हो ही गया है तो वहां के विद्यार्थियों की मांग है कि उनकी फीस राजस्थान के स्तर पर लाना चाहिए तो उसे भी दुरुस्त करना आवश्यक है। इस माने में अगर सही पूछा जाय तो अभी भी यह काम बहुत कमजोर स्थिति में है और उसकी ओर ध्यान देना जरूरी है।

लॉ एन्ड ऑर्डर का भी जिक्र किया गया है। इसकी स्थिति में सुधार तो अवश्य हुआ है लेकिन फिर भी जिस तरह के आंकड़े प्रस्तुत करके एक काम्प्लीसेन्ट तरीका अभी हमारे सामने रखा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

है वह ठीक नहीं है। अभी अभी पिछले दिनों की बात है धौलपुर के नजदीक आठ मील की दूरी पर एक जगह पर डाका हुआ। पिछले सप्ताह में केवल धौलपुर में चार बार डकैती हुई। सिवाना तहसील में पिछले दिनों तीन महीनों में तीस-पैंतीस डाके की वारदातें हुई जिसमें हरिसिंह का गैंग काम कर रहा है, ऐसी सूचना है; इससे वहां के लोगों के अन्दर अशान्ति का वातावरण फैल गया है। मैं समझता हूं यह जो शिकायत है कि वहां पुलिस का इन्तजाम नाकाफी है मेरे खयाल से पुलिस का इन्तजाम नाकाफी और नाकाबिल भी हो सकता है किन्तु इसके अलावा एक और चीज है जिसमें किसी हद तक पुलिस की साजिश भी और सम्मिलित षडयन्त्र का भी भास होता है। जहां तक डाकुओं की समस्या है, जनता के जानमाल की समस्या है एक स्मगलिंग की भी समस्या है जिस ओर भी राजस्थान सरकार को ध्यान देना है। हमारा प्रान्त पाकिस्तान के बोर्डर से लगा हुआ है। पाकिस्तान बोर्डर से स्मगलिंग का काम बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है जो एक दिन खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है. खास तौर से बाड़मेर के क्षेत्र से। इतना ही नहीं मैं इस प्रस्ताव के समर्थक महोदय से पूरी तरह से सहमत हूं कि आज ऐसे भी तत्व राजस्थान के अन्दर मौजूद हैं जो इस प्रकार का वातावरण तैयार करने के लिए प्रयत्नशील हैं अपने राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। मैं समझता हूं, कुछ महीनों में हम देखेंगे कि लॉ एन्ड ऑर्डर की समस्या राजस्थान के अन्दर नम्बर वन समस्या बन जायगी, जहां तक किसानों का ताल्लुक है।

एक चीज और है जिसका भी मैं जिक्र कर देना आवश्यक समझता हूं, जिसका इस सदन में कुछ अर्से पहले जिक्र भी हो चुका है, पिछले डेढ़ वर्ष पहले एक चिट्ठी यहां पेश की गई थी, मेरे द्वारा नहीं, जिस चिट्ठी का उल्लेख एक अखबार में हुआ था जिस चिट्ठी का संबन्ध उधर बैठने वाले एक महत्व पूर्ण व्यक्ति से है?

एक माननीय सदस्य—वे कौन व्यक्ति हैं?

श्री हरिकृष्ण व्यास—कुम्भाराम जी। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय यह कहा गया था कि जो चिट्ठी अखबार में प्रकाशित हुई है वह जाली है और इसी सिलसिले में मुकद्दमा भी दायर किया गया दो तीन दिन हुए उस मुकद्दमे में इस हद तक तो फैसला हो गया कि चिट्ठी जाली साबित नही हुई, सारी साबित हो गई। जहां तक जालसाजी का आरोप था वह तो हटा लिया गया। अब केवल मानहानि का मुकदमा चल रहा है, वह सब-जुड़िस हैं। उस संबन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। यह देखने की बात है कि यदि वह चिट्ठी सही है, मान हानि का प्रश्न तो अलग है चिट्ठी का संबन्ध एक प्रमुख व्यक्ति से है तो मै राजस्थान की सरकार से यह चाहूंगा कि वह इस ओर भी ध्यान रखे। उन संबन्धित माननीय सदस्य ने कल वा परसों अदालत में भी कहा था कि विधान सभा में भी उनके एक दो विरोधी सदस्य हैं जिनमें मेरा भी नाम है और एक उधर बैठने वाले माननीय सदस्य का भी।

(घंटी)

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का केवल जिक्र लॉ एन्ड ऑर्डर की दृष्टि से ही कर रहा हूं। इसे भी लॉ एन्ड ऑर्डर की समस्या के अंग के रूप में लिया जाय।

एक विशेष बात का उल्लेख जो कि प्रस्ताव के समर्थन करने वाले माननीय मित्र ने किया, उन्होंने कहा कि राजस्थान का टीनेन्सी एक्ट भारत के अन्य प्रान्तों के टीनेन्सी एक्ट के मुकाबले बहुत प्रगतिशील है। मैं तो इतना ही कहने के लिए तैयार हूं। इस टीनेन्सी एक्ट का जहां तक स्टेन्डर्ड है उसके लिए मैं इतना ही कहने के लिए तैयार हूं विभिन्न रियासतों के समय में उनके कार्यकाल के समय में चाहे वह मेवाड़ हो, जोधपुर हो, या जयपुर हो उन रियासतों के कार्यकाल के समय में जिस प्रकार का टीनेन्सी एक्ट बनाया गया उसे हम आज के एक्ट से प्रगतिशील कह सकते हैं और था। अगर आप प्रगतिशीलता का ही परिमार्जन करना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूं, जहां खुदकाश्त की परिभाषा दी गई, जो हकूक खुदकाश्त के उन एक्टस में दिये थे उनमें कई दुरुस्त चीजें थीं लेकिन जहां हमने इस एक्ट में देखा है उसमें कई गंभीर बातें हमारे सामने आयी हैं।

इस बात का जिक्र करते हुए मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता, जमीदारी प्रथा भी राजस्थान के अन्दर मौजूद है। आज जमींदारी प्रथा की क्या स्थिति है, क्या इस ओर भी हमारी सरकार कुछ कदम उठाने जा रही है? यह जरूर इस भाषण में उल्लेख था कि लैन्ड कमीशन मुकर्रर किया गया है किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सीलिंग कमेटी मुकर्रर की गई थी उसका क्या हुआ? आज हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इस योजना में सीलिंग की तरफ विशेष जोर दिया गया था लेकिन दो ढ़ाई साल पहले जिस सीलिंग कमेटी को मुकर्रर किया गया था उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई जनता के सामने, इससे हमें राजस्थान सरकार और इसके जिम्मेवार लोगों की नीयत में यह शक मालूम होता है वह इस मामले को, सीलिंग के मामले को, दबाने की कोशिश कर रही है। जिस कमेटी को मुकर्रर हुए दो ढ़ाई साल हो गए और अभी तक वह अपना काम पूरा नहीं कर पाये, क्यों नहीं सीलिंग मुकर्रर किया जा रहा है, राजस्थान के किसान वर्ग को राहत दिलाने की दृष्टि से अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। यह जो कुछ हमने किया वह तो ऐतिहासिक तौर पर कभी का ड्यू था।

रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की ओर आपने जाने की आवश्यकता नहीं समझी। राजस्थान सरकार यह सोचती है कि लैन्ड कमीशन नियुक्त करके राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया। आपने प्लानिंग कमीशन की उस बात की ओर ध्यान नहीं दिया जिसमें इस बात का उल्लेख था कि खुदकाश्त जमीन की फिर से परिभाषा की जाय, ऐसी सिफारिश की थी। प्लानिंग कमीशन ने यह तय किया था, स्वयं मेहनत करने वाले को भी खुदकाश्त की परिभाषा में शामिल किया जाय। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है कि जिस कल्टीवेशन में रिस्क हो उस आदमी का हक माना जाय। आप जागीर पुनर्ग्रहण के पुल बान्ध रहे हैं लेकिन आपने देखा है जिस जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट में हमने खुदकाश्त की जो परिभाषा की है वह प्लानिंग कमीशन की सिफारिश के मुताबिक

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

नाकाफी है। यह हमारी सरकार का किसानों को उड़ते हुए उद्गारों की ओर से आंखें मींच लेने का नतीजा है। आज हम वास्तव में किसान का भला करना चाहते हैं तो हमें खुदकाश्त की परिभाषा को दुरुस्त करना होगा। जहां हम खुदकाश्त में लगान लेने लगान वसूली का प्रोविजन रखते हैं वहां लगान वसूल करने की बात भी खुदकाश्त की परिभाषा में होनी चाहिये, इसलिए मेरा निवेदन है कि खुदकाश्त की परिभाषा में परिवर्तन किया जाय।

रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की रिपोर्ट को हमने ताक में रख दिया है। आज जो डेपुटेशन भारत सरकार की ओर से चीन जाकर आया है और उसने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने सुझाव दिया है, सहकारिता की ओर मार्ग दर्शन किया है। क्या इस ओर भी कभी राजस्थान सरकार ने विचार किया है? राजस्थान सरकार वास्तव में किसानों को राहत दिलाना चाहती है तो जो कुछ भी इस सम्बन्ध में कानून बने हुए हैं उनका अमल आवश्यक ही नहीं बल्कि उसमें जो खामियां हैं, जिनके जरिये वास्तव में राहत नहीं मिल पा रही है उनको हमें ठीक करना चाहिये। भूमि समस्या को हल करने के लिये हमें बहुत कुछ करना बाकी है। इन सारी समस्याओं की ओर यह राज्यपाल का जो एड्रेस है वह संकेत नहीं करता इसलिये डिफेक्टिव है।

(घंटी)

चन्द मिनिट और दिये जांय।

(जारी रखते हुए) अब मैं डेवलपमेन्ट के सिलसिले में कुछ प्रकाश डालूंगा। विकास की बात का जिक्र करते हुए एक बात यह कही गई कि डेवलपमेन्ट का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। वास्तव में बांन्दीकुई से आये हुए माननीय मित्र ने इस बात के लिये बधाई दी कि इधर बैठने वाले बहुत माननीय सदस्य राजपक्ष की ओर चले गये। इस बात की उनको खुशी हुई होगी, जहां उनको खुशी हुई वहां हमें अफसोस भी नहीं हुआ क्योंकि जिनको उधर जाना चाहिये था वह उनके नजदीक पहुंच गये, इस बात में सरकार को बधाई दी जा सकती है कि कौन से लोग उधर जाकर बैठ सकते हैं, यह तो वे खुद सोचें लेकिन मैं एक बात के लिये सरकार को और सरकार चलाने वाले नेताओं को बधाई दूंगा कि उन लोगों को जो उधर ही बैठते थे, जो कुछ अर्से पहले गला फाड़ फाड़ कर यह चिल्लाते थे कि राजस्थान की सरकार हिटलर की सरकार से भी नम्बर ले गई है, उन व्यक्तियों को भी आज सरकार चलाने वाले नेताओं ने चुप कर दिया। उनको भी अपनी तरह कनवर्ट कर लिया है, शीर्षासन करा करा कर ऊपर नीचे करके अपनी तरह का बना लिया है, यह बहुत काबिल बात की है। इस तरह से एक दूसरे की कमजोरियों को जान लिया है, मैं इन दोनों को इक्वेलाइज़ (eqlualise) करके यहीं छोड़ देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक बात का और जिक्र किये बिना नहीं रह सकता कि टेक्नोलोजी की शिक्षा के लिये हिन्दुस्तान से आठ व्यक्ति बाहर गये हैं ड्रिलिंग व्यवस्था को सीखने

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

के लिये । आज ओइल ड्रिलिंग राजस्थान के जैसलमेर हिस्से के लिये आवश्यक है, क्या सरकार ने इस ओर भी कोई कदम उठाया है ? इसके अलावा भारत सरकार को ट्रेड कोर्पोरेशन की ओर से एक लाख जूतों का आर्डर मिला राजस्थान चमड़े के उद्योग के सिलसिले में अपना विशिष्ट स्थान रखता है । मैं राजस्थान सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस ओर भी कोई कदम उठाया है ? आज तो यह स्थिति है, पलाना की जो कोयले की खान है जिसकी राजस्थान सरकार मालिक है जिसको १९५२ में सेकन्ड ग्रेड खान करार दिया गया था। और कह दिया कि दस हजार देने के बाद आप माल पैदा मत करो । किसलिये ? इसलिये कि मैनेजर फर्स्ट क्लास नहीं था । एग्जेम्पशन राजस्थान सरकार ने क्लेम नहीं किया कि जो खान साठ, सत्तर, अस्सी हजार टन पैदावार दे सकती है वह आज जाब्ते और कानून के अन्तर्गत और राजस्थान सरकार के उदासीन रहने के कारण तीस हजार टन पैदा कर रही है और इतना ही नहीं, यह सोचकर कि वहां बहुत बड़ी पैदावार होगी इसलिये एक कन्ट्रेक्टर को ठेका दिया गया । किसका ? लेबर लाने के लिये । बीस हजार साल का ठेका था । तीन साल तक वह चला । अब खतम हुआ है और इन तीन सालों में उसने ११ मजदूर लाकर कम्पनी को दिये । ११ मजदूर ! यह राज्य सरकार के सामने स्थिति है । मैं पूछना चाहता हूं कि डेवलपमेंट के प्रति जितना सोचने का और काम करने का माद्दा है वह क्या इससे प्रदर्शित होता है ?

माइका के बारे में, वूल के बारे में स्टेट ट्रेडिंग कोर्पोरेशन बनाकर विदेशों से एग्रीमेंट करके हमारे यहां के मजदूरों, कारखानेदारों और सरकार की स्थिति सुधारने के बारे में क्या किया गया ? मैं यह पूछना चाहता हूँ ।

ज्योग्राफिकल सर्वे के बारे में क्या प्रगति की गई, इसका उल्लेख नहीं । उल्लेख इस बात का जरूर किया गया कि काफी बड़ा मोनीटरी डेवलपमेन्ट हुआ, एक्सपेन्डीचर के बारे में । मैं मानता हूं । मैं उन माननीय सदस्य के इस कथन से तो सहमत नहीं होऊंगा कि रास्ते में बिखेर दिया गया । रास्ते में बिखेरने जैसी बात तो नहीं हुई और वैसे तीन करोड़ का जो लोन है वह तीन घंटों में ओवर सब्स्काइब्ड (Over subscribed) हुआ है यह भी सही है, अच्छी बात है । होना ही चाहिये, हालांकि सरकार ने कलकत्ते में जाकर इसकी पूर्व तैयारी कर ली थी, वह करनी भी चाहिये और उस तैयारी के अन्तर्गत तीन घंटों में लोन पूरा हो गया और हुआ । यह अच्छी बात है और इस प्रकार की चीज कि घंटे, दो घंटे में तीन घंटे या दिन भर में हो जाता है यह हर सरकार के लिये होता है, और होना ही चाहिये, नहीं तो उस सरकार का भी बोरिया-बिस्तर गोल हो जाता है । लेकिन खैर यह बात मेरे मित्र के खयाल में नहीं आई होगी ।

पर मैं जो संकेत कर रहा हूं वह निश्चित वस्तु स्थिति है कि जो कुछ भी खर्चा हो रहा है इसमें वेस्टेज भी बहुत हो रहा है, गड़बड़ियां भी हो रही हैं और इसलिये हो रही हैं कि सरकार को सोचना नहीं है न, कदम उसको उठाना नहीं है न ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अभी अभी राजस्थान सरकार ने तीस लाख का कर्जा दिया है, ऐसा मैंने सुना है और वह कर्जा दिया है सवाई-माधोपुर के जयपुर उद्योग लिमिटेड को, जिसकी शायद अभी डालमिया जैन से साहू जैन इस प्रकार से एजेन्सी तब्दील हो गई है। यह कर्जा दिया गया है उनको पोवर हाउस लगाने के लिये तीन पर्सेन्ट के व्याज से, ऐसा मैंने सुना है। कुछ लोग कह रहे हैं। राजस्थान सरकार कुछ ऐसे वैसे लोगों को जो इस प्रकार कर्जा दे देती है तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है इससे कि जिस प्रकार राजस्थान सरकार चाहती है उस प्रकार राज्य के डेवलपमेन्ट के लिये यह कर्जा नहीं होता है पर कुछ और दूसरी चीजों के डेवलपमेन्ट के लिये यह एक तरह से रियायत दी जाती है, ऐसा साफ प्रतीत होता है क्योंकि इस जयपुर उद्योग लिमिटेड को ७५ लाख का कर्जा पहले से ही दिया हुआ है। औरों को लोन देने में हजारों ऊपर-नीचे चीजें हुई हैं पुराने जमाने की। पर इन लोगों को कर्जे पर कर्जे तुरन्त मिलते हैं। इस जयपुर उद्योग लिमिटेड के कर्त्ता धर्ता हैं श्री रामकृष्ण डालमिया, जिन पर इस समय ४२० का मुकद्दमा चल रहा है, चार करोड़ की सरकार की सिक्योरिटियां इधर उधर कर देने के कारण और वे कर दीं, इतना ही नहीं पर जयपुर उद्योग लिमिटेड की एजेन्सी भी रातों रात ट्रान्सफर कर दी। अब वह इनके हाथ में नहीं हैं, प्रेसीडेन्ट के ओर्डर से पहले ट्रान्सफर कर दीं। तो ऐसे चालाक और चालबाज लोगों से सम्बन्ध बार बार क्यों आता है? कभी पोद्दार से, कभी इससे, कभी उससे इन लोगों से ही सरकार अपने सम्बन्ध क्यों जोड़ती रहती है और फिर दूसरे लोगों को सहायता दें, उनको क्यों नहीं देते चाहे वे छोटे दर्जे के हों, पर अच्छी साख वाले तो हैं, इनकी तरह से ४२० करने वाले तो नहीं हैं। पर ऐसे लोगों से सम्पर्क रखने में पता नहीं सरकार का क्या दृष्टिकोण है? वैसे शक तो लोगों को हो जाता है। यह डेवलपमेन्ट में जरा कठिनाइयां पैदा करती हैं और कठिनाइयां पैदा करने के बाद विरोध पैदा करती हैं और विरोध पैदा करने के बाद उपालम्भ पैदा करती हैं और उपालम्भ पैदा करने के बाद में जवाब पूछने की स्थिति पैदा करती हैं।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा और अर्ज कर दूं और फिर जो कुछ मुझे कहना है, वह समाप्त करूंगा। इस सिलसिले में मैं यह नहीं चाहूंगा कि यहां बैठने वाले जो मेरे मित्र हैं वे यह सोचें कि राजस्थान के क्षेत्र की बात का उल्लेख करते करते मैं अजमेर क्षेत्र को भूल न जाऊं। तो मेरा यह कर्त्तव्य है कि इसे भी नहीं भूलना चाहिये और चूंकि वह ऐसी बात है कि १६ करोड़ के लिये धन्यवाद देने वाले मेरे मित्र को यह पता नहीं कि १६ करोड़ एक साल में खर्च हो गया पर वह एक साल में खर्चे का किस्सा नहीं, बल्कि एक महीने में खर्चे का और एक महीने का नहीं, बल्कि एक दिन में खर्चे का भी एक किस्सा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को सुनाये बगैर नहीं रह सकता।

मैं "Report of the Special Audit of the accounts of the Director of Education, State of Ajmer, Ajmer, for the month of March, 1956." का उद्धरण प्रस्तुत

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

करता हूं। यहां दस्तखत हुए हैं मंगलदास नामक व्यक्ति के जो असिस्टेन्ट अकाउन्टस ऑफीसर हैं। "O. A. D. (Civil) Central Revenues" और इसका नम्बर है "Report No. CA/34-220/Special/1793."

इसकी कॉपी फाइनेन्स सेक्रेटरी, अजमेर स्टेट को भेज दी गई और यह ऑडिट कन्डक्ट हुआ १८ मई, ५६ से ३० मई, ५६ तक और इस सिलसिले में मार्च ५६ के एक महीने में बहुत तेज रफ्तार से खर्च हुआ। अकेले मार्च में ८,६३,०००) कन्टिन्जेन्ट बिलों में खर्च हुए और अकेले ३१ मार्च, ५६ में ६.५१ हजार खर्च हुए। १९५५-५६ के पूरे वर्ष में १०,३५,००० का खर्चा हुआ। अप्रेल ५५ से फरवरी, ५६ तक केवल १,६८,०००) खर्च हुए। केवल मार्च, ५६ में ८,६७,०००) का खर्चा और केवल ३१ मार्च, ५६ के एक दिन में ६,५१,०००) का खर्चा? साल के ३६४ दिनों में जितना हुआ उससे ज्यादा एक दिन में, ३१ मार्च, ५६ को हुआ। अब ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? ये आंकड़े मैं ऑडिट रिपोर्ट से ही पढ़ रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह हुआ कि एक उस महीने में २,४३,०००) मनिआर्डर से हेड मास्टरों को भेजा गया और वह हेड मास्टरों को रकम भी भेजी तो १६२)रु० भेजी, १००) रु० भेजी, १५०) रु० भेजी, ज्यादा से ज्यादा ४७५) रु० भेजी। वह क्यों? इसलिए कि पांच सौ से ज्यादा सेंक्शन करना पडता तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से सेंक्शन लेनी पडती इसलिए ४७५) में ही सब वारा न्यारा कर दिया और आज तक हेड मास्टरों ने जो खर्च किया है उसके बाद भी एक लाख सत्रह हजार पांच सौ तिरेपन बाकी पडा है और सरकार को हेड मास्टरों ने लिखा है कि यह हमारी तनख्वाह में से काट लो और इस पर ऑडिट पार्टी ने लिखा है:

"This amounts to an interest free advance to the Head Masters."

अब और आप किस्सा सुनिये चन्द मिनटों में। (हंसी) ४,६७,०००) रु० गवर्नमेंट अकाउन्ट से निकला नोन गवर्नमेंट अकाउन्ट में। अपने खुद के नाम पर रख लिया और फिर उस रुपये में से चैक काटे गये। पर ज्यादा अकलमन्दी करते हैं तो कभी कभी गिर पडने से घुटनों में चोट ही आ जाती है और यह स्थिति हुई उपाध्यक्ष महोदय, कि उन्होंने नोन गवर्नमेंट अकाउन्ट से चैक बुक मांगी तो चैक बुक उनको ३-४-५६ को इश्यू हुई, लेकिन उस चैक बुक में से श्रीमान्जी ने सा चैक काटे और सातों पर तारीख लिखी ३१ मार्च, ५६ की।

श्री मानसिंह महार—उस पर दस्तखत किसके हैं?

श्री हरिकृष्ण व्यास—सियालजी नाम बताते हैं उनका। एडीशनल डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन ऐसे हैं वे। पर यहां व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। जो भी करे वह गुनहगार गिना जाना चाहिए, फिर चाहे वह डाइरेक्टर हो, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर हो, ऊपर से सरकारी अधिकारी हों, मन्त्री

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

महोदय हों, कोई हों उनको भी गुनहगार समझा जाना चाहिये अगर वे भी ऐसा करते हैं तो। यह तो वस्तु स्थिति से सम्बन्ध रखने वाली बातें हैं, व्यक्तियों से नहीं। तो मैं कह रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि तीन अप्रेल को तो चैक बुक आई और ३१ मार्च को चैक काटे गये और वे भी एक दो रुपयों के नहीं, ३,४७,०४३)रु० के काटे गये।

अब और टेन्डर्स इन्वाइट किये गये १५ मार्च तक सामान के। आ गये टेन्डर। १० पर्सेन्ट सिक्योरिटी भी जमा कर ली। पर उन पर विचार न करके ३ आदमियों को बरेली भेजा और ऊंची रेट पर टेलीग्राफिकली ऑर्डर प्लेस किया गया १,२२,७०६ !) के फर्नीचर का। मैं यह सब अपनी तरफ से कहता होऊं तो आप शायद समझ जावेंगे कि उनकी तो कहने की आदत है, इसलिए माननीय मन्त्रीजी की मदद के लिए वह सम्बन्धित आडिट रिपोर्ट का हिस्सा ही मैं पढ़ देता हूं, जो कि मेरा काम पूरा कर देता है :

"The decision of the Director of Education to ignore these quotations completely and to purchase the articles of furniture from Bareilly firms who did not submit their quotations in response to the notice inviting tenders was highly irregular & extremely unfair to the tenderers who submitted their tenders before the appointed date and contravenes the most elementary rules for ths purchase of stores."

और आगे सुनिये:

"In the circumstances the only inference can be drawn is that the Director Education wanted to favour the Barreli firms."

This is the conclusion of R. P. A. C.

एक दो छोटी सी चीजें अर्ज कर दूं चुटलों के रूप में।

(घंटी)

सिर्फ थोड़ा सा ही।

सामान सप्लाई किया एक फर्म ने और डिमान्ड ड्राफ्ट दिया किसी दूसरी फर्म को। एक ही नहीं कई ऐसे केसेज हैं। एक हैं चौधरी मांगीलाल एण्ड संस अजमेर के। उन्होंने ५, १५६।) का सामान सप्लाई किया लेकिन डिमान्ड ड्राफ्ट बना है मेसर्स रामप्रसाद गोयल ब्यावर के नाम पर। सुन्दर साहित्य प्रकाशन मन्दिर,अजमेर: उन्होंने ८,६२५) का सामान सप्लाई किया, डिमान्ड ड्राफ्ट बना मेसर्स R. J. friends के नाम। एक नवयुग प्रकाशन अजमेर ने सामान सप्लाई किया और डिमान्ड ड्राफ्ट बना है A. D. sharma दिल्ली का। सात ऐसे बने हैं। किसलिये सामान आया नहीं ?

(श्री हरिकृष्ण व्यास]

रजिस्टर में तो दिखा दिया सामान आ गया । डिमान्ड ड्राफ्ट जिन पर सामान की डिलीवरी नहीं होती है तो अजमेर की फर्म को किसलिए दो. तो दिल्ली और ब्यावर के नाम पर किया । एक नहीं बीसियों हैं, मजाक नहीं । रामप्रसाद गोयल ने कहा कि चौधरी मांगीलाल एन्ड संस से लेना है ५, १५६।) रु०, इसलिए राज्य सरकार दे । डिमान्ड ड्राफ्ट तो भेज दिया, लाठियां सप्लाई नहीं कीं । कोर्ट से नोटिस अलग इश्यू हो गया ।

किताबें आयीं । तीन हजार किताबें आयीं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक एक चूज़ कर स्पेसीमेन की तरह आपको बता रहा हूं । तीन हजार किताबें आयीं । कृष्णा ब्रदर्स अजमेर को ४-८-५६ को तीन हजार का पेमेन्ट कर दिया । किताब साहित्य भाग १ । जब उनको चेक किया तो रजिस्टर में २८०० ही निकलीं । सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब ने पूछा कि २८०० ही कैसे हैं ? १८ मई से ओडिट शुरू हो गया । इसलिए यह कहा कि २०० खराब आयीं थीं, रकम वापिस ले लें । अब देखिये कि २८ मई को केशियर के पास रकम जमा होती है । १८ और २८ के बीच में पूछा तो कहा कि दो सौ खराब थीं जो वापिस लौटायीं, रकम वापिस आयी है, तो कहा कि २८ मई को जमा हुई है । पूछने और कहने में रह गये स्टोर्स आया या नहीं आया, सर्टिफिकेट दिया होगा । अजमेर की राज्य सरकार ने कमी नहीं दिखायी है । मार्च-मार्च के महीने में २१ सेन्क्शन्स दी दस लाख रुपये को । मार्च के महीने में सेन्कशन दी । सोचा नहीं राज्य सरकार ने कि एक ही महीने में दस लाख रुपयों की सेन्कशन दी जा रही है । साल भर में १० लाख ६८ हजार रुपयों का बजट का खर्च है जैसा मैंने निवेदन किया और एक महीने में ही दस लाख रुपयों की सेन्कशन दे दी । एक सेन्कशन १४ मार्च को दी गई कि फलां सामान सप्लाई करो, एक तरह का कोरोलेशन हुआ ।

मैंने सदन का ध्यान इसलिए इस तरफ आकर्षित किया है कि डेवलपमेन्ट का पैसा बढ़ा है । यह तो एक अच्छी बात है कि जितनी मदों में हमें खर्च करना चाहिये उसके नजदीक हम बढ़ें लेकिन इतना ही काफी नहीं, यह आवश्यक है कि वह उपयुक्त रूप से खर्च हो कानून-कायदे की दृष्टि से । इस प्रकार की चीजें हुई हैं, मिसाल के तौर पर कही हैं । कई जगह ऐसा होता है चाहे वह इस विभाग में हो या उस विभाग में । डेवलप्मेन्ट के लिए मेरे माननीय मित्र चाहते हैं कि यही चीज़ देखें कि इतना रुपया खर्च हो गया, इस मद में खर्च हो गया, ठीक है डेवलप्मेन्ट हुआ । हुआ उसके लिए संतोष होता है लेकिन साथ ही साथ इस रूप से होना चाहिए कि सार्वजनिक रुपयों का दुरुपयोग न हो, सार्वजनिक रुपयों का गलत तरीके से और गलत कामों से नुकसान हो । इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि क्या नतीजा निकलता है, राजस्थान में जिन कार्यों की ओर संकेत किया गया है उसके बावजूद उसमें महत्वपूर्ण और गंभीर कमियां है, उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया । एक मद आयी या यों समझ लीजिये कि उस ओर ध्यान नहीं दिया और यह मेन्टेलिटी बढ़ती जा रही है, एक आरबिट्रेरी मेन्टेलिटी बढ़ती जा रही है । ओपोजिशन का ध्यान नहीं था । इस बीच में यह हुआ और वह सदन में आ गया और उस पर कार्यवाही हो गई और अब लोगों को दिखा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

रहे हैं आगे आने वाले चुनावों के सिलसिले में। देश के निर्माण का चुनाव के सिलसिले में उपयोग करने से इससे न सिर्फ राज्य को नुकसान होगा किन्तु साथ ही देश की जनता का भी नुकसान होगा। देश के निर्माण का प्रश्न चुनाव का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता। निर्माण हुआ, अच्छी बात है; उसमें हमारे मत भेद रहेंगे, देश की जनता फायदा उठाये, लेकिन इन्डस्ट्रियल, औद्योगिक मामलों को सार्वजनिक जनता की किसी चीज़ को चुनाव का स्टन्ट बनाकर जनता का दृष्टिकोण बताने की कोशिश करें, यह एक संकुचित दृष्टिकोण है। देश की उन्नति हो, यह सब चाहते हैं। उनमें जो मतभेद हैं वे आयन्दा आवेंगे, उन पर बहस होगी, इसके बारे में अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन निर्माण के कामों को लेकर संकुचित दृष्टिकोण अपनाना और कहना कि यह किया है, वह किया है, चुनाव में आओ और इस पार्टी को वोट दो, यह मिलेगा या नहीं मिलेगा यह दूसरी बात है, लेकिन इस प्रकार का दृष्टिकोण एक संकुचित दृष्टिकोण है। १२ बाई इलेक्शन्स हुए, जब प्रतिक्रियावादी, सामन्तवादी ढांचा लडखडा रहा था, जहां समाजवाद की ओर से एक सदस्या बाई इलेक्शन में खड़ी हुई और उनके मुकाबले में वही चुनकर आयीं। एक सामन्तवादी, निठल्ले सामन्तवादी तत्व से भरा सरकार अपने अधिकारों को दिमाग में......

श्री मथुरादास माथुर—In Jodhpur bye election we have defeated the Communist Candidate.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Beg pardon.

श्री मथुरादास माथुर—In Jodhpur bye-elaction we have defeated the Communist candidate.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am afraid yue are under hallucination. You did not defeat the Communist candidate.

श्री मथुरादास माथुर—We had the victory over communist candidate.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That was communal victory.

श्री मथुरादास माथुर—That was not communal victory.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Technically that was communal victory and the responsibility lies there.

श्री मथुरादास माथुर—What the communist did then. ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—The communist stood on principle and I can assure my friend sitting in opposite that temporary things may go in his head. The Commu- nists stand on principles. Either they have to go with the history otherwise they will be thrown to the dungheap by the public. At present we are discussing development of Rajasthan and therefore, Mr. Deputy Speaker, Sir, मैं यह अर्ज कह रहा था इस सिलसिले में लोगों के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाना यह एक नुकसानकारी तरीका है, एक संकुचित तरीका है, इस संकुचित और नुकसानकारी तरीके को छोड़ कर आज जो खामियां हैं, राजस्थान सरकार को कमियां बताते हुए कहा उनकी ओर ध्यान देकर इस गलती को दुरुस्त करेंगे और खेती के सिलसिले में, देहातों के सिलसिले में, स्टेट ट्रेडिंग कोरपोरेशन के सिलसिले में आम लोगों के जीवन के लिए जो तात्कालिक आम समस्यायें हैं उनके सुधार की ओर क्या कर रहे हैं, तो हम समझेंगे कि स्थिति ठीक है. प्रयत्नशील हैं। लेकिन उनके बारे में आंखें.मूंदी हुई हैं, आंखें ही नहीं मूंदी हुई हैं कम्प्लेसेन्ट एटीट्यूड है। लोगों के प्रति जाने का सही एटीट्यूड नहीं है। यह राज्यपाल का भाषण विकास सप्ताह की तरह है, जैसे स्माल सेविंग्स का विकास सप्ताह मनाया जाता है उसी तरह से यह चीज की जा रही हैं, ऐसे धन्यवाद का भागी मैं नहीं हो सकता। यदि धन्यवाद के प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत करें और उन कमियों को दुरुस्त करने की नीयत से वह प्रस्ताव मान लें तो सर्व सम्मति से वह हो सकता है, नहीं तो यह धन्यवाद का प्रस्ताव नहीं माना जा सकता। इन विचारों के साथ मैं अपना मत प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री मथुरादास माथुर, श्री चांदमल मेहता और श्री शम्भूसिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर) श्री शम्भुसिंह।

रावल श्री शम्भूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में धन्यवाद का जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उस पर जो वाद विवाद हो रहा है, तो उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल इस सदन में पधारे और उन्होंने जो आज सदन की परम्परा के विरुद्ध बहुत संक्षेप में भाषण दिया उस सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव हमारे उधर बैठे हुए माननीय मित्रों की तरफ से पेश हुआ उस प्रस्ताव के संबन्ध में हम सहमत नहीं हो सकते, और हम इस प्रस्ताव के ऊपर धन्यवाद नहीं दे सकते। अलबत्ता हमारे मित्र ने, राज्यपाल ने जो भाषण दिया, उससे अधिक लम्बा भाषण दिया और राज्यपाल के संक्षिप्त भाषण में जिन बातों का स्पष्टीकरण नहीं हुआ था उन बातों का स्पष्टीकरण हमारे मित्र ने अपनेप्रस्ताव को पेश करते हुए किया, उसके लिए हम हमारे मित्र को धन्यवाद दे सकते हैं, परन्तु किसी भी दशा में राज्यपाल को धन्यवाद इस वास्ते नही दे सकते कि उन्होंने अब तक सरकार द्वारा प्रगति के किये हुए कामों पर जो प्रकाश डाला है उन कामों के विषय में हम कदापि धन्यवाद देने में सहमत नहीं हो सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो हमारे राज्य के नवनिर्माण के ऊपर प्रकाश डाला है और उन्होंने अपना भाषण देते हुए यह कहा कि हमारे राज्यस्थान के पुनर्गठन में अजमेर, आबू और

[रावत श्री शंभुसिंह]

और सुनेल इत्यादि शामिल हो गये हैं, हम उन राज्यों के शामिल होने पर हर्ष प्रकट करते हैं और उन स्थानों के जो प्रतिनिधि हमारे सदन में आये हैं हम उनका स्वागत करते हैं, और राज्यपाल ने जो संतोष और स्वागत अपने भाषण में प्रकट किया उससे हम सहमत हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर का जो क्षेत्र है वह सदैव से भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का एक अंग रहा है और हमारे विदेशी शासकों ने किन्हीं पोलिटिकल कारणों से अथवा राजनैतिक कारणों से उसको एक अलग हिस्सा मानकर और वहां के शासन की सुविधाओं के वास्ते या अपने स्थानों के केन्द्रीयकरण के वास्ते उसको अलग रखा, यह बात अलग थी, वर्ना वह हमेशा भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का एक अंग रहा है। इसी प्रकार से आबू जो अभी तक राजस्थान के साथ था वह यहां की जनता की इच्छा के विपरीत राजस्थान से अलग कर दिया गया था, उसका राजस्थान में मिलना अवश्यम्भावी था और वह हुआ। इस वास्ते हमें इस बात से संतोष है।

इसके बाद हमारे राज्यपाल ने हमारे राज्य के बारे में प्रकाश डालते हुए फरमाया कि इस राज्य में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है। उपाध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता अवश्य है, परन्तु इन प्राकृतिक साधनों में जिनमें से खनिज एवं वन संपत्ति है उनके उत्पादन का जिस प्रकार से यहां एक्सप्लोइटेशन हो रहा है उससे हम कदापि संतुष्ट नहीं हैं। इन साधनों और इन उत्पादनों से हमारे राज्य की आर्थिक दशा सुधरने के बजाय पूंजीपतियों और सरकार के विशेष कृपा-पात्रों की ही समृद्धि हुई है। तो हमारे इन साधनों का जिस तरह से हम उपयोग कर रहे हैं, हमारे राज्य में खनिज पदार्थ विशेष हैं परन्तु उन पदार्थों का हम उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं और न ही उन पदार्थों से ठीक प्रकार से आमदनी कर रहे हैं, इस वास्ते भी हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं।

और इस नये राज्य स्थापना में कर्मचारियों के एकीकरण के ऊपर राज्यपाल महोदय ने प्रकाश डाला, इसके वास्ते सहमत नहीं हो सकते कि कर्मचारियों का एकीकरण अवश्य होगा, परन्तु हम यह समझते हैं कि हमारे अजमेर राज्य से जो कर्मचारी आये हैं उनको जो ग्रेड वहां पर मिलती थी उनको उसी प्रकार की ग्रेड मिलती रहनी चाहिए, और उनकी सुख और सुविधाओं को जुटाने का जिम्मा भी हमारी सरकार के ऊपर है।

इसके बाद राज्यपाल महोदय ने यहां की शान्ति व्यवस्था यानि पीस एन्ड ऑर्डर के ऊपर प्रकाश डाला। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही हो सकती है कि इस राज्य में डकैतियों की संख्या पहले से कुछ कम हुई होगी, परन्तु अभी तक इस राज्य में डकैतियां बिल्कुल निर्मूल हो गई हों, ऐसी बात नहीं कही जा सकती। हाल ही में कुछ दिनों पहले हमने अखबारों में पढ़ा था कि जोधपुर डिवीजन में एक बहुत बड़ी डकैती हुई थी और उसमें लाखों रुपयों का माल डाकू लूट ले गये, और सरकार को शांति और सुरक्षा के विषय में संतुष्ट हो जाने के वास्ते अभी तक काफी मौका नहीं है, क्योंकि इस राज्य में न केवल धन का ही अपहरण हुआ है, बल्कि जनों का भी अपहरण हुआ है और सूरजभान काण्ड में जिसमें सूरजभान नामक व्यक्ति का अपहरण हुआ

[रावत श्री शंभुसिंह]

था, हुआ, और उस काण्ड में जो अभी तक मामला चल रहा है कई लोग उसमें एन्वोल्व्ड है, परन्तु राज्य सरकार की तरफ से जो ढिलाई बरती जा रही है और अपराधियों की पैरवी करके शीघ्र से शीघ्र दण्ड दिलवाना राज्य सरकार का कर्तव्य है, उस सरकार के द्वारा बरती जा रही ढिलाई के परिणाम स्वरूप उस मामले में जो लोग संलग्न हैं वे लोग अभी तक भी किसी प्रकार से दंडित नहीं हो पाये हैं। तो जब कि इस प्रकार के लोग जो कि इस प्रकार के अपहरण के मामलों इत्यादि को प्रश्रय देते हैं वे खुले आम घूमते रहें और उनको किसी प्रकार का दण्ड नहीं मिले तो कैसे मान सकते हैं कि यहां की सुरक्षा को दशा सुधर गई है और यहां की जनता अपने आपको सुरक्षित समझती है ?

इसके अलावा आज कल हमारे यहां इस राज्य में एक प्रवृत्ति और भी बढ़ रही है कि यहां पर जिस दल की सरकार सत्तारूढ़ है उस दल के कतिपय से स्वार्थी व्यक्तियों के उकसाने से लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लेने की बात बना रखी है, उससे यहां की जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ने संभावना है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने इसके बाद किसानों की दशा के संबंध में कुछ विचार प्रकट किये...............

श्री जगतसिंह झाला—उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री शंभुसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं होने पर भी यदि आज्ञा हो तो बोलता रहूं।

(गण-पूरक घंटी के पश्चात्)

मैं निवेदन कर रहा था कि राज्य में जहां तक किसानों का संबंध है और उनके लिये जो टिनेन्सी एक्ट सरकार द्वारा बनाया गया है उस विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं। यहां का टिनेन्सी एक्ट ब मुकाबले उन राज्यों के कानून के जो इस राज्य में सम्मिलित हुए हैं और जिनके सम्मिलित होने से इस बड़े राज्य की रचना हुई है, उन राज्यों के टिनेन्सी एक्ट्स के मुकाबले में यहाँ का टिनेन्सी एक्ट प्रोग्रेसिव नहीं है। इस टिनेन्सी एक्ट में किसानों के केवल खातेदारी राइट्स माने गये हैं जब कि इससे भी बढ़े-चढ़े अधिकार किसानों को भूतपूर्व राज्यों के टिनेन्सी एक्ट में थे। मिसाल के तौर पर मैं यह कहूंगा कि हमारे मेवाड़ राज्य में जो टिनेन्सी एक्ट था उसमें खातेदारी राइट्स से भी ऊपर खड़मदार राइट माना गया था। वे प्रोप्राइटरी राइट्स के लगभग थे। उसमें किसानों को अपनी जमीन रहन रखने तक के पूरे अधिकार प्राप्त थे। लेकिन वर्तमान टिनेन्सी एक्ट में सीमित अधिकार हैं जमीन ट्रान्सफर करने के। इसके अलावा किसानों को; जो अधिकार इस एक्ट के द्वारा मिले हैं, वे उतने संतोषजनक नहीं हैं जितने होने चाहिये।

[रावत श्री शंभुसिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, जागीर पुनर्ग्रहण करके सरकार यदि उस जागीर की भूमि को किसानों को यदि उन्हीं अधिकारों के साथ दे देती जो अधिकार जागीरदार अपनी भूमि के संबंध में उपभोग करते थे, तो यह बात मानी जा सकती थी कि सरकार ने किसानों के हित में कुछ काम किया है। लेकिन किसानों के अधिकार सीमित कर दिये गये।

जागीर पुनर्ग्रहण के विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में राज्यपाल महोदय ने फरमाया कि राजस्थान में जागीर समस्या अनूठी रही है। राज्य का आधे से अधिक हिस्सा इसके अंतर्गत था। लेकिन यह समस्या सरकार द्वारा बनाई गई है। उसके लिये यह कहा गया कि हम बीच के इन्टरमीडियेरीज को हटाने के लिये कदम उठा रहे हैं। लेकिन इससे किसानों का वास्तव में क्या हित हुआ ? जो जागीर पुनर्ग्रहण के बाद किसान जिस स्थिति में थे और जो टिनेन्ट्स की हैसियत से रेन्ट देते थे वही रेन्ट उनको इस व्यवस्था में भी देना पडता है। यदि जागीरों को खत्म करके जितना रेवेन्यू जागीरदार सरकार को देते थे उतना ही रेन्ट किसानों से लिया जावे तो माना जा सकता है कि इससे किसानों को राहत मिली। लेकिन इसमे हम यह कह सकते हैं कि प्रोप्राइटरी राइट......

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ समय और निवेदन करना चाहता हूं, मुझे बहुत कम समय मिला है।

श्री उपाध्यक्ष—संक्षेप में १-२ मिनिट के लिये बोलिये।

रावत श्री शंभूसिंह—अभी तो मैं ५ मिनिट ही बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष—५ मिनिट तक और बोलिये।

श्री शंभुसिंह—(जारी) किसानों की जो स्थिति पहले थी वही अब भी रही। जागीर पुनर्ग्रहण से केवल जमीन के प्रोप्राइटरी राइट्स पहले जागीरदारों को थे वे राइट जागीरदारों के बजाय अब सरकार ने अपने हाथ में ले लिये, लेकिन इससे किसानों की स्थिति क्या बदली ? और उसके साथ ही साथ जो शोषण किसानों के वास्ते हमारे मित्र कहते हैं कि जागीरदार के द्वारा किसानो का क्या शोषण हो रहा था, उसके बारे में मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात जरूर हुई और वह यह कि जागीरदारों को यदि लगान नहीं मिलता था तो उनको कोर्ट में दावा करके लगान वसूल करना पड़ता था लेकिन अब यदि लगान बाकी रह जाता है तो रेवेन्यू ओफिसर दावा करने के बजाय उसकी जमीन कुडक कर लेते हैं।

[रावत श्री शंभुसिंह]

इसके साथ ही मैं जागीर पुनर्ग्रहण पर प्रकाश डालता हूं । हमारे यहां पूंजीपतियों और सरमायेदारों के लिए सरकार द्वारा यह प्रबन्ध किया गया है कि उनको फाइनेन्स करने के लिये इन्डियन फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन जैसी संस्था कायम कर दी है, लेकिन जिन जागीरदारों की जागीर सरकार ने अपने हाथ में ले ली है उनको फाइनेन्स करने के लिए अब तक सरकार ने क्या फंड कायम किया, तो इस विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक तरह से फाइनेन्स नहीं होने की दशा में यहां भूस्वामी समस्या पैदा हुई और आन्दोलन चला, लेकिन उसका कोई संतोषजनक निपटारा नहीं हुआ । वहां वास्तविक समस्या थी । उसमें काफी त्याग हुआ, कई लोगों का इसमें बलिदान हुआ । लेकिन सरकार की तरफ से उनको किसी भी प्रकार से फाइनेन्स करने का प्रबन्ध नहीं हुआ और यह समस्या ज्यों की त्यों बनी है और यह कहा जाता है कि मुआवजे के तौर पर २ करोड़ के लगभग रुपया किया गया लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या एक भी कंपेन्सेशन का केस अंतिम रूप से तय हुआ ? जैसा कि इस सदन में सरकार द्वारा एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि आज तक एक भी कंपेन्सेशन का केस फाइनली डिसाइड नहीं हो पाया है । यदि यही दशा रही तो हम कैसे मान सकते हैं कि यह समस्या सरकार ने सुलझाली है ? एक बहुत बड़े वर्ग को बेकार करके बढ़ती हुई बेकारी के साथ यह देश में और ज्यादा बेकारी बढ़ाने वाली है । जागीरदारों और राजपूतों को पहले की रियासतों के वक्त राज्य सेवा में काम मिलता था लेकिन अब न उनको राज्य सेवा में लिया जाता है और उनकी आमदनी का जो साधन था उससे भी उनको वंचित कर दिया गया है । यह एक प्रकार से बेकारी बढ़ाना नहीं तो और क्या है ?

इसके बाद राज्यपाल महोदय ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना पर प्रकाश डाला । द्वितीय पंचवर्षीय योजना से किसी को मतभेद नहीं हो सकता कि इस प्रकार की योजना नहीं चाहिए । यह योजना अवश्य होनी चाहिए लेकिन इस पर जितना धन व्यय हो रहा है उसका जितना रिटर्न मिलना चाहिये वह उतना नहीं मिल रहा है । बहुत सी जगह इतना अपव्यय हो रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, सार्वजनिक धन का अपव्यय हो रहा है । प्रबन्ध की कमी के कारण जो धन का दुरूपयोग हो रहा है वह नहीं होना चाहिये । इसके लिये धन कहां से आयगा ? धन के लिये सरकार द्वारा टेक्स बढ़ाने का संकेत किया गया है । यह भी कहा है कि कर जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा कर लगाया जायगा । राजस्थान में करदाता इस समय भी करों के बोझ से काफी दबा हुआ है । और फिर राज्यपाल महोदय ने जिस कर वृद्धि की ओर संकेत किया है, अगर उन करों में वृद्धि कर दी गई तो फिर यह करदाता की कमर इस कर भार से दब कर टूट जायगी । हम यह नहीं चाहते कि करदाता के ऊपर नये नये करों के बोझे पड़ें । इसके बाद यह बात कही गई कि पशु पालन कृषि विभाग से अलग कर दिया गया है । पशुओं के विषय में और भी बातें कही गईं । उपाध्यक्ष महोदय हमारे राजस्थान में कृषि के ऊपर अधिक लोग निर्भर हैं, यह कृषि प्रधान प्रान्त है और यहां पशुओं की अधिक आवश्यकता है इसके वास्ते इस सदन में मैंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और वह प्रस्ताव कुछ परिवर्तित और संशोधित रूप में स्वीकार हुआ । यदि पशुओं की निकासी पर रोक लगा दी जाय

[रावत श्री शम्भुसिंह]

तो मैं समझता हूं कि हमारे गो–धन की सुरक्षा के वास्ते सरकार को कुछ विशेष प्रकार के कदम उठाने में सहायता होगी। यह जो गो–धन की निकासी हो रही है उस पर बहुत जल्दी ही प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। गो धन की निकासी के कारण ही हमारे प्रान्त में घी दूध की कमी हो रही है। इसके अलावा एक और प्रश्न है वह खाद का, इस खाद, मेन्योर के वास्ते राज्यपाल महोदय ने कहा है कि रसायनिक खादों के साथ, गोबर, कचरे एवं हरी खाद का भी अधिकाअधिक उपयोग किया जाये। परन्तु गौ धन की निकासी हो रही है, यदि गौधन की निकासी होती रही तो उससे नुकसान होगा। एक तरफ तो पशुओं के खाद के उपयोग पर जोर दिया जाता है और दूसरी तरफ पशुओं की निकासी जारी रखी जाती है। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसको सरकार कार्यान्वित करने के वास्ते शीघ्र से शीघ्र कदम उठायेगी।

इसके बाद राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में फर्माया कि हमने जो यहां का अन्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य से भी और अधिक अन्न का उत्पादन गत योजना में कर लिया। हमें इसके ऊपर कैसे विश्वास हो सकता है? आज देश में अन्न की कमी है और राजस्थान में बाहर से काफी मात्रा में अन्न आ रहा है। हमारी राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार ने अन्न लिया है और कई जगह दुकानें भी खुल गई हैं, पर इसके बावजूद भी आज खाने पीने की वस्तुओं के भाव बहुत बढ़ रहे हैं और उस बढ़ते हुए भाव की तरफ ध्यान रखते हुए कुछ दिनों पहले जो कांग्रेस कमेटी हुई थी उसमें भी इसकी चर्चा हुई थी कि देश में बढ़ते हुए खाद्यान्नों के भावों में निम्न स्तर लाने के वास्ते कुछ कदम उठाने चाहिए। तो यह सिर्फ प्रचार की एक बात है और सिर्फ कागजों की बात हो सकती है कि राज्य सरकार ने अपने लक्ष्य के आगे खाद्यान्न में वृद्धि करके और अधिक प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न कर लिया, परन्तु वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। आज देश में खाने पीने की चीजों के भाव बडी तेजी से बढ़े हैं और उससे गरीबों और श्रमिकों, जिनकी आमदनी बंधी हुई है, के सामने एक समस्या उठ खडी हुई है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं शीघ्र ही अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा। मैं कुछ मिनिटों के वास्ते और दरख्वास्त करूंगा।

कुटीर उद्योग, मध्यम श्रेणी उद्योग एवं बड़े उद्योगों के वास्ते राज्यपाल महोदय ने इस अभिभाषण में जिक्र किया कि कुछ सीमेंट की फैक्ट्रियां, मालगाड़ी के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री, रैयन उत्पादन एवं बाईसाइकिल बनाने के कारखानों की इजाजत दी गई है। परन्तु जहां तक मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने अपनी नेशनल फेक्ट्रीज़ नहीं बनाई, बल्कि प्राइवेट सेक्टर और अपनी निजी पूंजी के आधार पर उनको खोला है। तो इन फैक्ट्रीज़ से जो वास्तविक लाभ होगा वह पूंजिपतियों को

[रावत श्री शम्भुसिंह)

होने वाला है । एक तरफ तो जमीन का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हो रहा है और दूसरी तरफ इस प्रकार प्राइवेट सेक्टर को कल कारखाने खोलने का श्रेय दिया जा रहा है और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है । ये एक दूसरी से परस्पर विरोधी बातें हैं । जब जमीन का नेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो क्यों नहीं कल कारखानों का नेशनलाइजेशन आप करते ? परन्तु आप कल कारखाने खोलने का बढ़ावा प्राइवेट सेक्टर को दे रहें है । क्या यह भूमि का राष्ट्रीयकरण करने की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया उसमें हमें कोई ऐसी प्रगतिशील बात मालूम नहीं हुई । उसके विपरीत हमने उसमें कई बातों का अभाव देखा, विशेष तौर पर इसमें मजदूरों के कल्याण का कोई शब्द भी नहीं लिखा गया । आज जो औद्योगिक नगर है वहां के मजदूरों की दशा कितनी गिरी हुई है ? भीलवाडा में आज मज़दूरों की क्या दशा है । वहां अभक की खान में ने हड़ताल कर रखी है और वह चल रही है । इसी प्रकार दूसरे उद्योगों में भी मजदूरों में बड़ा असंतोष बढ़ रहा है ।

इसी प्रकार हरिजनों और पिछडी जातियों के वास्ते भी राज्यपाल महोदय ने एक शब्द भी नही कहा । पिछडी जातियों की वास्तविक दशा का ज्ञान होना चाहिए और उनकी आर्थिक दशा का सुधार होना चाहिए । वैसे इस बात प्रचार किया जा रहा है कि पिछडी जातियों को इस प्रकार की सुख सुविधा पहुंचा रहे हैं परन्तु गांव में रहने वाले वहां की स्थिति जानते हैं कि गांवों में रहने वाले हरिजनों और पिछडी जातियो की आर्थिक दशा बजाय उन्नत होने के अवनति की ओर अग्रसर हुई है । उनके साथ छूआछूत न रखने से ही उनकी उन्नति का कोई काम नहीं होगा । परन्तु उनकी वास्तविक दशा सुधरनी चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना होगा । इसी प्रकार और भी कई बातें हैं जिनका राज्यपाल महोदय के भाषण में अभाव है । इस वास्ते हम तैयार नहीं है कि राज्यपाल को उनके भाषण के वास्ते धन्यवाद दिया जाय ।

श्री नारायणसिंह—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, हम अजमेर के प्रतिनिधिगण इस समय यहां नये हैं । राजस्थान की समस्याओं से हम बहुत कम अवगत हैं और यहां की समस्याओं की बहुत कम हमें जानकारी है । हमें आशा थी कि राज्यपाल के भाषण में कम से कम प्रशासनिक क्षेत्र में हमें काफी प्रकाश मिलेगा, किन्तु राज्यपाल महोदय का भाषण तो एक सुगठित सूत्र सा रहा है । हमें धन्यवाद तो राज्यपाल महोदय को देना ही है पर उसका हिस्सा श्री नाथूराम मिर्धा को अवश्य देना चाहिये क्योंकि उन्होंने एक विशद रूप में सब अंकों से और सब बातों से हमें अवगत कराने का पूरा प्रयास किया । एक प्रकार से उस सूत्र के उद्गाता के रुप में उन्होंने कार्य किया । इसके अलावा राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में प्रशासनिक नक्शे का हर क्षेत्र का जिक्र किया है । वाकई हर क्षेत्र में इस बीच बहुत तब्दीलियां इस देश

[श्री नारायणसिंह]

में हुई हैं, प्रशासनिक, वित्तीय, योजनागत, राजनैतिक समस्यायें उठ खड़ी हुई हैं । इसलिए हमारी समस्यायें और सारे देश की समस्यायें कोई विभिन्न नहीं है। यहां भी हर क्षेत्र में कई नई बातें उत्पन्न हुई हैं, खास तौर से अजमेर के विषय में । अजमेर के विषय में राज्यपालीय भाषण में बहुत सरसरा वक्तव्य है, उससे हमें पूर्ण संतोष नहीं है । अजमेर की समस्यायें काफी हैं। हम आज राजस्थान के साथ आये और राजस्थान ने भरे दिल से हमारा स्वागत किया है। आज हमें यह अवसर मिला है कि हम साथ बैठ कर इस राज्यपालीय भाषण पर विवाद कर सकते हैं । हमें आशा है कि हम इस झाड़ फानूस के कमरे में बैठ कर आपस में वादविवाद कर सकते हैं, यह हमारे लिये सौभाग्य की बात है और एक बड़ी दिलचस्पी की बात हमारे लिये है। इसके साथ ही साथ राजस्थान के लिये यह महत्व की बात है कि उनका टूटा हुआ अंग उनके साथ पीछे जुड़ गया है । यह कोई नई बात नहीं है कि हम राजस्थान के साथ हैं। राजस्थानी केवल भूल से गये हैं कि हम भी उनके साथ थे क्योंकि बीच की अन्दरुनी व्यवस्था इस प्रकार रही है कि जिसने एक अलगीयता का रूप पैदा कर दिया और राजस्थानी समझने लगे कि हम कोई अलग है। हमारे मन में कोई भी ऐसी भावना नहीं थी और अगर आप हमारी धारा सभा की कार्यवाही को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी आकांक्षा राजस्थान के साथ मिलने की हमेशा से रही है। लेकिन कुछ ऐसी गलत फहमिया हो गई कि उनसे कुछ अलगाव पैदा हो गया । आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे कि अजमेर एक प्रकार से राजस्थान की संस्कृति का पुंज रहा है । ऐसा समझिये, जैसा कि संस्कृति का कमल खिला, चारों तरफ पंखुड़िया खिलीं और उसमें मध्य में. केन्द्र में अजमेर रहा।

यह आप न भूलें कि अजमेर से ही पृथ्वीराज रासो की धाराएं बही हैं, अजमेर पृथ्वीराज के समय में दिल्ली के साथ एक विशेषता की होड़ करता था। इसके बाद भी मुगलों के समय में अजमेर वहां के सूबेदारों की मार्फत एक केन्द्र स्थित था, ब्रिटिश काल में रेजिडेन्ट की मार्फत सारे राजस्थान का केन्द्र बना हुआ था और इसके बाद भी जो स्वतन्त्रता संग्राम हुआ है, जो स्वराज्य के प्रति प्रेरणाएं मिली हैं, उसमें अजमेर कोई पिछड़ा नहीं रहा, बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों के नाम इस विषय में गिनाये जा सकते हैं। तो इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से , अर्थात् समस्त दृष्टियों से अजमेर एक अविभाज्य अंग राजस्थान का था, अविभाज्य अंग ही नहीं, यदि यह कहें कि अजमेर राजस्थान का हृदय रहा है तो यह अनुचित न होगा । इस विषय में राज्यपाल महोदय ने भी थोड़ा सा संकेत किया कि जहां आबू राजस्थान की पुरानी कला और इतिहास का द्योतक है वहां अजमेर का भी धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनैतिक महत्व है । अगर राज्यपाल को आनासागर पर जाकर ठहरने का मौका मिलता तो उन्हें अजमेर के सम्बन्ध में काफी और कहने को मिलता।

[श्री नारायणसिंह]

पर अजमेर को राजस्थान की राजधानी से होड़ करने को कोई बात नहीं। एक परिस्थितिवश राजधानी बन गई और इसमें कई प्रकार से कई व्यक्तियों के निहित स्वार्थ भी पैदा हो गये। यदि अजमेर के पास इतना रुपया मुआवजा देने को होता तो शायद यह फिकरा बदल सकता था। कई राजनैतिक बातें जो आज यहां हैं वह नहीं होतीं, तो अजमेर की तरफ ख्याल हो सकता था। पर आज अजमेर पिछड़ गया, अजमेर को राजधानी स्वीकार करने में किसी व्यक्ति को इन्कार नहीं हो सकता था पर राजनैतिक, प्रशासनिक अथवा सुरक्षा के कारणों से उस समय के केन्द्र के गृह मंत्री से हमारी बातें भी हुई थीं। उन्होंने स्पष्ट यह बात कही थी कि ऐसे कई कारणों से अजमेर को आज अलग रहना पड़ता है।

केन्द्र ने आज अजमेर को अलग रखा, इसलिये अजमेर को यह सजा भुगतनी पड़ी, अजमेर को केवल राजधानी के सम्मान से दूर नहीं रखा गया पर अजमेर को राजस्थान की राजधानी बनाने के लिये मांग की गई तो राजस्थान की नाराजगी का भी कारण रहा। मैं नहीं समझ सकता कि इस प्रजातन्त्र में, इस डेमोक्रेसी में छोटी-बड़ी सभी उचित मांगें करने का सबको हक है, तो अजमेर ने राजधानी की मांग करके कौनसा गुनाह कर लिया ? एक छोटे से गांव के लिये भी, मसूदा के लिये भी मांग कर सकते हैं कि वह राजधानी बने हालांकि यह बेवकूफी की, हंसी की बात हो सकती है, अजमेर को राजधानी बनाने की मांग करना तो इस तरह की बात नहीं है। चण्डीगढ में नई राजधानी बनी है और कई नई राजधानियां बन रही हैं तो क्या बात है कि अजमेर की इस राजधानी की मांग के कारण दण्ड दिया जा रहा है ? अजमेर भी मांग कर सकता था, सही मांग थी, पर उसके साथ यह तो मंशा नहीं थी कि वह राजस्थान से अलग रहना चाहता है। हम भी अजमेर को राजस्थान का अविभाज्य अंग मानते थे, राजधानी की मांग कोई शर्त के साथ नहीं रखी गई थी। विशेषता यह है कि राजस्थान के साथ आये, हम जयपुर के दरबारी बने इसमें विशेषता है, हम उदयपुर, जोधपुर बीकानेर के दरबारी क्यों नहीं बनते, अगर दरबारी ही बनना है। खैर। पर यह तो परिस्थिति को स्वीकार था हमें इसमें कोई एतराज नहीं। कोई राजधानी हो पर अजमेर ने राजधानी की मांग की और हक समझ कर इसकी मांग को आगे रखा और आज इसके लिए कहा जाता है कि अजमेर की इस तरह की मांग नहीं होती तो बीकानेर से शिक्षा विभाग अजमेर में आ जाता, हाई कोर्ट भी अजमेर में आ जाता, न मालूम क्या क्या किया जाता, क्या क्या हो जाता, अजमेर में विशेष यूनिवर्सिटी का खयाल कर लिया जाता। तो ऐसी बातें हम सुनते हैं तो हमें खयाल होता है कि शायद हमें राजधानी की मांग करने का दंड दिया जाता है, जैसे शायद अजमेर को विजित किया गया हो। इस तरह हर बात में शक की दृष्टि से देखा जाता है तो मुझे सुन कर बड़ा खेद होता है। यहां पर कोई अपने आपको अजमेरी कह दे तो उसको कोई मकान किराये पर नहीं देता। इस प्रकार की भावनाओं के लिये जिम्मेदार कौन है ?

हम तो राष्ट्र की एकता की बातें करते हैं। हम इस बात का गम प्रकट करते हैं कि मराठी और गुजराती क्यों लड़ रहे हैं, पर यहां अजमेर के बारे में यह बातें होती हैं कि मानो ये लोग

[श्री नारायणसिंह]

पाकिस्तान का हिस्सा था या जैसे श्याम या आसाम से आये हों और राजस्थान ने अजमेर पर विजय प्राप्त की हो, इस प्रकार की भावना इस प्रजातन्त्र में किस हद तक शोभनीय है ?

अजमेर की नौकरियों का आज यहां यह हाल है कि वे दर दर भटकने वाले हो गये हैं, वे जैसे बैमालिक हो गये हों। कोई बैमालिक का सवाल नहीं था ! अपने हिन्दुस्थान में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर आये हैं, उनके लिये इस प्रकार की शंकाओं का कारण नहीं था। पर कारण पैदा किये गये। जो हम इस झाडफानूस के बडे कमरे में बैठ कर सत्ता की कुश्तियां लडते हैं और हमारा जो कुछ बनता बिगड़ता है उनका ठेट कनेक्शन, उनका ठेट सम्बन्ध नौकरियों तक ले जाते हैं कि ये नौकर भी जैसे विशेष सेना के सेनानी थे जिनके साथ प्रतिशोध लेना है। हम हमारी लड़ाइयां यहां लड़ सकते हैं, राजधानी की मांग को उठा सकते हैं, राजधानी की मांग को ठुकरा सकते हैं, हमें किन्ही डिपार्टमेंट्स को किसी जगह भेजना है भेजा करें, पर इन नौकरियों ने क्या गलतियां की हैं, इन नौकरियों के प्रति यह भावना क्यों ?

हम स्वयं देख रहे हैं पीरूमल के होस्टल में अजमेर के नौकर ठहरे हुए हैं, उनके साथ क्या व्यवहार है, वहां उनके लिये चाय का बन्दोबस्त नहीं और न बस का बन्दोबस्त है। उनके साथ ही अजमेर के धारा-सभाइयों को भी दूर रखा गया है जैसे वे अभी तक अजमेर के ही धारा सभाई बने हुए हैं। बडे मजाक से देखा जाता है, इस बात को जब हमें कहा जाता है, आप भी आ गये साहब। हम तो आने को तैयार थे, हमने तो प्रस्ताव किये हैं, हमने तो यह मांग की थी तभी यह फिजां पैदा हुई है कि अजमेर राजस्थान के साथ मिला है। अगर हम खड़े कदम रहते तो दूसरी चीज बैठती, विकेन्द्रीकरण का नमूना पेश करते, हमारी आपस की फूट को खत्म करते तो राजस्थान के साथ अजमेर नहीं आता। यह कोई फक्र की बात नहीं होती पर हमारी तो शुरू से राजस्थान के साथ मिलने की मांग थी। जिस वक्त वहां पन्नीकर इत्यादि, इस कमिशन के जो मेम्बर थे, वहां आये थे तो कइयों ने इस बात की ताईद की थी। उनका आप बदला ले रहे हैं। उसकी भावना स्पष्ट हो जाती है चाहे वह स्वीकार की जावे या नहीं।

अब नौकरियों की थोड़ी बहुत शिकायत और मांगे हमारे सामने आती हैं उनका उल्लेख करना उचित समझूंगा। वहां अजमेर में ५० रु० मंहगाई दी जाती थी, वह मंहगाई घटा कर २५ रु० की मंहगाई यहां पर दी जाती है। वह २५ रु० में घटाई गई। वहां के लोगों का यह स्पष्ट कहना है कि आज जयपुर में रहन सहन का अजमेर से ड्योढ़ा खर्चा है, राजस्थान की राजधानी होने से ड्योढ़ा स्तर है। वह होते हुए भी आज उनको २५ रु० की मंहगाई का स्तर कर दिया जाता है। सोचिये। अजमेर वालों का आज तख्ता बदल गया, जयपुर वाले तो सिफारिश करके रह जाते हैं। अजमेर वाले छोटे-मोटे व्यक्ति वहां से यहां भेजे जाते हैं और यहां से जैसलमेर, बीकानेर आदि भेजे जाते हैं। उनकी मंहगाई का कोइ ध्यान नहीं दिया जाता और फिर यह कहा जाता है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं यह कहूँगा कि भ्रष्टाचार क्यों नहीं होगा ? जब उनको पेट भर भोजन नहीं

[श्री नारायण सिंह]

मिलेगा तो होगा। जब उनका पेट नहीं भरेगा तो भ्रष्टाचार होगा। ऐसी परिस्थिति हमारी नौकरियों की है, तो उनका क्या दोष होगा ? वह होगा और यह है भी। इसका मतलब यह नहीं कि सरकारी नौकर राजनैतिक अर्दली की तरह हो जावें। फ्रांस का कांस्टिट्यूशन बराबर बदलता रहता है, मिनिस्टर भी बदलते रहते हैं और वही नकशा हमारे राजस्थान का है। डेमोक्रेसी का यही रूप है, कहीं स्तर और कहीं अस्तर। गवर्नमेंट बदलती रहती है लेकिन उसके साथ अगर ब्यूरोक्रेसी, नौकरियां अच्छी, अनुभवशाली और परिचित होती हैं तो चाहे जितना राज्य में ऊपर से परिवर्तन हो कोई चिन्ता की बात नहीं क्योंकि कोई "नृप होय हमें का हानी" वाली मिसाल पेश हो सकती है। लेकिन आज जो हमारी सरकार के नौकर हैं वे एक प्रकार से राजनैतिक अर्दली के रूप में हैं। जो राजनैतिक बवन्डर होता है उसको पहले और जो कानून की बात और न्याय की बात होती है वह बाद में क्योंकि पहले उनको अपनी स्थिति का ध्यान रखना पडता है।

अब यहां हाउस रेन्ट का प्रश्न आता है। हमारे वहां से कई सरकारी अहलकार आये हैं। जो लोग यहा पर आये हैं उनको मकान किराया देना पडता है जो वहां नहीं देना पडता और यहां पर कायदा यह है कि १०० रु० से अधिक किराया देना पडता है तो उसको किराया मिलना शुरू होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस कल्याणकारी राज्य की दुहाई देने वालों को जहां गरीबों की भलाई करनी चाहिये वह तो दूर रही, उधर गरीब नौकरों को हम कोई रियायत नहीं देना चाहते। जो १० रु० से ऊपर हाउस रेन्ट दे सके उसको हम १० प्रतिशत देने को तैयार हैं, यह इसका मतलब होगा।

यहां के टी. ए. और मेडिकल रूल्स भी नीचे स्तर के हैं। वहां अजमेर का स्तर ऊंचा है। मैं समझता हूं कि एस. आर. सी की रिपोर्ट और एस. आर. एक्ट जो बना है उसमें भी एक ऐसा क्लॉज़ है कि कहीं भी नौकरियों का स्तर नीचा नहीं किया जावेगा, ऊंचा ही किया जावेगा। मैं नहीं समझता की वह लक्ष्य और आदेश कहां गये ?

अजमेर में छोटे मोटे नौकरों को हायर स्टडीज़ के लिये, ऊंची शिक्षा के लिये काफी अवसर था। बीच में एक थोड़ा सा सवाल खड़ा हुआ था लेकिन जुडिशियल कमिशनर के वहां से फैसला हो गया और वह यह फैसला हुआ कि नौकर हायर स्टडीज़ के लिये जावें तो कोन्सटीट्यूशनल कोई एतराज की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि राजस्थान भी इसकी मिशाल लेगा और नौकरियों को हायर स्टडीज़ के लिये इन्कार नहीं करेगा। हायर स्टडीज़ में छोटे मोटे अलहकार अपनी प्रगति के लिये नौकरी करते हुए डिग्री या दूसरी तालीम लेना चाहें और उनके काम के अंजाम में कोई फरक नहीं पड़ता हो तो सरकार का यह फर्ज है कि उनको पूरी पूरी इमदाद दें।

अब रिवर्शन का प्रश्न आता है। कहीं कहीं के लोग सब्स्टेन्टिव और टेम्पोरेरी होते हैं उनके लिये प्रशासनिक प्रश्न पैदा करके छोटे ओहदे पर रिवर्शन कर दिया जाता है और कई

[श्री नारायणसिंह]

लोगों का रिवर्शन छोटे ओहदों पर हुआ है। रिवर्शन हो। हम यह नहीं कहते कि अजमेर के नौकरों के साथ विशेष रियायत बरती जावे। उसमें भी काम के चुरानेवाले और नाकाबिल हो सकते है, सिफारिश से आये हुए भी हो सकते हैं लेकिन आप यह न भूलें कि वहां पर सिफारिशों से आये हुए हैं तो यहां पर भी सिफारिशों वालों की तादाद कम नहीं हो सकती। अगर इस पर विचार करना है और उनको रिवर्ट करना है तो यहां के और वहां के दोनों की पार्टी के लोगों की सीनियोरिटी का विचार करके करिये, अन्यथा नहीं। कई वहां के नौकर जो रेवेन्यू, राजस्व विभाग में काम करते थे, उनको आज कोमर्स एण्ड इन्डस्ट्री में जोत दिया गया है अथवा दूसरी जगह लगा दिये गये हैं। इस प्रकार का यदि डिपार्टमेंटल परिवर्तन किया गया तो जो प्रशासन में अच्छाई होनी चाहिये, जो मुस्तैदी होनी चाहिये उसमें फर्क आ जावेगा। वहां के एक अहलकार को एक जगह का पूरा अनुभव है, जहां पर उसने काम किया है, उसको अगर व नहीं बिठाया जावेगा तो ज्यादा अच्छा कामअंजाम दे सकता है। यदि उसको मुतवातिर बदला जावेगा तो हमारे कार्य में बाधा ही पड़ेगी। और हम यह न भूलें कि हमारे सामने द्वितीय पंच वर्षीय योजना और आगे बहुत से दूसरे विकास के कार्य हमारे सामने मौजूद हैं। हमें नौकरियों के इन्टीग्रेशन की तरफ पूरा पूरा खयाल रखना चाहिये और खास कर उनकी काबलियत पर। ऐसी चीज पैदा करके हमें गड़बड़ पैदा करने की प्रवृति नहीं करनी चाहिये।

अभी मुझे थोडी सचना मिली है कि १३४ क्लर्क......

(श्री जवान सिंह, सभापति, पदासीन)

और अजमेर के १३६ चपरासी जो चार-चार महीनों के नौकर थे, उनको बिल्कुल बिना पूछे बर्खास्त कर दिया है। इससे हमें तो वही जो राज्यशाही पहले २१ रियासतों में बटी हुई थी उसकी याद आ जाती है। उनको इस तरह से समेरिली बरखास्त करना, जब कि वे लोग ६ महीनों की तालीम अपने खर्चे से ले चुके हैं, कहां तक जायज है? इस छोटे स्तर के लोग, १३४ क्लर्क थर्ड ग्रेड के और १३६ चपरासी अब कहां जावेंगे? एक तरफ तो हम बातें करते हैं कि बेरोजगारी को मिटा रहे है और दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों में कटौती करते हैं। वही बेरोजगारी का प्रश्न पैदा हो जाता है।

शिक्षा के विभाग से भी..........

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—दो मिनिट में आप अपनी स्पीच खत्म कर दें।

श्री नारायण सिंह—दो मिनिट में तो खत्म नहीं हो सकेगा; दूसरों को भी तो अधिक समय दिया गया है।

श्री सभापति (श्री जवान सिंह)—जो कहा गया कि आप दो मिनिट में समाप्त कर दें, ठीक है।

श्री नारायणसिंह—शिक्षा के विभाग से भी और दूसरे महकमों से भी लोग यहां आये हैं और उनको दो-दो सौ रुपये की कमी भुगतनी पड़ी, कहीं सब्स्टेन्टिव पे के सवाल उठे हैं मगर मैं फिर उसी बात को याद दिलाता हूं कि एस० आर० सी० ने इस बात की ताईद की है कि जहां कहीं पे स्केल कम हैं वहां ठीक स्तर पर लाया जाय। किसी को भी पे आदि में नुकसान नहीं होना चाहिये। तो यह चीज हमारे से नजर अन्दाज हो जाती है, अलग हो जाती है। यह तो नौकरियों का चित्र है। कई इस प्रकार के और भी चित्र हो सकते हैं और हमारे सामने आ सकते हैं। नौकरियों में जो आई० ए० एस की काबलियत वालों को पोस्ट दी जानी चाहिए वह पोस्ट इस बात पर इन्कार की जाती है कि आर० ए० एस नहीं है और राजस्थान वालों को जो आइ० ए० एस० नहीं हैं उनको बड़ी पोस्ट दे दी जाती है। मैं इस विषय में कोई खास बातों में नहीं आना चाहता, कोई खास निशान पर इंगित नहीं करना चाहता लेकिन इन बातों की तरफ इशारा करके राजस्थान गवर्नमेंट का ख्याल उस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वह अजमेर को हृदय की तरह समझती है, हृदय की तरह बताती है तो उसे हृदय की तरह ही समझे और जो यह अलगियत का व्यवहार वह दर्शा रही है वह व्यवहार उचित नहीं है। आखिर अजमेर राजस्थान का अविभाज्य अंग है और उसको उसी तरह से सोचें। मैं इसमें यह सुझाव देता हूं और हमारा यह भी दावा है कि अजमेर और राजस्थान की सर्विसेज़ के इन्टीग्रेशन के लिए एक कमेटी नियुक्त होनी चाहिए, एक एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी नियुक्त होनी चाहिये जिसमें अजमेर की धारा सभा के प्रतिनिधि और राजस्थान की धारासभा के प्रतिनिधि हों और जिसमें एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधि भी हों और उसमें अगर चाहें तो जो हमारे ट्रेज़री बेन्चेज़ में बैठे है उनमें से एक अध्यक्ष बने, चाहे हमारी अजमेर के ट्रेज़री बेन्चेज़ की ओर से अध्यक्ष हो और वह निर्णय करें इन सभी इन्टीग्रेशन के मामलों में। तो इस तरह से इसमें कोई भी तरफदारी का विषय नहीं रह पायेगा।

अब मैं एक दूसरे मुद्दे पर आता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने सरकारी कानून और कर के बारे में अपने अभिभाषण में चर्चा की है। कानून और करों का समानीकरण वास्तव में एक मौजू विषय है और आगे या पीछे हमको यह प्रश्न फिर भी उठाना ही पड़ेगा। कानून के बारे में सबसे पहले मैं इशारा करूंगा पंचायत कानून की तरफ। आज पंचायत कानून हमारे विकेन्द्रीयकरण का एक मापदण्ड है। हमारी नीति विकेन्द्रीयकरण को अधिक बढ़ावा देने की तरफ है। हम चाहते हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था गांधीजी के विचारों के अनुकूल ही विकेन्द्रित हो और उस विकेन्द्रीयकरण के साथ हमारी केन्द्रीय पद्धति का इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन भी हो सकता है क्योंकि हमारी एक मिलीजुली अर्थनीति है और इसका मापदण्ड है पंचायत कानून। पंचायत कानून जो अजमेर के हैं और राजस्थान के हैं वह तो केवल लकीर के फकीर हैं, उनमें कोई विशेषता नहीं हैं। वह पंचायत कानून को एक प्रकार से कानूनी हक जरूर देते

Page No.97

[श्री नारायणसिंह]

हैं पर पंचायत वालों को सेवाभाव महसूस नहीं करवाते हैं, वह यहमहसूस करवाते हैं कि वह भी वहां के कुछ सत्ताधीश होंगे। हमने हमारी जागीरदारी और जमींदारी की प्रथा का उन्मूलन किया औरइस समस्या का भी हमने अच्छी तरह से हल किया। हम देखते हैं कि पहले एक एक गांव में एक जमींदार या दस दस गांव का एक जमींदार था। अगर हम आज की पद्धति पर पंचायत कानून के ऊपर जो पंचायतें बनाने की और जोर दिया है, जिसमें नामीनेशन के भी सवाल हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट काफी दखल भी दे सकती है। पंचायतों में पंचों को फिर भी ऊंचे की ओर देखना पड़ता है, मंत्रियों की तरफ और सत्ता की तरफ भी देखना पड़ता है, तो यह पंचों पर अपना फिजूल का प्रभाव जमा कर अपना मन चाहा निर्णय करवा सकते हैं। जहां इस प्रकार का एक कानून हो वहां यह आवश्यक है कि उसमें तुरन्त ही संशोधन किया जाय क्योंकि यह तो एक तरह से वही तस्वीर बनी कि जैसे पहले के जमाने में १० गांवों में एक जागीरदार था तो अब एक गांव में १० जागीरदार होंगे। हम ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते। दूसरे अगर हम उनको दीवानी और फौजदारी के अख्तियारात देकर सन्तुष्ट होते हैं तो वह इन अख्तियारातों का गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं आपसे सच कहता हूं कि इससे पंचायतें बदनाम होती हैं। अगर पंचायतें बदनाम होती हैं तो यह हमारी ही जिम्मेदारी है। हम एक व्यवस्था के प्रति जनता के अन्दर शंका पैदा करते हैं तो वहां यह आवश्यक है कि बजाय इसके कि उनको एक कानूनी मूलाधार दिया जाय, मैं तो कहता हूं कि एक आर्थिक मूलाधार दिया जाना चाहिए। इससे मेरा मतलब यह है कि हरएक गांवों के अन्दर हमारी अगर सैल्फ सफीशियेन्सी की पोलिसी हो तो वहां पूंजी और खपत का पूरा नक्शा बना कर हम एक स्थानीय व्यवस्था पैदा कर सकते हैं। इस चीज को हम पंचायतों के तहत में करें। वहां की धान की खपत का नक्शा वह पहले बनायें, हमारी विकास की कोई योजना हो उसके बारे में वहां के जानकारों से राय लेकर नक्शा बनायें: कितना कपड़ा उनको चाहिये, कितना अन्न चाहिये और कितनी उनको और दूसरी चीजें चाहिये फिर उस नक्शे के मुताबिक वहां के उत्पादन का नियोजन कर वहां के उत्पादन का वह प्रयोग करें। साथ ही वह इस चीज का भी ध्यान रखें कि कितनी बीघा के अन्दर क्या होगा और कितनी बीघा में क्या होगा, इन सब बातों का हिसाब पंचायतों को रखना चाहिये। इसके पश्चात् वहां के जो छोटे मोटे उद्योग धन्धे हैं उनको वह चलायें। हम जो इस मुताल्लिक स्कीम बनाते हैं उसको आंकते हैं और फिर उसको कार्य रुप में परिणत करते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारी स्कीमें केवल आकाशी स्कीमें हैं, उनको बनाते हैं और मान लेते हैं और सोचते हैं कि वहां यह होना चाहिये और वहां यह होना चाहिए, तो यह सब एक प्रकार से आकाशी नियोजन मात्र ही रह जाता है। अगर हम पंचायतों की मारफत उद्योग धन्धों का नियोजन करेंगे तो मेरे विचार में वह अधिक उचित होगा। साथ ही ग्राम पंचायतें यह भी सोच सकती हैं कि सेल्फ सफिशियेन्सी के हिसाब से कौन सा धंधा ठीक रहेगा, तो यह सब बातें ग्राम पंचायतों के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिये। हमारे यहां बात चीत की जाती है कि हम कुटीर उद्योग खोलेंगे, हम स्माल इन्डस्ट्रीज़ की तरफ ध्यान देंगे; यह ठीक है, इसमें पंचायतें बहुत काफी रोल प्ले कर सकती हैं। लेकिन एक बात रह जाती है कि

[श्री नारायणसिंह]

जो शहरी कारखानों में उत्पादन होता है वह फिर कुटीर उद्योग के ठीक कम्पीटीशन में आएगा, उसको आज कोई नहीं विचारता है। हमें शहरी उद्योग-धंधों को भी एक क्षेत्र देना होगा। हमें गांवों और शहरों के बीच में कोई कम्पीटीशन करने की जरूरत नहीं है। हमें दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाना है। इस स्तर की जो चीजें होंगी वह शहरी उद्योग धन्धों मे आएंगी और जो छोटे स्तर की चीजें होंगी यानि जो रोजमर्रा के काम की चीजें होंगी इनका ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग में उत्पादन होगा और इसमें ग्राम पंचायतों को या तो सलाह का या एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य दिया जा सकता है, वह इस प्रकार की टैरिफ भी लगा सकती हैं, बचाव पैदा कर सकती है जिससे वहां के कुटीर उद्योग पनप सकें। ग्राम पंचायत वहां के कोऑपरेटिव मामलों का भी निरीक्षण कर सकती है। इस तरह से पंचायत के हाथ में बहुत से मौजू कार्य आ सकते हैं। आर्थिक अधिकार पंचायतों को अधिक दिये जायें। रेवेन्यू अधिकार दूसरी चीज है, यह भी उसको दिये जा सकते हैं। परन्तु यह रेवेन्यू अधिकार पंचायतों को केवल एक निरीक्षण के अन्दर ही दिये जा सकते हैं। मैं आपको ठीक बताऊं कि वह वहां की समस्या को ज्यादा समझ सकते हैं बजाय इसके कि जो रेवेन्यू के मसले हों वह अदालतों में जायें। यह अवश्य है कि काश्तकारी कानून बना कर आपने काश्तकारों को राहत दी है लेकिन इसका लुब्बे लबाब यह है कि आज इन कानूनों के जरिये काश्तकारों की राहत या तो वकील साहब की किताब में है या जज साहिब की मेज पर है। हम तो यह चाहते हैं, हमारे यहां रामराज्य पैदा हो, हमारा स्वराज्य दिल्ली से हरेक आदमी की देहली पर आये। वह देहली पर कब आ सकता है जब कि उनको विकेन्द्रित शासन मिले। जब उसको रोटी–कपड़े के लिये, अपने अन्न की व्यवस्था के लिये दूसरों की तरफ झांकना नहीं पड़ेगा; अपनी आवश्यकता के लिये जब उसको दूसरों की ओर न झांकना पड़ेगा और छोटा मोटा शासन उसके हाथ में होगा, तभी सही मायने में स्वराज्य स्थापित हो सकेगा। सिर्फ हमारा दृष्टिकोण आखिरकार यही रहना चाहिये। गवर्नमेंट के ऊपर के तबके का कार्य यह होना चाहिये कि इन कामों का समन्वय करे, पोलिसीज़ बनाये। जब हम पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज़ में विकेन्द्रीकरण लागू करेंगे उतने ही अधिक अर्थ में हम एक विकेन्द्रित आर्थिक और राजनैतिक फिज़ा पैदा करेंगे।

पंचायतों के बाद मैं भूमि समस्या की तरफ भी सदन का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक समझता हूं। भूमि कानूनों का समानीकरण करने के बारे में मैं भी प्रकाश डालूंगा। अजमेर में एक सीलिंग लागू कर दिया गया है। अभी हमारे धारा सभायी कम्युनिस्ट साथी तकरीर कर रहे थे, उससे हमें यह पता चला कि यहां राजस्थान में सीलिंग के ऊपर विचार बहुत ढीलेपन से किया जा रहा है। मेरे ख्याल से इस बात को सुनकर हमारे अजमेर स्टेट के भूतपूर्व राजस्व मंत्री, अजमेर में जो सीलिंग मुकर्रर कर दिया, इस बात के लिये गौरव का अनुभवकर रहे होंगे। लेकिन जब हम राजस्थान में देखते हैं, सीलिंग मुकर्रर नहीं हुआ इस तरह से एक जगह हो गया, दूसरी जगह नहीं हुआ; यह चीज उचित नहीं है। अब हमें यह देखना है कि सीलिंग किस सिद्धान्त के आधार पर लगता है?

[श्री नारायणसिंह]

उसमें होल्डिंग्ज़ का कोई सिद्धान्त होना चाहिये, उसकी कमेटी द्वारा जांच होनी चाहिये । एट रेन्डम सरकारी ऑफिसरों की राय से सीलिंग लागू कर देते हैं तो यह गलत चीज होती है और इसी कारण कुछ लोगों को शिकायतें पैदा हो गई । आज राजस्थान में जैसी फिजां जैसलमेर की है उससे भिन्न भरतपुर की फिजां है । राजस्थान की मरु भूमि में जो ऊपज का नकशा है वह भिन्न है, जयपुर की भूमि का उपज का नकशा अलग है । जब हम सीलिंग का स्टेन्डर्ड कायम करते हैं तो हमें इन सब बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा, कई प्रकार के क्वान्टम्स बनाने पड़ेंगे कि किस प्रकार हम आदमी के बजट को ठीक बेलेन्स से रख सकते हैं, उसके बाद उस भूमि के नियन्त्रण इत्यादि का खयाल करना पड़ेगा । केवल एक तबके पर ही भूमि—नियन्त्रण नहीं कर सकते । आज अजमेर में जो सीलिंग मुकर्रर हुआ उसमें हमें डिसपेरिटी का नक्शा साफ मालूम पड़ता है । उसमें ऐसा है कि जो इस्तमुरारदार लोग हैं उनके पास तो पचास एकड़ जमीन होगी । जो इस्तमुरारदार वर्ग नहीं, मामूली काश्तकार हुआ तो हमारे पड़ौस में ही वह १०० से लेकर ३०० एकड़ और ५०० एकड़ तक भी भूमि रख सकता है । कानून में डिसपेरिटी किसी भी दृष्टिकोण से और खास तौर से प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण से सही नहीं मानी जा सकती । यह अजमेर में मौजूद है । वहां केवल मध्यस्थ वर्ग पर सिलिंग है ।

हम तो सिलिंग के शिकार हो चुके, हमारी तो कोई बात नहीं, किन्तु हम यह कहते हैं कानून सब पर समान रूप से लागू हो, जहां दूसरे को हक मिले वहां हमारे हक मारे जाने नहीं चाहिये । जहां हम यह देखते हैं कि हमारे अजमेर के लैन्ड लॉज़ बने, उनमें पुनर्वास के लिये कोई विचार नहीं किया गया जब कि राजस्थान के नये लैन्ड लॉज़ में जागीरदारों की पुनर्वास की व्यवस्था पर विचार किया है, उनको खुदकाश्त की भूमि आदि देने का विचार किया है और खुदकाश्त के लिये जमीन भाखरा आदि नहरी इलाकों में दी भी गई है और दी जा रही है । यह चीजें ऐसी हैं जो वास्तव में सही संतुलित दृष्टिकोण वाली कही जा सकती हैं । यहां के टीनेन्सी एवं लैन्ड लॉज़ प्रतिशोध की भावना से परे प्रतीत होते हैं । मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार की चीजें सभी जगह होनी चाहिये । आपने यह चीजें अजमेर के लैंड लॉज़ में नहीं कीं । क्या वहां के इस्तमुरारदारों को खुदकाश्त जमीन की जरूरत नहीं ? उनको भी खुदकाश्त की जरूरत है, उनको भी पुनर्वास की जरूरत है । हां बड़े बड़े जागीरदारों की इतनी गरूर यह समस्या नहीं हो सकती लेकिन बड़े जागीरदारों के साथ छोटे छोटे भी जागीरदार आये हैं जिनके हजार दो हजार की जागीरें थी जिनको चन्द रूपये ही मिलने वाले हैं । राजपूतों में जागीरदारों में कुछ इस प्रकार की परम्परा रही है, कुछ हमारे सामाजिक दोष के कारण, कई और जगह राजपूतों के अलावा भी दूसरे वर्ग के जागीरदार भी हैं जो खुदकाश्त नहीं करते थे । कई जगह तो ऐसा था कि ठाकुर साहब हल जोतना अपनी डिग्निटी से खिलाफ समझते थे इसलिये हल नहीं जोतते थे पर उन ठाकुर साहब के पास रोजी का जरिया भी नहीं होता था, नौकरी से पेट पालते थे । आज जब उन ठाकुर साहब के पास से जमीन छीन ली जाती है तो वे बेचारे क्या करेंगे ? एक तरफ तो उनकी जमीने चली जाती है और उस ओर

[श्री नारायणसिंह]

खयाल नहीं किया जाता है तो आज वे किस परिस्थिति में रह जायेंगे उन सब चीजों पर विचार करना आवश्यक है।

इसके अलावा अजमेर में जो जागीर एबोलिशन कानून लागू हुआ उससे जहां मध्यम वर्ग उन्मूलित हुआ उसके साथ साथ उनके जो अहलकार थे वे भी काफी तादाद में बेरोजगार हुए हैं। मैंने उस वक्त अजमेर के राजस्व मंत्री से कहा भी था कि जो आज राजस्थान में भी मंत्री पद पर हैं उनसे अर्ज की और विनय की, उन्होंने उस वक्त इस ओर कुछ खयाल भी किया था। मैं उनसे फिर यह चाहूंगा कि जब अजमेर राजस्थान का अंग बन चुका है, वैसी हालत में राजस्थान के उन्मूलित वर्ग के अहलकारों को जहां काफी अच्छी अच्छी जगह मिल गई हैं करीब ६५ प्रतिशत यहां के उन्मूलित वर्ग के अहलकारों को काम मिल गया है वहां मैं नहीं समझता कि हमारे अजमेर के उन्मूलित अहलकार हैं उनमें ४०—५० प्रतिशत को ही क्यों स्थान मिल कर रह जाय। आपको यह नहीं सोचना चाहिये कि यह तो उन प्रतिक्रियावादियों के अहलकार हैं जिनको हम नहीं रख सकते। आखिर नौकर २ ही होते हैं वे हमेशा शासन के प्रति वफादार होते हैं। जब ब्रिटिश राज्य था आप आज जो मंत्री पद पर हैं उनको भी जेलों में रखा था जिन अधिकारियों ने आज उनको भी सर्विस लिए हुए हैं तो आपको तो उसी दृष्टि से देखना होगा। नौकर एक प्रकार से बन्दूक की तरह है जिसके हाथ में बन्दुक है वह चाहे जिस ओर निशाना लगा सकता है। नौकर की इस माने से इन्ट्रीग्रीटी में डाउट नहीं करना चाहिये वे तो हमेशा शासन के साथ लोयल रहे हैं। आज नौकरों के प्रति किसी भी प्रकार का दृष्टिकोण लाकर उनको अपदस्थ करना मैं ठीक नहीं समझता। जो राजस्थान के अन्दर ऐसे अहलकारों के साथ व्यवहार किया गया है वैसा ही व्यवहार अजमेर के उन्मूलित अहलकारों के साथ होना चाहिये।

चेयरमेन महोदय, अब मैं विकास के संबन्ध में कुछ बातें कहना आवश्यक समझता हूं। विकास के बारे में राज्यपाल के भाषण में कुछ अधिक बातें कही गई हैं, अगर हम राज्यपाल के भाषण को इस दृष्टि से देखें तो हमें पता चलेगा कि विकास के संबन्ध में एक प्रकार से सारा भाषण संगठित सूत्रसा होते हुए भी विकास के प्रति इस भाषणमें दो-चार पन्ने लिखे गये नजर आते हैं। कहा गया है कि अतिरिक्त जिलाधीश बनाये जायेंगे, टैक्निकल विभाग के कर्मचारियों की संख्यामें आवश्यक वृद्धि कर दी जावेगी, पशु पालन को कृषि विभाग से पृथक् कर दिया जावेगा और इसके लिये एक अलग विभाग स्थापित किया जावेगा, सिंचाई के बढ़ते हुए कार्य को देखते हुए एक और चीफ इन्जीनियर का स्थान नियत किया गया है, इत्यादि कई बातें लिखी हैं। ये सब बातें की जावेंगी। बडी सन्तोषप्रद बातें हैं। आगे कुछ प्राथमिकताओं पर भी जोर दिया गया है और वह पेज ५ पर एक से लगाकर ५ की संख्या तक बताई गई हैं। यह तो एक बड़े उत्साह की बात है कि इन बातों की ओर हमारा ध्यान अधिक आकर्षित हो रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर भी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के हर स्थान के विकास कार्यों के लिये भी 'सन्तोषजनक स्थिति' के शब्द का

[श्री नारायणसिंह]

प्रयोग किया जाता है । सबको सन्तोष होता है, हमें भी संन्तोष है। । सभी जगह सन्तोष है पर उस सन्तोष के नीचे जो असन्तोष की लहरें हैं, लकीरें हैं, उनको यदि हमने नहीं देखा यदि हमने अपने सेल्फ सन्तोष में, 'स्व' के संरक्षण में आत्म निरीक्षण को तिलांजलि दे दी तो बड़ी गलत परिस्थित उत्पन्न होने वाली है । अभी कुछ मेम्बरों ने इस बात की ओर सदन का ध्यान दिलाया था कि हम लोग करोडों की तादाद में रुपया खर्च कर रहे हैं । गांवों में सड़कें बना रहे हैं इमारतें बना रहे हैं, स्कूलें बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं और यही नहीं, छोटे से गांव में जहां पहले एक कोई पुलिस अफसर या थाना होता था वहां आज सौ सौ दो दो सौ तीन तीन सौ अहलकार नजर आते हैं । तो इस दृष्टि से प्रगति का एक बडा भारी खाका हमारे सामने खड़ा हो जाता है और हम सोचने लगते हैं कि एक बड़ी संन्तोषजनक प्रगति है । गांव वाले में उत्साह भी इससे उत्पन्न हुआ है, इसलिये कि कोई भी नई चीज उत्पन्न होती है, कोई भी हंगामा गांव में कभी पैदा होता है तो उसको देखने के लिये गांव के लोगों में एक उत्साह पैदा हो जाता है । तो यह हंगामा जहां पैदा हुआ वहां कई अच्छी बातें पैदा हुई हैं । लोगों का सेल्फ हेल्प की तरफ ध्यान गया है, श्रमदान हुआ है, एक जन जागृति उत्पन्न हुई है । पर इसके साथ ही मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि इस उत्साह के नीचे जो छिपी हुई निरुत्साह की लहरें हैं, लकीरें हैं उनको पढ़ने का भी आप प्रयत्न करें । जो कुछ भी यह मोमेन्टम पैदा हुआ है नकली पैदा हुआ है । जिस प्रकार से एक फेमीन रिलीफ कार्य पर एक हंगामा पैदा होता है और वहां एक फौज पैदा हो जाती है कार्य करने वालों की, उसी तरह से आज इन विकास कार्यों में भी एक फौज और हंगामा की स्थिति पैदा होने से हमारा दृष्टिकोण अगर तथ्यातथ्य के निर्णय से हटकर स्व संरक्षण की तरफ जा रहा है तो इसे चैक करने की आवश्यकता है । हमें हमारी कमजोरियां भी देखनी पडेंगी, तथ्यातथ्य के निर्णय करने से मुंह नहीं मोडना होगा । वह तो कमजोरी अगर है तो सबकी है । तो इस चीज को खास तौर से हमें देखने की आवश्यकता है कि यह जो एक नकली मोमेन्टम, टेम्परेरी एम्प्लोयमेन्ट एक प्रकार से विकास योजनाओं में खड़ा हो गया है उसको परमानेन्ट करने की क्या व्यवस्था है । यह जो लाखों रुपया इस हंगामे के लिये खर्च हो रहा है इसमें से कितना रुपया उत्पादन की तरफ जा रहा है और कितना रुपया उद्योगों को पनपाने की तरफ जा रहा है, एक प्रकार की एक पुख्ता आर्थिक नींव डाली जा रही है या नहीं । मसूदा अथवा किसी और गांव पर अगर दस पन्द्रह बीस लाख रुपया खर्च होता है तो उससे वहां की रोनक बढ़ जावेगी जरूर पर वह चन्द रोज होगी । लेकिन अगर इस दस पन्द्रह लाख में से इतना धन उत्पादन और उद्योग धंधे नहीं बढ़े कि जिससे वह रोनक स्थायी बन सके, तो आखिर जब यह हंगामा पूरा होगा, जब यह महफिल पूरी होगी तो हमारे सामने क्या नक्शा होगा ? तो यह मैं अर्ज कर रहा हूं ।

हम शराब की खुमारी में कुछ नहीं महसूस करते, पर जब शराब की वह खुमारी उतरी है तो महसूस होता है । तो इसी तरह से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हम केवल आत्म सन्तोष के गढ़ में नहीं बैठे रहें । हम देखें कि वास्तव में वस्तुस्थिति क्या है ?

[श्री नारायणसिंह]

राज्यपालीय भाषण में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तरफ और जो स्कीमें चालू होने वाली हैं उनकी तरफ तो इशारा किया गया, पर यह नहीं बताया गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या खामियां रहीं और उन्हें किस प्रकार से दूर करना है। इस चीज को हमें विस्तृत रूप से देखने की आवश्यकता थी। आज यह मैं नहीं कहता, कई इकोनोमिक मेगज़ीन कहते हैं, कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि आज जो हमारी अंकन व्यवस्था है, स्टेटिस्टिक्स हैं, बहुत कमजोर भित्ती पर आश्रित हैं। मैं आपके सम्मुख अगर इस विषय के दृष्टान्त प्रस्तुत करूं तो अधिक समय लगने की सम्भावना है और उतना समय है नहीं, इसलिये इन सब दृष्टान्तों के बारे में नहीं कहूँगा, पर अजमेर धारासभा का एक दृष्टान्त अवश्य अर्ज करूंगा। वहां जिस समय इस सम्बन्ध के स्टेटिस्टिक्स रक्खे गये और इस पर मैंने उनकी आधारशिला के विषय में जब प्रश्न रक्खे तो पता लगा कि जो आधार भूत सूचनाएं इस विषय में होनी चाहियें वे भी उनके पास नहीं थीं और यह हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया कि उनके पास अभी तक वह चीज नहीं आई। तो इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि हमारे अंक, हमारी स्टेटिस्टिक्स कितनी कमजोर है और उन्हीं कमजोर आंकडों पर हम आगे के विकास का ताना बाना कैसे बुन रहे हैं। हमने तो यह सोच लिया कि हमने किसी को एक हजार की तकावी दे दी तो इससे दस मन अनाज की वृद्धि हो गई। मैं स्पष्ट निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी जो विकास योजनाएं बन रही हैं और जो इनकी प्रगति की बातें की जा रही हैं वे इसी प्रकार के अंकन पर आश्रित हैं। हमारी विकास योजनाओं की प्रगति का जो अंकन किया जाता है और जिसे इनकी प्रगति की कसौटी बनाया जाता है उनमें सिर्फ इन आंकडों पर आश्रित खानापूरी मात्र है, जैसे एक हजार, दो हजार या दस हजार की तकावी दी और उसी हिसाब से दस, बीस या पचास मन अनाज बढ़ गया, ऐसा मान लिया। यह किसने देखा कि वास्तव में दस मन अनाज बढ़ा भी या नहीं। वह रुपया जो तकाबी में दिया गया वास्तव में तकावी के ही काम में आया कि नहीं या कि वह शादी विवाह आदि में ही चला गया। इसकी कोई देखभाल नहीं है। यह भीतरी बट्टा क्या है इसका पता लगाने की आवश्यकता है।

मैं स्कूलों के बारे में आपको बताऊं। हम स्कूलों की गिनती बताते हैं कि हमने इतनी स्कूलें खोल दीं पर उन स्कूल में पढने वालों की भी कभी गिनती की है हमने? यह पता लगाने का कभी हमने प्रयत्न किया कि किस स्कूल में किस समय कितने अध्यापक हैं और वहां कितने पढ़ने वाले हैं? अगर थोडी सी डिटेल में भी मैं आपको ले जाऊं और अजमेर की स्कूलों के बारे में थोडा सा निवेदन करूं तो बड़ी अजीब सी बातें मालूम होंगी। एक स्थान पर देखा गया कि किसी स्कूल में तीन चार अध्यापक हैं और आठ पढ़ने वाले। (हंसी)

तो इस प्रकार की प्रगति की तरफ से हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसे बराबर देखते रहने की आवश्यकता है। हमें राष्ट्र का निर्माण करना है। हमें हमारी कमजोरियों को ढकना नहीं है, वरन् उन्हें देखना है और मैं तो कहूँगा कि हम जिस समय अपनी कमजोरियों को

[श्री नारायणसिंह]

महसूस करना सीख जावेंगे, अपनी कमजोरियों का मुकाबला करना सीख जावेंगे, तो वह कमजोरी दूर भागने लगेगी। पर जिस वक्त हम उस कमजोरी को ढकने की कोशिश करेंगे तो वह अन्दर ही अन्दर सड़ने लगेगी, दुर्गंध पैदा कर देगी, आपको अन्दर से गला देगी।

एक और भी इसमें बात है। हमें यह भी देखना है अहलकारों की तादाद क्या है? अहलकारों के बारे में एक कहावत है कि "Too many cooks spoil the broth." तो ऐसी चीज तो नहीं हो रही है। ऐसी चीज देखने की आवश्यकता है। इस विषय में कई लोगों ने, कई अर्थ-शास्त्रियों ने और दूसरे विशेषज्ञों ने ध्यान आकर्षित भी किया है कि जो हमारी अहलकारी चैनल हैं वह ऊंट की गरदन की तरह बड़ी लम्बी चौड़ी है। जब तक किसी काम के लिये मन्जूरियां आती हैं, तब तक वक्त गुजर जाता है उस काम का और कई बातें उल्टी-सीधी हो जाती हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने इसके लिये डिनाई किया। वह डिपार्टमेन्ट का ही केवल दोष नहीं है, किसी खास व्यक्ति का भी दोष नहीं है। यह डिपार्टमेन्टल व्यवस्था का खासकर दोष है। इसमें मन्जूरियां हासिल करने में और कोओर्डिनेशन बैठाने के कार्य में ही इतना लम्बा चौड़ा रास्ता है कि जिसमें से निकलते निकलते ही समय समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से कि इस हाल की गलियों का हाल है। मैं जब इस हाल की गलियों में आता हूँ तो एक में अगर घुस गया तो दूसरी में पहुंचना मुश्किल हो जाता है, इस हाल में पहुंचना भारी हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो प्रशासनिक गलियां बनी हैं उनको थोड़ा सीधी तरह से लाने की आवश्यकता है।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—Now I will remind the Hon'ble Member that he has taken three times the time which is allotted to other members.

श्री नारायणसिंह—I shall take only 10 minutes.

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—You are allowed only two minutes more.

श्री नारायणसिंह—I hope I shall be allowed those two minutes which have been allowed to other members, which is equal to 20 minutes.

श्री सभापति—No. This is the last.

श्री नारायणसिंह—तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना के फलाफल को हमें देखने की आवश्यकता है कि इसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। राष्ट्रीय आय का हमारा जो लक्ष्य था १० हजार करोड़ का वह हमने प्राप्त किया या नहीं। इसमें से हमने उपलब्ध किया है ६६५५ करोड। इस प्रकार से १७ प्रतिशत की राष्ट्रीय आय में हमारे वृद्धि हुई। अब यह ६ प्रतिशत हर साल की वृद्धि के ४८-४९ एवं ५१-५२ के आंकड़े हैं। राष्ट्र की साधारण आय में ६ प्रतिशत की वृद्धि होती है। डेढ परसेन्ट सालाना का हिसाब आता है। इस हिसाब से

[श्री नारायण सिंह]

आज अगर यह ६ परसेन्ट का उल्लेख किया जावे तो केवल दो परसेन्ट हमारी राष्ट्रीयआय सालाना बढ़ती रह जाती है। अन्यत्र दूसरे देशों में ६,६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो हमें इस पर भी विचारने की आवश्यकता है! जब इतना खर्चा हो रहा है तो यह सस्ता कैपिटल फोर्मेशन क्यों ?

इसके अलावा इधर तो हमारी राष्ट्रीय आय की वृद्धि बताई जा रही है और उधर अनाज इत्यादि की दरें कम होती चली जा रही हैं। उधर कन्जूमर्स गुड्स के भाव बढ़ते जा रहे हैं। तो कृषकों के लिये यह एक समस्या बनती जा रही थी। प्राइस सपोर्ट की पोलिसी भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाई तो इन चीजों पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

बेरोजगारी के बारे में भी जहां डेढ करोड़ बेरोजगार माने जाते हैं वहां भी आंकन को त्रुटि है। अगली पंचवर्षीय योजना में ८० लाख बेरोजगारों को समावेंगे और उसमें से भी कहा जाता है कि ४, ५ लाख कुटीर उद्योगों में एवं छोटे उद्योगों में खपेंगे तो यह तो ऐसा ही अपूर्ण आंकड़ों पर आधारित प्रचार है। इस विषय में मैं अधिक तो नहीं कह सकता पर सदन के स्तर पर मैंने जो पत्र व्यवहार हमारे अजमेर के माननीय मुख्य मन्त्री महोदय अथवा विभाग से किया है वह सूचनार्थ सदन की मेज पर रख देता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम तो मैं बहुत संकुचित भाषा में कह रहा हूं कि प्राथमिकता का विचार हमारे लिये आवश्यक है। अहलकारी व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है और इनीशियेटिव लोकल आदमियों को देने की ज्यादा आवश्यकता है, पंचायतों को अथवा वहां के आदमियों को अधिकारियों को और सारा इनीशियेटिव खुद पर रखना आवश्यक नहीं है। और विकेन्द्रीकरण पर जोर देने की आवश्यकता है और इसके अलावा भी स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज़ (छोटे-बड़े उद्योगों) का किस प्रकार समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे के कम्पीटीशन पर नहीं उतरेंगे, उनके कोओर्डिनेशन पर विचार करने की आवश्यकता है कि उनका किस प्रकार कोआर्डिनेशन हो और अखीर में यह कहूंगा कि खर्चे के बजाय हमारा दृष्टिकोण उपयोग की ओर होना चाहिए। खर्चा जरूर करना है लेकिन उपयोग की ओर दृष्टि लेजानी है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक ही मिनट।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—Please come to order.

श्री नारायणसिंह—Just two minutes more.

श्री सभापति—Please come to order.

श्री नारायणसिंह—लेबर समस्या के बारे में मुझे दो चार शब्द और कहने हैं।

श्री सभापति—You have taken others time. I think, the time limit should be followed hereafter.

श्री चांदमल मेहता—माननीय चेयरमैन,......

श्री सभापति—श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार—सभापति महोदय, सदन के समक्ष मेड़ता से आये हुए मित्र ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके विरोध में मैं चन्द शब्द निवेदन करूंगा।

सभापतिजी, राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया उससे ऐसा महसूस हुआ कि हमारी सरकार चुनावों की जल्दी में शायद इस सदन के महत्व को भी भूल गई है। इस अभिभाषण के पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि सरकार ने ये कुछ चन्द लाइनें इस करीब सात पन्ने के अभिभाषण में लिखी हैं वे किस प्रकार खीचातान से या जल्दीबाजी से लिख दी हैं। हम देखते आये हैं, कम से कम राजस्थान में तो हमारी यह तीसरी या चौथी सरकार को देखने का हमारा मौका है। बहुत मुमकिन है हमारे अजमेर के मित्रों ने वहां पर एक ही सरकार देखी हो और वे यह दूसरी सरकार देख रहे हों लेकिन हमारा तो तजुर्बा काफी आगे बढ़ा हुआ है और हमने तीन चार सरकारें तीन चार नेताओं के नीचे देख ली हैं। जब उनके भाषण सामने आये तो तथ्य की बातें सामने आती हैं। लेकिन जब हम राज्यपाल के अभिभाषण को देखते हैं तो शायद उन्होंने भी इस सदन के महत्व को समझा न हो, देखा नहो, ऐसा मालूम होता है। वास्तविकता यह है और इस कमी के लिए प्रस्तावक महोदय को बहुत से आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत करने पड़े। लेकिन संभवतः हमारा काम यह नहीं है कि प्रस्तावक महोदय ने क्या बातें कही हैं। मैं तो यह समझता हूं कि वे प्रस्तावक महोदय चाहे सरकारी दल के मन्त्री ही हों, चाहे कुछ ऊंचा ओहदा रखते हों, लेकिन उनकी बातों को हम इतना वजन नहीं दे सकते। चाहे पार्टी में कितनी वकत रखते हों, वे सदन में जो कुछ कहते हैं, सदस्य की हैसियत से कहते हैं और उनके लफ्ज हैं वे आथोरिटेटिव नहीं। राज्यपाल महोदय यदि नीति का उल्लेख करते तो वास्तविकता की चीज आ रही है यह हम समझते। वह चीज़ इस अभिभाषण में नहीं। मैं यह कहूंगा कि हमको अभिभाषण को पढ़ कर धन्यवाद देने के बजाय रोष प्रकट करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि इस प्रकार का अभिभाषण इस सदन में देकर राज्यपाल महोदय इस सदन का अपमान कर रहे हैं। हम यह कहते हैं कि इस प्रकार का अभिभाषण आज तक नहीं हुआ, यहां राजस्थान में ही नहीं भारत की दूसरी जगहों पर भी नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात मैं यह कहता हूं धन्यवाद देने की बात कही उसका विरोध इस प्रकार करता हूं।

दूसरी बात यह है सभापतिजी, कि इस अभिभाषण में एक बात मुझे बहुत खटकी और वह यह कि हमारे देश के लोह पुरुष, हमारे देश के बड़े तपे हुए नेता के बारे में जो शब्द इस अभिभाषण में रखे हुए हैं, मैं समझता हूं, वे शब्द ऐसे हैं जो बहुत ही अपमानजनक हैं। हमारे

[श्री मानसिंह महार]

देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल का आभारी होना चाहिए। ये सरदार ही थे जिन्होंने भारत का एकीकरण किया, ये सरदार ही थे जिन लोह पुरुष के होम मिनिस्टर होने के कारण भारत का एकीकरण हुआ, हैदराबाद पर कब्जा हुआ। इस अभिभाषण में यह कहा जाता है उनके लिए कि 'स्वर्गीय पटेल को है'। मैं यह समझता हूं कि इससे बढ़कर शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है कि आज सरकार वल्लभभाई पटेल के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाय। मैं यह समझता हूं कि इस भाषा का जो प्रयोग किया गया है वह नीचे स्तर की बात है। हमारे देश को बनाने वाले नेता को हमें इज्जत की दृष्टि से देखना चाहिये। जो बात कही गई है मैं यह चाहूंगा कि इस अभिभाषण में "स्वर्गीय पटेल" लिखा है, ज्यादा करे तो उनकी मर्जी है, "श्री" और जोड़ दिया जाय। यहां पर तो सदन में "सरदार" शब्द तो हमारे सरदार हरलालसिंहजी के भी लगा हुआ है। तो हमारे सरदार वल्लभभाई पटेल, जिनके नाम से लोग कांपते थे वे ही लोग ऐसी बातें करते हैं वे सरदार वल्लभभाई पटेल न लिख कर स्वर्गीय पटेल ने ऐसा कर दिया ऐसा लिखते हैं। मैं यह समझता हूं जिस किसी ने इस अभिभाषण को लिखा है, जिन किन्हीं ने इस सदन में इसको रखा, राज्यपाल को ध्यान देना चाहिए, उस सरकार को भी चाहिए कि वह यह देखे कि इस प्रकार की गलतियां, ग्लेअरिंग मिस्टेक आती रहती हैं। मैं समझता हूं आप जो कह रहे हैं वह आप स्वर्गीय बापू के लिए, आपने लाभ के लिए कहते हैं। शायद बीस वर्ष बाद महत्व कम हो जायगा तो आप भूल जावेंगे। यही नहीं शायद और भी कई तपे हुये नेताओं के प्रति भी जिनकी दुहाई हम आज देते हैं उन्हें भी शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष की तरह भूल जायेंगे, लेकिन हम नहीं भूल सकते है उस व्यक्ति को, उस व्यक्तित्व को जिसने हैदराबाद को हिन्दुस्तान का अंग बनाया है। तो इसलिये यह बात एक ऐसी बात है जिसको कि देख कर मुझे दुःख होता है और इस अभिभाषण के लिये हमें राज्यापाल महोदय को कभी भी धन्यवाद नहीं देना चाहिये और इस सदन के प्रत्येक स्वाभिमानी सदस्य को इस धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करना चाहिए।

माननीय चेयरमेन महोदय, तीसरी बात जो मैं इस अभिभाषण के बारे में निवेदन करने वाला था वह यह है कि इस अभिभाषण के आखिरी पन्ने में कुछ शब्द दे आये हैं कि "जब कि संसार पर अशान्ति के बादल छाये हुए हों। बापू ने जो शान्ति का मार्ग दिखाया है और जिस नीति को भारत सरकार ने अपनाया है हमें आशा है कि वही संसार को इन काले बादलों से निकाल कर प्रकाश दिखलाएगी।

चेयरमेन महोदय, मैं यह समझता हूं कि राग में राग अलापने में कोई खूबसूरती की बात नहीं है। हमको वास्तविकता की ओर जाना चाहिये। आज दुनियां चाहे यह कहे कि यह बात यों हो गई, लेकिन आज अगर ७०,००० हंगेरी निवासियों को रूसी साम्यवादी कत्ल करते हैं उनकी हत्या करते हैं और अगर भारतवर्ष मौन रहता है या युनाइटेड नेशन्स के अन्दर श्री कृष्ण मेनन जो कि हमारे रिप्रेजेन्टेटिव हैं, अगर वे हंगेरी के खिलाफ जो कुछ भी प्रस्ताव आये हैं उनका

[श्री मानसिंह महार]

विरोध करते हैं तो मैं यह कहता हूँ कि हम इस प्रकार के होने में कभी नहीं मिल सकते हैं, और यह कोई नहीं कह सकता है कि भारत आज बापू के सिद्धांतों पर चल रहा है । अगर आज बापू मौजूदा होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी आत्मा ६३००० आदमियों की निर्मम हत्या को देख कर या सुन कर रो पड़ती, लेकिन आज हमारे भारत के नेताओं की आत्माएं डोल रही हैं। वे आज गुट्टबाजी के अन्दर फंस चुके हैं। उनकी आज वैसी ही हालत है जैसी कि एक आदमी दलदल में फंस जाता है और ज्यों ज्यों वह निकलने की चेष्टा करता है उसके अन्दर ज्यादा घुसता जाता है। वही हालत आज भारतवर्ष की हो रही है। भारतवर्ष ने बहुत दिनों तक यह दिखाने की कोशिश की कि उसकी जो विदेश नीति है वह बडी स्वतन्त्र नीति है । उस नीति के अन्दर हमने स्वयं ही हमारा एक नया सिद्धांत अपनाया है, वह है पंचशील का सिद्धांत । लेकिन हंगेरी और इजिप्ट की साथ साथ घटनाएं सामने आईं तो हमारे सामने वह नीति सामने आई, उसका असली रूप हमारे सामने आया। हमको मालूम हुआ कि पंचशील पर बोलना एक चीज है और करना एक चीज है । अंग्रेजों का विरोध किया गया तो हमें फिर दुम दबाकर रूस के साथ जाना पडा और मजबूरन जाना पडा ।

श्री कंवरलाल जेलिया—सीमा से बाहर बोल रहें हैं...

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन महोदय, माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि सीमा क्या चीज होती है। वे कोटा के ही दायरें में रहते हैं और मैं दुनियां के दायरे में रहता हूँ ।

श्री सभापति—फोरिन एफेयर्स पर आप काफी बोल चुके हैं अब एड्रेस पर ही बोलें ।

श्री मानसिंह महार—इस एड्रेस में यह चीज आगई है इसलिये मुझको माननीय सदस्यों को चेतावनी देनी पडती है कि अगर इस चीज को मन्जूर करके हम धन्यवाद देंगे राज्यपाल को तो इसका मतलब यह होगा कि हम भारत की विदेशनीति का समर्थन कर रहे हैं । आज जो विदेश नीति है, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। मैं यह समझता हूं कि आज के जमाने के अन्दर एक तरफ मिश्र के अन्दर अंग्रेजी या फ्रांसिसी फौजों के उतरने का कडा विरोध किया जाय और दूसरी तरफ हंगेरी के बारे में इस प्रकार से मौन रहा जाय यह तो पंचशील के सिद्धांतों की हत्या है, यह तो नेहरूजी की विदेश नीति की हत्या है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। इसलिये मैं समस्त मित्रों से कहूंगा कि जो भी धन्यवाद के प्रस्ताव के बारे में विचार करते हैं उनको सोचना चाहिये कि अगर आप लोग इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे तो हंगेरी के ६१,००० आदमियों के साथ जुल्म करेंगे, अन्याय करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि इस धन्यवाद के प्रस्ताव का आप को कभी समर्थन नहीं करना चाहिये ।

[श्री मानसिंह महार]

इसके बाद सभापति महोदय, मैं आपसे चन्द बातें राजस्थान के बारे में निवेदन करूंगा सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता, अजमेर के मसूदा क्षेत्र से आये हुए मित्र को सुना और मेरे साम्यवादी मित्र ने अजमेर की जो मिसाल रखी तो मेरा कलेजा बैठ गया। (हंसी) चेयरमेन महोदय, मैं यह समझता था कि अजमेर से हमारे साथी जो राजस्थान में आये हैं उनका हम दोनों हाथों से स्वागत करें। मैं यह समझता था कि अजमेर वालों को हम यह कभी भी महसूस नहीं होने देंगे कि आज तक वे हम से अलग रहे हैं। तो अलगाव की भावना आज भी मौजूद है। जब अजमेर के एम. एल. एज. के लिए ठहरने का इन्तजाम गवर्नमेंट होस्टल में न रखकर अलग रखा तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर कोई अदूरदर्शिता नहीं हो सकती। मैं सही अर्ज करता हूं, मुझे आज तक नहीं मालूम था क्योंकि दो-तीन दिन से तबियत खराब होने की वजह से गवर्नमेंट होस्टल नहीं जा सका। आज जब मुझे मालूम हुआ तो मेरी आखें खुल गई। जवाब शायद यह मिलेगा माननीय मंत्रीजी से, जो कि लेजिस्लेटिव अफेयर्स के इनचार्ज हैं, वे बड़े लहजे से फरमायेंगें कि गवर्नमेंट होस्टल में जगह नहीं थी इसलिए अलग रखा। २५-३० मेम्बरों के लिए जगह नहीं मिली। चाहे राजस्थान वाले हों, चाहे अजमेर वाले हों, चाहे सुनेल वाले होते, चाहे सिरोंज वाले होते जिन्होंने कि इस्तिफा तो दिया लेकिन वे यहां चिपके हुए हैं, उनकी भी वहां रहने की व्यवस्था कर देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अजमेर वालों की भी वहां व्यवस्था कर देते। आश्चर्य की बात तो यह है और मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे आजहमारे भाई-चारे में दरारें डालना चाहते हैं। अगर आपको सही करना था तो मैं यहां तक कहूंगा कि अजमेर के मंत्रीजी को भी उसी होस्टल में ठहराना चाहिए था। यदि वे सही मायने में अजमेरी थे तो उन्हें भी वहां ठहरना चाहिए था। उन्होंने तो बढ़िया बंगला ले लिया। मैं उनका लंबा चौड़ा नाम देख आया हूं। शायद वह बंगला अजमेर से भी बड़ा हो। लेकिन उन्होंने तो अपना काम कर लिया, और उन्होंने शायद अपने लीडर का चुनाव करने में जो सरकार का समर्थन किया, उसके वर्तमान नेता का जो समर्थन किया उसका भी लाभ उठा लिया, लेकिन जिन्होंने विरोध किया और इस प्रकार के विरोध के लिए उनको ठुकराया जाता है तो इससे बढ़कर शर्म की कोई बात नहीं हो सकती।

चेयरमेन महोदय, मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने कहा कि अजमेर की सर्विसेज़ वाले दुखी हैं। उनसे मैं यह निवेदन करूंगा कि सर्विसेज़ के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं वे सभी के साथ हुई हैं। अजमेर वालों को ही दुःखी नहीं होना चाहिए। इस सदन के अन्दर लगातार दो-तीन वर्षों से मैं कहता आ रहा हूं कि यहां पर मेवाड़ियों का प्रिडोमिनेशन (predomination) हो रहा है, जयपुर वालों को ठुकराया जाता है, जोधपुर वालों को ठुकराया जाता है, बीकानेर वालों को सबको निकाल भगाया है सेक्रेटेरियेट से, तो अजमेर वालों के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। वे यह समझें कि उनके इस दुःख को बांट लिया है। तीन-चार युनिट वाले कर्मचारी मौजूद हैं, अगर वे चाहेंगे तो सब युनिटों के आदमियों को बुलाकर कहला दूंगा कि 'भाई' जोधपुर के हैं इसलिए दुःखी हैं। जयपुर वाला कहेगा कि "जयपुर वालों को कोई पूछता ही नहीं" कोई कहेगा

[श्री मानसिंह महार]

कि कोटा वालों को कोई फूटी आखों नहीं देखता है। (हंसी) यह इस तरह का उन्हीं के साथ अन्याय नहीं है। यहां पर एकछत्र राज्य है और वह एकछत्र राज्य कायम है। इसलिए उनको इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। यह तो बहुतसों का दुःख है और उनके दुख को बंटाने के लिये हमे पहले से ही तैयार हैं।

चेयरमेन महोदय, जब नया राजस्थान विशाल राजस्थान बना और जब मिनिस्टरी में रद्दोबदल और हेर फेर हो रहा था तब मैंने यह देखा कि अब तो हमारी तकदीर फिर गई। जागीर के महकमे में भी कुछ उलट पुलट हुई। जागीर विभाग के मंत्रीजी भी रद्दोबदल हुए। जागीर कमिश्नर भी रद्दोबदल हुए और मैंने समझा कि जागीरदारों के अच्छे दिन आये हैं। लेकिन अभी अजमेर के शिक्षा विभाग की कुछ बातें हमारे साम्यवादी मित्र ने सदन के सामने रखीं उनको देख कर मेरा कलेजा बैठ गया। यह तो हमारे यहां के बुरे पर भी अच्छाई इसलसे की बात कही जाती है, हम आज तक मेवाल को ही बुरा कहते थे। आज हमने इंडस्ट्रियल जगह से आनेवाले सज्जन को जागीर का महकमा दिया है। जो ब्यावर से आये हैं जहां काफी मिले हैं, ब्यावर ही क्यों वे हमारे पडोसी शाहपुरा मनोहरपुर के हैं। अब मंत्री हो गये तो बहुत से लोग उनको अपनाने लगे हैं और मैं भी अपनाऊंगा क्योंकि वहां से हमारा गांव ८–१० मील पर ही है। उनसे लाभ हो सकता है लेकिन अपना लाभ कराने की वजह से नहीं लेकिन वे जागीरदारों को कुछ अच्छाई की निगाह से देखें तो इच्छा रहेगा। लेकिन मेरा जो प्रथम इम्प्रेशन उनके बारे में है वह पूअर है। मैं सही निगाह रखूंगा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि मंत्रीजी अपने आप को राजस्थान का मानेंगे। अजमेर तो पोर्ट 'सी' स्टेट था। अब वे राजस्थान के पोर्ट 'ए' स्टेट में आये हैं। उन्होंने दो जंप ले लिये हैं 'सी' के बजाय 'ए' में आ गये हैं .....

श्री भैरूंसिंह(१६)—लेकिन ये जंप कैसे हैं?

श्री मानसिंह महार —मैं उम्मीद करता हूं अच्छा ही होगा। इसलिये इस जागीर के मसले के बारे में मैं पहले दो-चार बातें निवेदन करदूं।

आज जागीर विभाग के नये मंत्री और नये कमिश्नर आये हैं। सब लोग नये हैं। यदि ये जागीरदारों के प्रति सहानुभूति का रुख अपनायेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ दिन पूर्व हमारी सरकार ने बड़ी कृपा पूर्वक यह निश्चय किया कि जागीर एम्पलोइज़ को नौकरी में रखने की दरख्वास्त देने की मयाद इतने दिनों तक और बढ़ा दी जाय। इसके तहत बहुत से लोगों ने दरख्वातें दीं। इसमें दो प्रकार के आदमी आये। एक तो वे लोग आये जो जगीरदारों के यहां नौकर थे और दूसरे ऐसे लोग आये जो जागीरदारों के लड़के वगैरह थे। मैं आज सदन के समक्ष जो बातें बार बार कहता हूं कि जागीरदारों के साथ बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। इन बातों को कहने से मैं आज नहीं रुकूंगा और आयन्दा भी जब तक अन्याय होगा कहने से नहीं रुकूंगा। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि

[श्री मानसिंह महार]

सीकर डिस्ट्रिक्ट में एक खाटू ठिकाना है। वहां हमारे पडोसी बगवाड़ ठिकाने के कुंवर साहब कामदार थे। उन्होंने इतना काम जरूर किया कि कुछ हद तक ईमानदारी को शरण ली। अपनी दरख्वास्त में उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं १५ या २० वर्ष से नौकर हूं बल्कि उन्होंने लिखा कि मैं सन् ५२ से खाटू ठिकाने में नौकर हूं। उन्होंने यह नहीं कहा कि सन् ४७ या उससे पहले से नौकर हूं वे एक जागीरदार के लडके हैं। वे खाली जागीरदार के कर्मचारी हो नहीं हैं। उनकी खुदकी जागीर थी वह रिज्यूम हो गई और खाटू ठिकाना रिज्यूम होने से उनकी नौकरी खत्म हो गई। इधर से नौकरी गई और उधर से जागीर। सीकर कलेक्टर के सामने उनका इन्टरव्यू हुआ। पता नहीं उन्होंने उनको कौनसा ओहदा देने के लिये लिखा, लेकिन यहां पर जागीर के लिये उच्च बोर्ड है रेवेन्यू बोर्ड उन्होंने यह कह कर उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी कि यह तो सन् ५२ से नौकर हैं। २॥-३ साल पुराने नौकर को कैसे लिया जा सकता है? बहुत मुमकिन है यदि वह शख्स जागीरदार नहीं होता तो बोर्ड ऐसा व्यू नहीं लेता। उनकी नौकरी भी गई और जागीर भी गई। वे दोनों से ही महरूम रह गये। वे एम०ए.एल., एल. बी. हैं। यह भी नहीं कि कुछ कम पढ़ा हुआ हो। यदि मंत्रीजी चाहेंगें तो में सारे डिटेल्स उनके सामने पेश करूंगा। लेकिन जब ऐसी बातें हो रही हैं तो उस ओर ध्यान देना चाहिये। जागीर कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है और आज भी जागीर कर्मचारियों को सरकार यह कह कर नहीं लेती कि जगह नहीं है लेकिन दूसरी ओर १३०० पोस्ट्स एडवर्टाइज़ हुई हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि जागीर कर्मचारियों के साथ बडा अन्याय हुआ है। दूसरी बात जो जागीरों के बारे में निवेदन करनी है वह यह है कि ....

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

चेयरमेन महोदय,...

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—समय का ध्यान रखें।

श्री मानसिंह महार—जरूर। मैं तो आज समाप्त कर दूंगा। मैं जागीर के बारे में यह अर्ज कर दूं कि जागीरदारों के साथ हर प्रकार से अन्याय किया गया। मैं उन जागीरदारों के बारे में निवेदन नहीं करता हूं जिनके पास लाख दो लाख की जागीर है। मैं उन जागीरदारों के बारे में निवेदन नहीं करता हूं जो थोड़े समय पहले क्षेत्रीय महासभा के मेम्बर थे या रह चुके हैं। मैं उन जागीरदारों के बारे में निवेदन नहीं करता हूं जो किसी प्रकार से सरकार का विरोध करता है। लेकिन मैं उन जागीरदारों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जिनके लिए सरकार के सामने कोई कहने वाला नहीं है। ऐसे ही जो छोटे जागीरदार हैं उनके बसाने के लिए आज तक सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। चेयरमेन महोदय, एक रोज भरतपुर से आने वाले मित्र ने सदन में कहा था कि जो मेव पाकिस्तान चले गये थे और वहां से वापिस आ गये हैं उनको अलवर भरतपुर में बसाने के लिए पुरानी जमीनों को दिलाकर बसाया जाय और पुराने मित्र ने कहा कि यह वाजिब है। मुझे यह सुनकर बडा दुःख हुआ जो लोग देश को छोड़कर पाकिस्तान गये और पाकिस्तान

[श्री मानसिंह महार]

के वफादार रहे वहां भरण–पोषण नहीं होने से यहां वापिस आ गये लेकिन उनका कलेजा चीर कर देखा जाय तो उसमें पाकिस्तान के प्रति वफादारी की बात लिखी हुई मिलेगी और हम राजपूत जो हिन्दू धर्म के लिए लड़े हैं और जिनकी सात सात पुश्त तक राजस्थान की रक्षा करने लिए खत्म हो गई हैं उनके लिए कुछ भी नही किया जा रहा है और मेवों को बसाने के लिए सिंध और पंजाब में अपनी जायदाद छोड कर आये हुए शरणार्थियों को हटाकर, जो कि राजस्थान में रह गये हैं और हिन्दू धर्म को मानते हैं उनको हटाकर मेवों को बसाने की सोचते हैं। उसी तरह से हमको अपने गावों से हटाकर दूसरे इलाके में जमीन देने की सोचते हैं। लेकिन हम यहीं रहेंगे और यहीं मरेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि राजपूतों को भाखरा या चंबल पर बसाने के लिए घर से हटाने की कोशिश की जायगी तो यह कभी नहीं होगा। यह सरकार तो क्या १७६० सरकारें आ जावेंगी तो भी ये राजपूत अपना घर नहीं छोडेंगे। यदि सरकार सही बात करना चाहती है तो हमको बसाने की कार्यवाही की जाय। हमको अपने ही गांवों में बसाने की कार्यवाही की जाय।

मैं यह कहता हूं कि जो सेकुलर स्टेट का दावा किया जाता है वह इस बिना पर किया जाता है कि इस के अन्दर मुसलमानों को बढ़ावा दिया जाय, इसाइयों को बढ़ावा दिया जाय लेकिन इस देश के हिन्दू नागरिक हैं, जो हिन्दू धर्म को मानते हैं, यह देश हिन्दुओं का है क्योंकि वे समझते हैं कि हिन्दुस्तान हमारा है, उस हिन्दुस्तान को मानने वाले हिन्दुओं को आज गिराया जा रहा है और वह केवल इसलिए कि एक स्लोगन को ऊंचा उठाने के लिए इस हिन्दुस्तान को एक सेकूलर स्टेट का नमूना बनाया जा रहा है। परन्तु अब महसूस हो रहा है और उसके आधार पर महसूस हो चुका है कि काश्मीर के एक बटे तीन हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो वह सेकुलर स्टेट अब चुप हो गई। तो जो राइट और रोंग का सवाल है उसके बिना हम कभी नहीं चाहते कि किसानों को बेदखल किया जाय, यह कोई भी जागीदार, कोई भी राजपूत नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि गांवों की बेकार जमीन, जो पड़ी हुई है, वह हमें दे दी जाय। जो जमीन वास्तव में हमारे कब्जे में रही है और जिनको लोगों को गुमराह करके कब्जे में कर लिया जाता है, वह जमीन उसके पास रखी जाती है, उन बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, यह देखने की बात है। चेयरमेन महोदय, मैं यहां जागीरदारों की बात इसलिए निवेदन कर रहा हूँ इसकी एक दूसरी मिसाल में दूंगा। शायद मंत्री जी जवाब देंगे कि इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। मैं आपको बताऊं कि जयपुर की आमेर तहसील में एक अमीरपुरा गांव है, वहां के जागीरदार के पास कुछ जमीन मौजूद है, उस जमीन का गस्त गिरदावर जब से जागीरी इलाके में पटवारी कायम हुआ, जब से आज तक गस्त गिरदावर मौजूद है, उस जमीन पर हल से खेती नहीं हुई, उस जमीन पर ट्रेक्टर से खेती हुई है। इतना होने के बावजूद भी कुछ लोग हड़पने के लिए खड़े हो गये और उन्होंने कहा कि उस जमीन पर उन्होंने काश्त की है। यह होने के ऊपर, चेयरमेन महोदय, मैं निवेदन करूंगा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सरकार के एक उप मंत्री महोदय ने, जो अलवरकी तरफ से आये थे, वे मन्त्री नहीं थे, वे उप मंत्री थे, टेलीफोन के जरिये कार्यवाही करके यह चेष्टा की कि वह जमीन उन लोगों को मिल जाय और

[श्री मानसिंह महार]

जागीरदार से छीन ली जाय। आप सोचिये, चेयरमेन महोदय, कि गस्त गिरदावर के होने पर, सेटलमेन्ट को पांच वर्ष की पर्ची हमारे पास है, और किस्मत से उस जमीन के अन्दर हल से बीज नहीं बोये, बल्कि ट्रेक्टर से वह जमीन बोई गई, वे उस जमीन के कब्जे के लिए कहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमने इस जमीन पर एक साल से ही खेती की है और जगीरदार उस पर चार साल से खेती करते थे। उस पर तुर्रा यह कि उस सबके बावजूद उस जागीरदार की फसल नष्ट कर दी गई, उस जागीरदार की पांच हजार की घास आदि नष्ट कर दी गई और चार महीने के बाद फैसला दिया कि अब आप घास काट सकते हो। यह जागीरदारों की हालत है आज गांवों के अन्दर। मैं यह बतलाना चाहता हूँ सदन को, जो मित्र यह समझते हैं कि जागीरदारों के साथ हम बहुत रियायत कर रहे हैं, उनको मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि इतनी हालत किसी किसान के ऊपर हो जाती और वह इस प्रकार अपनी जमीन से वंचित हो जाता तो उस पर ६ घन्टे के अन्दर अन्दर कार्यवाही हो जाती। वह जागीरदार गुनहगार इसलिये हुआ क्योंकि वह राजपूत था। मैं चैलेंज करता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि यह सरकार कांग्रेस सरकार नहीं है, यह सरकार राजपूत विरोधी सरकार है। मैं आज भी सरकार के ऊपर अभियोग लगाता हूं कि यह सरकार जो है, वह राजपूतों की विरोधी सरकार है अगर कोई राजपूतों के विरोध की बात सामने आ जाय तो उस पर एकदम कार्यवाही हो जाती है। एक कदम और इसमें आगे बढ़ गये हैं, एक नया षडयन्त्र रचा गया है, जो मंत्री जी हम पर थोपे गये हैं, यह बात नहीं कि हम कोई अलग हैं, हम एक हैं लेकिन उनके अजमेर के कारनामों से महसूस होता है कि जो उन्होंने अजमेर में किया है, वह अवश्य हमारे पास आयगी। अजमेर के एक मित्र भी तस्लीम कर रहे हैं, उससे हमें और भी डर हो रहा है और एक पडोसी के नाते मैं कहूँगा कि ईश्वर अब उनको सद्बुद्धि दे तो बहुत अच्छा होगा। माननीय चेयरमेन महोदय, यह मैंने दूसरी बात निवेदन की है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण के बारे में जो जोर शोर से बात कही गई मेड़ता के सरकारी पक्ष के मुख्य स्पीकर महोदय ने जो कि अध्यक्ष पद के लिये भी उम्मीदवार थे यह अच्छा हुआ कि उनको एन मौके पर सद्बुद्धि आ गई नहीं तो वे यह सब नहीं कहने देते। (हंसी) मैं, चेयरमेन महोदय, निवेदन करूंगा कि उन्होंने राजस्थान के विकास के बारे में बडी लम्बी चौडी बात निवेदन की थी। उन्होंने राजस्थान में डेवलपमेंट की प्रगति के बारे में आंकड़े बताते हुये एक नक्शा प्रस्तुत किया उसको देखने से ऐसा मालूम होता था कि राजस्थान अब स्वर्ग हो गया है। चेयरमेन महोदय, मैं यह मानता हूँ कि राजस्थान के अन्दर प्रगति हुई है। लेकिन मैं सरकार से यह चाहूँगा कि मैं उस पर थोड़ा सा डिफर करता हूँ। सबसे पहिली बात मैं निवेदन करता हूँ कि आज के जमाने की बाहरी दिखावे को, चाट-पाट को नहीं मानता, मैं क्वालिटी में बिलीव करता हूं क्वान्टिटी में कम विलीव करता हूं। आज सरकार की हां में हां कराने वाले मित्र यह कह सकते हैं कि सरकार ने एक हजार स्कूल खोल दिये, सरकार ने यह कर दिया, सरकार ने वह कर दिया। असल में देखना यह है कि आपने शिक्षा के लिये इतना हिसाब तो दिया लेकिन जो अध्यापक कर रहे हैं उनका क्या स्तर है आपके यहां के स्कूलों में

[श्री मानसिंह महार]

आया अध्यापक पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते है यह देखने की बात है। चेअरमेन महोदय, आज के युग के अन्दर मुझे बड़ा अफ़सोस होता है, मैं निवेदन करता हूँ मैं देखता हूँ कि आज एक एक मील के दायरे के एक छोटे छोटे गांव में स्कूल खोले जाते हैं इस बिना पर कि यह इसका कृपा पात्र है और वह उनका कृपा पात्र है। मैं इसको सरकारी धन का दुरुपयोग मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि सरकार को एक पोलिसी निर्धारित करनी चाहिये कि हमको स्कूल इतनी आबादी पर खोलना है, प्राइमरी स्कूल इतने एरिया के अन्दर खोलना है। मुझे अभी जवाब मिलेगा कि जेसलमेर में इस योजना को कैसे लागू करेंगे ? आप यह कह सकते हैं पर चेयरमेन महोदय, मैंने ऐसी बात देखी है कि एक मील के अन्दर तीन प्राइमरी स्कूल हो गये किन्तु किसी स्कूल में आठ बच्चे जाते हैं, किसी मे पांच जाते हैं किसी में १५ जाते हैं और तीन स्कूलों में मास्टर ६ हो जाते हैं। अगर इस धन का सदुपयोग करना है तो तीन जगहों की सेन्ट्रल प्लेस पर एक प्राइमरी स्कूल रख देते और उसमें दो मास्टरों की जगह तीन मास्टर रख दिये जाते तो उन एरिया के बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा मिलती। आप अगर मास्टरों में ५० परसेन्ट रिडक्शन करते हैं तो उनकी तनख्वाह बढ़ा सकते हैं तब आपको क्वालिफाइड आदमी मिलते क्योंकि अधिक तनख्वाह पर ही अच्छे आदमी मिलते हैं और इस प्रकार आपकी शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हो सकता है। आज यह हो रहा है कि आज कल अधिकतर ऐसे मास्टर रखे जाते हैं जो सही तरीके से अच्छे मास्टर कभी नहीं कहे जा सकते, न सही माइने में मास्टर होने लायक नहीं है। चेयरमेन महोदय, उनको इतनी कम तनख्वाह दी जाती है कि वे अपना पालन नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं कि अजमेर के मित्रों के आने के कारण दुरंगी नीति अपनाई जा रही है। आज अजमेर के अध्यापकों को १०० रुपया सरकार देती हैं, अजमेर के चपरासी को ६०-७० रुपये तनख्वाह मिलती है, जबकि राजस्थान में चपरासी को ४५), ५०) रुपये दिए जाते हैं और यहां के अध्यापक को ४५), ५०) रुपए दिये जाते है। यही हालत पुलिस के सिपाही की है। यह बात यदि रखी जाती है, तो मैं कहूंगा कि यह अन्यायपूर्ण बात है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप अजमेर वालों का एक पैसा भी घटाइये, मैं तो यहां तक कहता हूँ कि अजमेर का इलाका छोड़ कर जिनको जयपुर आना पड़ा है उनको दो, चार वर्ष के लिए कुछ भत्ता दीजिये, कोई अफसोस की बात नहीं है अगर कुछ ज्यादा खर्च हो जाय। लेकिन इसके साथ ही साथ राजस्थान के भाइयों को भी नहीं भूलना चाहिए, जो हमारे आदमी हैं उनको भी उनके बराबर तनख्वाह दीजिये जिससे कि वे समझें कि अब राजस्थान पार्ट 'ए' स्टेट हो गया है, उससे हमको वाकई फायदा पहुँचा है।

तो मैं शिक्षा के बारे में कह रहा था, उससे पहिले मैं विकास के बारे में कह रहा था कि उन्होंने डेवलपमेंट का काफी अच्छा वर्णन किया...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—आपका समय खत्म हो गया है।

श्री मानसिंह माहर—अभी तो मैंने दो–तीन मुद्दों पर ही बातें कहीं हैं। मुझे दो–तीन मिनट और दे दिये जांय।

एक माननीय सदस्य—पर समय तो समाप्त हो गया है।

श्री मानसिंह महार—प्रार्थना यह है कि यह मेरा आखिरी मौका है। शायद ही मैं चुनाव लड़ूंगा।

श्री सभापति—आपका दिल बार बार बैठता है, इसलिये मुझे चिन्ता हो रही है।

श्री मानसिंह महार—दिल अब मजबूत हो चुका है।

(सदन की अनुमति से बैठक की अवधि दो मिनट के लिए और बढ़ाई गई)

श्री मानसिंह महार—चेयरमेन महोदय, मैं विकास के बारे में निवेदन कर रहा था और शिक्षा पर चला गया। मुझे विकास के बारे में निवेदन करना है कि मेरे मेड़ता से आए हुए मित्र ने विकास की प्रगति के बारे में जिक्र किया मुझे खुशी है कि नागौर के अन्दर विकास हुआ होगा, मेड़ता में विकास हुआ होगा, अलवर के इलाके में विकास हुआ होगा, उदयपुर में भी बड़ा विकास हुआ होगा, इस बात को मैं मना नहीं करता पर विकास क्या हुआ ? पैसा खर्च हो गया जैसा कि मसूदा से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा है कि विकास सही माने में नहीं हुआ। पर विकास के बारे में हमें शिकायत है वह यह है कि हम विरोधी पक्ष वालों के जो इलाके हैं उनके लिये विकास के द्वार बन्द हैं यह मैं दावे के साथ कहता हूं कि तहसील आमेर, जमवा-रामगढ़ इत्यादि इलाकों के अन्दर में विकास जैसी कोई चीज नहीं हुई है, वहां की जनता तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि हमारे यहां डेवेलपमेंट के वर्कस, हुए हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहता पर वे यहां नहीं हैं, भगवतसिंहजी मेहता से भी कहना चाहता हू क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा कि अगर यहां डेवेलपमेंट का कार्य करवाना चाहते हैं तो मेहता साहब से बात करें। मैं तो कहता हूं उन लोगों को क्या कहें सुनें, आप जैसे ऊंचे आदमी हम लोगों की तरफ कब ध्यान देते हैं, आप तो न्याय की ओर ध्यान दीजिये।

विकास हमारे क्षेत्र में बिलकुल नहीं हुआ। जयपुर में कॉलेज खुल गये, कई विकास के कार्य हो गये हैं क्योंकि जयपुर के तीन तीन एम. एल. एज़ हैं, मन्त्री हैं, एक एडवोकेट जनरल हो गये। तो जयपुर शहर की उन्नति हो गई। जितने मंत्री हैं और एक्स मंत्री थे उनके जयपुर शहर में बंगले बन गये फिर यहां का क्यों न विकास हो पर हमारे इलाके में तो विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है।

[श्री मानसिंह महार]

अब एक और नई शर्त रख दी गई है कि जिस जगह सिंचाई के साधन हैं वहीं विकास किया जायगा, विकास खंड खोलते समय सिंचाई के साधनों की तरफ अवश्य ध्यान रखा जायगा। हमारे यहां तो कुए वगैरह खोदें तो कुछ हो सकता है और ऐसी सूरत में हम यह समझते हैं कि अगले ५ वर्षों के लिए भी हम लोगों के क्षेत्रों को खत्ते में डाल दिया गया है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी के पश्चात् भी श्री महार के खड़े रहने पर)

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—Order please !

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन, मुझे एक दो बातें और महत्व की अर्ज करनी हैं, कल के लिये मेरा समय रखा जाय।

श्री सभापति—The hon'ble member would come to order. As the time is over, we would adjourn now. Here is an announcement to be made for the hon'ble members. There are some copies of the Second Five Year Plan in the Notice Office the hon'ble Members would take away these copies while going to their residence.

So we adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

(सदन की कार्यवाही सायं ५.५ दिनांक ६ दिसम्बर, १६५६ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-५ दिसम्बर, १६५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ६ का उत्तर देखिये)

फैहरिस्त आसामियांन लांबा जिनके बन्ध टूटने से नुकसान हुआ।

संख्या	नाम	रकम सहायता के लिये शिफारस की
१	रामा वल्द गणेश मोची	३६ रु०
२	रोड्डू वल्द धन्ना मीणा	१५ रु०
३	देवा वल्द गंगाराम	२८ रु०
४	श्री लाल वल्द चंदा गूजर	५३ रु०
५	श्री नारायण वल्द काला गूजर	६४ रु०
६	रूगनाथ वल्द श्योचंद	४७ रु०
७	माया वल्द भैंरू कुम्हार	५९ रु०
८	छोट्टू वल्द भूरा लुहार	२३ रु०
९	रामचंदा वल्द गंगाराम	३० रु०
१०	रोडू वल्द चन्दा गूजर	३३ रु०
११	रामनारायण वल्द बजरंगा	५ रु०
१२	जमना वल्द गोरू गूजर	१३६ रु०
१३	रोंडू वल्द गोरू मीणा	२० रु०
१४	अम्बानाथ वल्द कल्याण	६६ रु०
१५	लाला वल्द गोरू गूजर	२६ रु०
१६	देवीलाल वल्द सुखदेव	२२ रु०
१७	छीतर वल्द भागुता मीणा	२३ रु०
१८	परताप वल्द किशना	४६ रु०
१९	पोखर वल्द मूल्या	११ रु०
२०	बदरी वल्द देव्या गूजर	१७ रु०
२१	सालु वल्द रामनाथ गूजर	१२ रु०

Page No.117

१	२	३
२२ मांगा वल्द माधो कुम्हार		६ रु०
२३ माधो वल्द गोपाल कुम्हार		३७ रु०
२४ गुलाब वल्द भूरा लुहार		१६ रु०
२५ जमाल वल्द भूरा लुहार		४० रु०
२६ कास्मा वल्द छोटू		६ रु०
२७ मूल्या वल्द गणेश		१६ रु०
२८ रामविलास वल्द रामनारायण		८ रु०
२९ ओंकार वल्द बाला		८ रु०
३० केसरा वल्द किसना		२३ रु०
३१ रामकरण वल्द नाथू		१२ रु०
३२ बैजनाथ वल्द परताप		२१ रु०
३३ केसरा वल्द गोकुल		२२ रु०
३४ माधो वल्द कान		३० रु०
३५ नारायण वल्द भागीरथ		५४ रु०
३६ केसरा वल्द भैरू		५१ रु०
३७ गंगाराम वल्द श्योचंद		१२ रु०
३८ जगन्नाथ वल्द छोटू		६ रु०
३९ जानो वल्द चंदा		१६ रु०
४० अमला वल्द मांग्या		१६ रु०

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ७ का उत्तर देखिये).

त्यागपत्र महादेव प्रसाद उप सरपंच ग्राम पंचायत पद्मपुर की ओर से

सेवामें,

श्रीमान् मुख्य पंचायत अधिकारी,
जयपुर, राजस्थान ।

महोदय,

ग्राम पंचायत पदमपुर में प्रशासनिक, न्यायिक अथवा दूसरे कार्य बहुत है और मेरे घर का कार्य भी अधिक है, इसलिये पंचायत का संचलन विफल हो रहा है। और मैं नहीं चाहता कि अकेले मेरे कारण मंडी का विफल रहे,-इसलिए मैं इस पद का त्यागन करना अपना कर्तव्य समझते हुए त्यागपत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैंने अपनी ओर से इस कार्य से दूर होने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, इसलिये मेरा त्यागपत्र स्वीकार किया जावे । दिनांक १०. ६. ५६

आपका

महादेव प्रसाद उपसरपंच
ग्राम पंचायत मन्ड़ी पदमपुर
हस्ताक्षर महादेव प्रसाद

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ६ का उत्तर देखिये)

List showing the names & postings of District Agricultural Officers.

S. No.	Name	Place of posting	Remarks:-
1.	Shri Sahib Singh	Jaipur	
2.	,, Baikunth Nath	Sawai-Madhopur	
3.	,, Kishori Raman Bhargava	Sikar	
4.	,, Hari Narain	Tonk	
5.	,, Hamir Singh Jhala	Bharatpur	
6.	,, Brij Behari Verma	Chittorgarh	(Recently transferred)
7.	,, Sudarshan Singh	Jalore	
8.	,, Anand Singh Megi	Jodhpur	
9.	,, Mansukh Ram Pandya	Nagour	
10.	,, N. C. Bhurat	Pali	
11.	,, Kesher Singh Sisodia	Udaipur	
12.	,, Muker Behari	Bhilwara	
13.	,, Jaswant Kumar	Banswara	
14.	,, Chatter Singh	Hanumangarh	(still working at Ganganagar).
15.	,, Ram Saran Sharma	Sirohi	
16.	,, R. N. Chaturvadi	Kota	
17.	,, B. N. Travedi	Bundi	
18.	,, P. S. Kushava	Jhalawar	
19.	,, Hazari Lal Bhargava	Alwar	(Recently trensferred).
20.	,, C. L. Nagar	Ajmer	
21.	,, Jogender Pal Singh	Ganganagar	(on leave at present)

परिशिष्ट ४

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

१ (३।एल. एस. एम.) रावराजा श्री सरदार सिंह एम. एल. ए. (१३७)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टोंक मालपुरा में १६४८ से अब तक प्रतिवर्ष कितनी सेस की रकम तहसील व ठिकाना वाइज़ जमा हुई और उसमें से किन किन कार्यों में कितना कितना तहसील व ग्राम वाइज़ खर्चा किया गया ?

(ख) ठिकाना उनियारा की एरिया से किस कदर रकम जमा हुई और ग्राम वाइज़ इस एरिया में किस किस काम पर कितना कितना खर्चा हुआ ?

उत्तर

(क) सन् १६४८ से अब तक तहसील व ठिकाना वाइज़ कितनी आय हुई है वह संलग्न परिशिष्ट 'अ' से प्रकट होगी।

(ख) तहसील व ठिकाने वाइज़ अब तक जितना खर्च हुआ है व संलग्न 'ब' से प्रकट होगी इसमें कार्यालय प्रशासन खर्च शामिल नहीं है।

(ग) ठिकाना उनियारा के एरिया के खालसा होने तक ६३,५१६ रुपये ६ आने ६ पाई बोर्ड को प्राप्त हुये हैं जिसमें से अब तक उस क्षेत्र में जो कुछ खर्च हुआ है उसका विवरण परिशिष्ट 'स' से प्रकट होगा।

परिशिष्ट (अ) (सेस की आमद)

सन्	तहसील मालपुरा	तहसील फागी	तहसील टोड़ा	तहसील फुलेरा	तहसील उनियारा	ठिकाना उनियारा	तहसील दातां रामगढ़	तहसील दूनी	तहसील निवाई	ठिकाना उनियारा के तहसील टोंक में स्थानान्तर गांवों से	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१९४८-४९	२६,४४४.१५.६,	...	...	...	...	...	...	...	...	...	२६,४४४,१५,६
१९४९-५०	१३,०००.०.०	१८,०००.0.०	३२,०00.०.०	३२,७८४.६.९	...	...	४,११६.११.0	...	...	...	१६,६०४.१.६
१९५०-५१	३५,७००.०.0	१६,000.०.0	३३,०००.०.०	३०,५६८.११.३	...	२६,०००.०.०	५००.०.०	...	१६,०००.०.० जि० बो० सवाई माधोपुर से इस बोर्ड में आई सन् ५० में	...	१,५७,७६८.१५.३
१९५१-५२	४५,३६०.३.६	१,६७७.१३.३ सन् ५० में डि० बो० जयपुर में स्थानान्तर कर दी गई	३५,००५.१२.३	बाद में सन् ५० में जयपुर जि० में स्थानान्तर कर दी गई	...	१८,५१६.६.६	बाद में सन् ५० में सीकर जि० बो० में में स्थानान्तरित	...	१८,०००.०.०	...	१,१८,४६०.६.६
१९५२-५३	४,५४२.१५.३	...	१९,७००.०.०	...	...	...	...	...	२१,५९०.०.०	...	४५,८३२.१५.३
१९५३-५४	३६,९१८.३.६	...	३०,१८५.०.०	...	...	४0,०००.०.०	...	...	१५,००४.४.६	...	१,२२,१०८.२.०
१९५४-५५	४५,०५२.४.0	...	३८,९११.८.९	...	सन् ५४ में नई कायम हुई ५,३८७.१४.६	६,०००.०.० सन् ५४ में रिज्यूम हो गया	...	६,०१०.६.६ ५४ में नवीन स्थापित हुई	२८,५४९.६.६	...	१,३२,९११.६.३
१९५५-५६	१६,६८१.१.६	...	२३,४७७.४.६	...	७,०७७.१३.६	...	...	१३,१२८.१३.३	१७,६९१.११.३	७२२.८.३	८१,७७१.४.६
१९५६-५७	१३,४६८.९.०	...	१०,०२१.५.३	...	...	...	...	७,६४२.१५.३	१३,०८७.६.९	...	४४,२२०.४.३

अक्टूबर तक

परिशिष्ट (ब)

तहसील दांता रामगढ़

सन्	निर्माण	शिक्षा	स्वास्थ्य	मुतफरीक
१९४८–४९	५००	—	—	
१९४९–५०	—	६५७	—	७५०
१९५०–५१	—	—	—	

तहसील फुलेरा

सन्	निर्माण	शिक्षा	स्वास्थ्य
१९४८–४९	४,७९९	—	—
१९४९–५०	४,००५	३८५	—
१९५०–५१	—	—	—

तहसील फागी

सन्	निर्माण	शिक्षा	स्वास्थ्य	मुतफरीक
१९४८–४९	—	—	—	—
१९४९–५०	—	६३०	—	१५०
१९५०–५१	—	—	—	—

नोट—अगस्त, सन् ५० से यह तीनों तहसीलें सीकर व जयपुर जिला बोर्डों में स्थानान्तरित हो गईं।

नोट—उक्त विषय में सम्बन्धित विभागों का प्रशासन व्यय भी शामिल हैं।

तहसील मालपुरा

सन्	स्वास्थ्य	शिक्षा	निर्माण	मुतफरीक
१९४८–४९	—	—	—	—
१९४९–५०	—	५६८	१,९८१	२,२००
१९५०–५१	२,०९४	५२०	४३४	—
१९५१–५२	६,६९०	१,१५२	६,३७०	—
१९५२–५३	६,५७८	३,६१९	४,१६८	—
१९५३–५४	६,८६३	३,८२४	८,२०९	—
१९५४–५५	१३,०००	१०,५६०	२३,३८३	३००
१९५५–५६	१६,७००	२१,१००	४७,९७२	—
१९५६–५७ अक्टूबर तक	११,०००	१४,३००	११.७००	१८५

तहसील टूनी

सन्	स्वास्थ्य	शिक्षा	निर्माण	मुतफरीक
१९४८–४९	—	—	—	—
१९४९–५०	—	—	—	—
१९५०–५१	—	—	—	—
१९५१–५२	—	—	—	—
१९५२–५३	—	—	—	—
१९५३–५४	—	—	—	—
१९५४–५५	७,२००	२,८२८	४,३२०	—
१९५५–५६	९,२७५	५,३६०	५००	—
१९५६–५७ अक्टूबर तक	६,०००	२,७२०	—	—

तहसील टोड़ारायसिंह

सन्	स्वास्थ्य	शिक्षा	निर्माण	मुतफ़रीक
१९४८–४९	...	...	...	...
१९४९–५०	...	५२५	...	१,१५०
१९५०–५१	६९८	५२०	...	...
१९५१–५२	५,०२०	९३०	१४०	...
१९५२–५३	४,९३४	१,७६४	४,९०९	...
१९५३–५४	४,११८	२,५४९	५,२६४	...
१९५४–५५	७,२००	७,०४०	७,०५८	...
१९५५–५६	९,२७५	१३,४००	९,११६	...
१९५६–५७ अक्टूबर तक	६,०००	६,८००	४,०७३	...

नोट—उक्त व्यय में सम्बन्धित विभागों का प्रशासन व्यय भी शामिल है।

तहसील निवाई

सन्	स्वास्थ्य	शिक्षा	निर्माण	मुतफ़रीक
१९४८–४९	...	...	...	...
१९४९–५०	...	...	...	...
१९५०–५१	१,३९६	५२०	...	...
१९५१–५२	९,६९०	४८६	६६८	...
१९५२–५३	६,५७८	१,३६४	२,३९१	...
१९५३–५४	६,८६२	१,९१२	३,७७३	...
१९५४–५५	११,५३६	७,०४०	६,७३०	७८०
१९५५–५६	१४८४०	१३,४००	१७,४७५	...
१९५६–५७ अक्टूबर तक	१०,०००	६,८००	८,८४०	...

तहसील उनियारा

सन्	स्वास्थ्य	शिक्षा	निर्माण	मुतफरीक
१९४८–४९	...	...	...	...
१९४९–५०	...	...	...	...
१९५०–५१	...	५२०	...	...
१९५१–५२	२,३४६	४८६	६६	...
१९५२–५३	३,२८९	१,६४९	३,१४९	...
१९५३–५४	४,११८	१,९१२	...	...
१९५४–५५	४,३२६	४,२२४	४,७७५	...
१९५५–५६	५,५६५	८,०४०	१२,०३१	...
१९५६–५७ अक्टूबर तक	३,०००	४,०८०	१,२२०	...

नोट—उक्त विषय में सम्बन्धित विभागों का प्रशासन व्यय भी शामिल है ।

परिशिष्ट (स)

ठिकाना उनियारा एरिया से कुल ९३,५१६ रु० ९ आ० ६ पा० जमा हुई और अक्टूबर, ५६ तक ग्रामवाइज़ निम्न लिखित औसतन खर्च हुआ है।

स्वास्थ्य

१.	औषधालय बनेठा	१०,३६५
२.	,, ककोड़	१०,३९५
३.	,, पलई	२,८५५

शिक्षा

१.	पाठशाला बालीथल	७६८
२.	,, सूथडा	३१२
३.	,, पागड़ी	३१२
४.	,, खोहल्या	३,३७४
५.	,, पलई	५३८
६.	,, कैरोद	३,०००
७.	,, देवपुरा कलां	२,३२४
८.	,, गोठड़ामाजी	२,३२४
९.	,, विजयनगर	२,३२४
१०	,, नयागांव गुदल्या	२,३२४
		१७,६३०

परिशिष्ट

निर्माण

१.	स्कूल भवन पाठशाला, कैरोद	४७०
२.	श्रमदान सहायता पाठशाला, गूदल्या	३००
३.	मरम्मत धीर की नाडी, उनियारा	१,८१५
४.	,, पाल की नाडी	७५६
५.	,, कुआ, बनेड़िया	८७२
६.	,, ठाकुर का उनियारा	७२२
७.	,, स्यामा सुखपुरा	३००
८.	,, कुआ बोजोलिया	१,८४४
९.	,, तालाब सूंथडा	७६६
१०.	,, तालाब फूलेता	५८५
११.	,, ठाकुर की नाडी उनियारा	३,५१२
१२.	,, कुआ विजयनगर	४६०
१३.	मरम्मत तालाब, ककोड	८६६
१४.	,, कुआ गुराई	१,३६६
१५.	,, तालाब मांड कलां	२६६
१६.	,, खातोली गेट उनियारा	१३०
१७.	,, बावडी थाना नगर	८१०
१८.	,, नाडी बिशनपुरा	१८२
१९.	,, तालाब रतनपुरा	१९७
२०.	,, नाडी दैपुरा	१२०
२१.	,, तालाब कुरावदा	२६

नोटः—उक्त खर्च में निर्माण विभाग पर स्टाफ रखने में खर्च हुए ४८१४ ६१ सम्मिलित नहीं हैं।

शिक्षा

ठिकाना उनियारा में संचालित

: वाचनालय :

१.	पलई	२.	सूंथड़ा	३.	बनेठा
४.	ककोड	५.	सुरोली	६.	गुराई
७.	कुन्डेर	८.	सहनावा	९.	खोहल्या
१०.	कैरोद	११.	देवपुराकलां	१२.	गोठडामानीं
१३.	विजयनगर	१४.	फूलेता	१५.	गूदल्या

नोट—१ प्रति वाचनालयमें बोर्डके प्रारम्भ से अब तक २१८ रु० करीबन प्रति वाचनालय पर खर्च किया जा चुका है।

प्रश्न

२. (४। एच. एम.) श्री भोपालसिंह एम. एल. ए (२०)—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान कारागृह विभाग में डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट और सुप्रिन्टेन्डेन्ट कितने हैं तथा इनकी क्या क्वालिफिकेशन हैं और इनमें से लखनऊ कारागृह ट्रेनिंग किन किन ने पास की है ?

(ख) ट्रेनिंग का सबसे अच्छा सर्टिफिकेट राजस्थान में किसके पास है और वह कहां पर तैनात है ?

(ग) क्या कोई सुप्रिन्टेन्डेन्ट की जगह अभी खाली है ?

(घ) डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट से सुप्रिन्टेन्डेन्ट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रख कर प्रमोशन दिया जाता है ?

(ङ) ट्रेन्ड डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट के अलावा नोन ट्रेन्ड जो व्यक्ति हैं उनमें से विभागीय नियुक्त कितने हैं और दूसरे महकमों से आये हुये कितने हैं ? तथा इस विभाग में नियुक्त होने के पहिले वे किस किस पद पर थे ?

उत्तर

(क) राजस्थान कारागृह विभाग में सात सुपरिन्टेडेन्ट और चार डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के स्थान स्वीकृत हैं।

उपरोक्त पेरा (क) में लिखित स्वीकृत स्थानों पर ५ सुपरिन्टेन्डेन्ट और ५ डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट इस समय कार्य कर रहे हैं जिनकी योग्यता, ट्रेनिंग आदि का विवरण नीचे दिया जाता है :

(१) श्री गोपालसिंह...मैट्रिक तक। लेकिन उन्हें विविध विभागों में जिम्मेवार स्थानों पर कार्य करने का बहुत अच्छा अनुभव है जिसके कारण वे एक अनुभवी अफसर हो गये हैं। जेलों पर उनका कार्य हमेशा बहुत प्रसंशनीय रहा है। उनके सुअनुभव और असाधारण योग्यता तथा कार्य में दिलचस्पी के कारण उनका कार्य हमेशा संतोषप्रद और बहुत अच्छा रहा है।

(२) श्री अमरसिंह रानावत...भारत विभाजन से पहिले इन्होंने लाहौर जेल में प्रेक्टिकल ट्रेनिंग प्राप्त की है तथा इन्टर पास है।

(३) श्री जयसिंह...ये जेल ट्रेनिंग स्कूल लखनऊ से ट्रेनिंग पास हैं तथा ग्रेजुएट हैं।

(४) श्री पूर्णमल...इन्होंने इन्डियन आर्मी इंग्लिश फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। जेलों पर इनका कार्य हमेशा सन्तोषप्रद रहा है।

(५) श्री केवलसिंह पंवार...इन्होंने टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज़, बम्बई से ट्रेनिंग पास की है तथा लॉ में जुएट हैं।

डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट्स

(१) श्री हरचरणसिंह...मैट्रिक्यूलेट। इन्हें जेल विभाग का लम्बा अनुभव है और सुचारू रूप से स्थानापन्न सुपरिन्टेन्डेन्ट का कार्य किया है। यह एक सुयोग्य तथा होशियार अफसर है।

(२) श्री गंगाप्रसाद...मेट्रिक्यूलेट। इन्हें जेल का लम्बा अनुभव है।

(३) श्री वीरसिंह...ये जेल ट्रेनिंग स्कूल लखनऊ से ट्रेनिंग पास हैं। केवल दिसम्बर १९५३ में ही जेल विभाग में नियुक्त हुए हैं तथा ग्रेजुएट हैं।

(४) श्री प्रेमराज...जेल ट्रेनिंग स्कूल, लखनऊ से ट्रेनिंग पास हैं तथा इन्टर पास हैं।

(५) श्री हरलालसिंह...जेल ट्रेनिंग स्कूल, लखनऊ से ट्रेनिंग पास हैं तथा ग्रेजुएट हैं।

(ख) चूंकि ऊपर लिखे ऑफिसरान ने अलग २ वर्षों में अलग २ संस्थाओं-इन्स्टीट्यूट्स-से ट्रेनिंग पाई है अत: उनका एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती है।

(ग) जी हां।

(घ) साधारणतया प्रोमोशन सीनियोरिटी, योग्यता और जेल अनुभव को ध्यान में रख कर किया जाता है।

(ङ) केवल दो डि० सुप० (डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट) ऐसे हैं जो अभी तक ट्रेनिंग नहीं पा सके हैं कोई भी ऐसा अन ट्रेन्ड जेल कर्मचारी नहीं जिसे डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के स्थान पर प्रोमोशन दिया गया हो और न कोई दूसरे विभाग से आया हुआ डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के स्थान पर नियुक्त किया गया है।

शुद्धि—पत्र

कार्य-विवरण दिनांक ५ दिसम्बर, १९५६

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	५६	शीर्ष (पंक्ति २)	सहयता	सहायता
२	५८	३	ग्राम पंचायत पदमपुरा	ग्राम पंचायत पदमपुर
३	६१	१४	availabl	available
४	६२	१६	श्रीमती कमल कुमारी बेनीवाल	श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल
५	६३	२२	मैंने अपको कहा	मैंने आपको कहा
६	६	६	सबूत अपके सामने	सबूत आपके समने
७	६६	२	रावराजा श्री सरदर सिंह	रावराजा श्री सरदारसिंह
८	७४	अन्त से द्वितीय	दबारा	दुबारा
९	८२	१२	Fund ordinance 1659	Fund Ordiuance, 1956
१०	८३	३	पुरःस्थापित किये गये विधेयक	पुरःस्थापित किये गये विधेयक
११	,,	अन्तिम पंक्ति	(cond Am ndment)	(Second Amendment)
१२	८४	२ (शीर्षक)	Bil l, 1596 भु-राजस्व	Bills, 1956 भू-राजस्व
१३	८७	द्वितीय पैरा ३	पुराने बेक गाउन्ड	पुराने बेक ग्राउन्ड
१४	८६	तृतीय पैरा ४	सब बा" चर्चा	सब बातें चर्चा
१५	९२	२३	स्टेटस के पोस्ट वार	स्टेट्स के पोस्ट वार
१६	९४	३	के टागेट के	के टार्गेट के
१७	,,	अन्तिम पंक्ति	एक्सपर्ट स हम मिले	एक्सपर्ट्स हमें मिले
१८	१०१	१६	राजपाल ने जो	राज्यपाल ने जो
१९	१०२	शीर्ष	को	की
२०	११०	अन्तिम पंक्ति	को थोड़ा	को थोड़ा थोड़ा
२१	११९	२५	अन्तर्गत ब्यूरोकैसी	अन्तर्गत ब्यूरोक्रेसी
२२	१२४	द्वितिय पैरा ३	मै हुआ था	में हुआ था
२३	१३०	२३	कर दूं चुटलों	कर दूं चुटकुलों